राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का तृतीय दिवस [संख्या ३

बुधवार, दिनांक ५ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८. ०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(विकास, आयुर्वेद, शक्ति, पंचायत, वित्त, वन, उद्योग, न्याय, सहकारी, आबकारी, श्रम, सार्वजनिक निर्माण, वित्त-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम सेविका का पद समाप्त कर दिया है?

(२) अगर हां, तो उनको खपाने के लिये क्या योजना है?

(३) ग्राम सेविकाओं के लिए राजस्थान में कुल कितने सेन्टर हैं व उन पर अब तक कुल कितना व्यय सेन्टर अनुसार हुआ?

उप-मन्त्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) उन्हें पंचायत समितियों में अध्यापिकाओं के पद पर लगा दिया है।

(३) दो केन्द्र हैं। अब तक क्रमशः २,६५,४२१) व १,१७,०८५) रु० खर्च हुआ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसकी आवश्यकता नहीं थी तो इतना खर्चा क्यों किया?

Page No.2

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

इतनी ग्रामसेविकाओं को ट्रेन्ड किया तो उन को कहां लगाया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उनको उचित स्थानों पर लगा दिया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कहां लगाया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत समितियों में अध्यापिकाओं के पद पर।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेविकाएं कोई मेट्रिक्यूलेट नहीं थीं, सातवीं, आठवीं पास थीं, तो ऐसी हालत में उनको अब कहां लगाया है, उनकी अब फिर दुबारा ट्रेनिंग होगी या नहीं ? पहले २ लाख रुपया खर्च किया है, अब कितना खर्चा होगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जो उनकी ग्रेड थी, उसी पर लगा दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि इसमें आपको क्या दिक्कत है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जोधपुर मंडोर में खास तौर से एक पद इस प्रकार का रखा गया था और फिर हटा दिया ? पहले उपयोगिता समझी गई थी, अब क्यों नहीं वह उपयोगिता रही ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कुछ पद पंचायत समितियों में कम कर दिये थे, उस पद को भी कम कर दिया गया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कुल कितनी ग्राम सेविकाओं को ट्रेण्ड किया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १७६.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उन्हें अब कहां कहां लगाया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग प्रश्न है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : नहीं अध्यक्ष महोदय, वे सब की सब बेकार बैठी हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एक भी ऐसा उदाहरण हो तो आप रखिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १७६ में से अब तक कितनी ग्रामसेविकाओं को खपा दिया गया है, रोजगार दे दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सभी को नौकरी दे दी है, कोई बेकार नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किस विभाग में ?

श्री अध्यक्ष : शिक्षा विभाग में, मन्त्री महोदय ने बताया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेट्रीक्यूलेट हुए बिना शिक्षा विभाग लेता नहीं है, तब कहां लगाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो शिक्षा मन्त्री से पूछें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : फण्ड नहीं होने से हटा दिया, यह तो कोई उत्तर नहीं; ग्रामों में स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए ग्राम सेविकाओं की आवश्यकता थी तो जिस प्रकार फण्ड्स दूसरे विभाग में किये इनके लिए भी किया जा सकता था। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनको रखा गया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो फिर इन पदों को को क्यों हटा दिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दो बातें थीं। पहली बात तो यह कि पूरी ग्राम सेविकाएं ट्रेनिंग के लिए मिल नहीं रही थीं और दूसरी बात यह कि जो सफलता चाहते थे वह सफलता कम मिल रही थी, इसलिए पद कम कर दिये गये।

श्री विजयसिंह झाला : सुनाई नहीं दिया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ट्रेनिंग में जाने के लिए महिलाएँ मिलती नहीं थीं और उपयोगिता भी मूल्यांकन के माफिक नहीं हो रही थी, इसलिए पद खत्म कर दिए गए।

श्री विजयसिंह झाला : जिन उपयोगिताओं के लिए नियुक्त किया उन उपयोगिताओं की पूर्ति नहीं होना, इसके माने यह हुए कि आपकी योजना में कमी थी, उसके कारणों का क्या पता लगाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल !

आयुर्वेदिक औषधालय की मांग ग्राम घूमरा, सिकराय

३३. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय के ग्राम घूमरा के अधिकतर लोग किसान वर्ग के तथा अनुसूचित जाति के हैं और उन के लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि इस ग्राम के लोगों ने तथा पंचायत ने यहां एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग की है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री आयुर्वेद : (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, घूमरा ग्राम में चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। योजनानुसार समीप क्षेत्र गीजगढ़ में औषधालय की व्यवस्था है जो दो मील दूर घूमरा ग्राम से है।

(२) जी हां।

(३) योजनानुसार लगभग १४ हजार की जनसंख्या पर औषधालय होना चाहिये, निर्धारित अनुपात से भी अधिक औषधालय हैं अतः नया औषधालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

Page No.4

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : अध्यक्ष महोदय, गीजगढ़ दो माइल नहीं तीन माइल पड़ता है। वहां के निवासी मकान देने के लिये तैयार हैं।

श्री दौलतराम सारण : तथ्य जो हैं उन से मैं आपको अवगत करा चुका हूँ, गीजगढ़ में है इसलिये घूमण में आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

राजस्थान विद्युत मंडल के एसेट्स तथा इमर्जेन्सी रिस्क इन्श्योरेन्स के तहत बीमा

३४. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने इमर्जेन्सी रिस्क इन्श्योरेन्स स्कीम के तहत कितने रुपयों की एसेट्स पर बीमा करवाया है ?

(२) राजस्थान राज्य विद्युत् बोर्ड के कुल एसेट्स क्या हैं ?

(३) क्या इमर्जेंसी इन्श्योरेंस स्कीम के तहत उक्त सारे एसेट्स पर ही इन्श्योरेंस करवायी जानी आवश्यक थी ?

(४) यदि हां, तो सिर्फ पैरा (१) के उत्तर में बताई गई एसेट्स पर ही इन्श्योरेंस क्यों चुकाई गई ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) ६,२७,३६,६७७.०० का बीमा करवाया है।

(२) १९६३-६४ के टेन्टेटिव आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत् बोर्ड के एसेट्स करीब ३७,६७,००,००० के हैं।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ६ करोड़ और कुछ लाख का बीमा करवाया है जबकि ३७ करोड़ ६७ लाख के कुल एसेट्स हैं। तो यह किस रूल के अनुसार करवाया है, डी. आई. आर. के तहत, सेफ्टी के किस रूल के तहत।

श्री चन्दनमल वैद : ट्रांसमिशन लाइन का बीमा करवाना जरूरी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ३७ करोड़ ६७ लाख में से ६ करोड़ कुछ लाख का बीमा करवाया है, तो ३७ करोड़ ६७ लाख के कुल एसेट्स में से ६ करोड़ कुछ लाख को छोड़कर बाकी सब ट्रान्समिशन लाइन्स ही हैं क्या?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो क्या रूल्स के अन्दर ट्रांसमिशन लाइन्स को एग्ज़ेम्पशन मिला हुआ है बीमा कराने से ?

Page No.5

श्री चन्दनमल वैद : एक्ट में एसेट्स की परिभाषा है, हमारे एक्सपर्ट्स की राय है कि ट्रान्समिशन लाइन का बीमा कराना जरूरी नहीं है, बाकी का कराया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितना रुपया दिया है ?

श्री चन्दनमल वैद : अलग अलग क्वार्टर्स का अलग अलग रेट्स पर दिया है। पहले क्वार्टर पर २५ नया पैसा, दूसरे पर १५ नये पैसे, तीसरे क्वार्टर में ११·२५ नये पैसे के हिसाब से और चौथे क्वार्टर में १० नये पैसे के हिसाब से।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पहले क्वार्टर में कितना चुकाया है ?

श्री चन्दनमल वैद : ३,८४,१८२ रुपया चुकाया है कुल।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फर्स्ट इन्श्योरेंस कराई उसमें कितनी रकम पे की है।

श्री चन्दनमल वैद : पहले बीमा में कितना अमाउन्ट चुकाया, यह तो मेरे पास नहीं है परन्तु ३,८४,१८२ रुपया, चुकाया है। रेट्स मैंने अभी बता ही दीं। जो कि रेट सरकार द्वारा निर्धारित थी उसके अनुसार चुकाई। ये फीगर्स नहीं हैं कि फर्स्ट, सेकिण्ड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स में कितना चुकाया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये एक्स्पर्ट्स जिन्होंने आपको यह राय दी कि ट्रांसमिशन लाइन्स का बीमा करवाना जरूरी नहीं है, क्या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई क्लॉज एग्जेम्प्शन का नहीं है। चीनी हमला हुआ, उसका मुकाबला करने के लिये यह इमर्जेंसी स्कीम जारी की गई। उस हमले के फलस्वरूप कोई इलेक्ट्रिसिटी को नुकसान होता है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के ६ करोड़ की लागत के एसेट्स का बीमा है, ३१ करोड़ का बीमा नहीं है, अगर सत्यानाश हो जाय तो ३१ करोड़ का कोई इन्श्योरेन्स नहीं है।

श्री चंदनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज के लिए माननीय सदस्य प्लीड कर रहे हैं। इन्श्योरेन्स कम्पनी के इन्टरेस्टस को प्लीड कर रहे हैं या और किसी चीज को ? मैं कहना चाहता हूँ कि हमने लीगल एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार एसेट्स का बीमा करवाया फिर प्रीमियम पे की।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दिक्कत इसमें यह पेश आ रही के कि आप भारत सरकार का पैसा खा गए हैं और प्रोपर इन्श्योरेन्स नहीं, कल एसेट्स डेस्ट्रोय हो जाएंगे तो आपके पास कम्पेन्शेट करने का कोई तरीका नहीं है। भारत सरकार को रिस्क इन्श्योरेन्स का एक पैसा नहीं देना चाहते। आप बेईमानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इस बात को रीएग्ज़ेमिन किया जाय कि क्या ट्रान्समिशन लाइन्स को इमर्जेंसी रिस्क इन्श्योरेन्स स्कीम से कोई एग्ज़ेम्पशन रहा है कि उसका बीमा कराना आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगर बीमा नहीं करना चाहते तो जो भी उसके कानूनी परिणाम होंगे वह बोर्ड भोगेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बीमा कराना आवश्यक है, अन्यथा प्रोसीक्यूशन होगा?

श्री चन्दनमल वैद : हमारे लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आवश्यक नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके लीगल एक्सपर्टस मूर्ख हैं?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : लॉ के बारे में एक्सपर्ट्स होने का किसी ने ठेका नहीं लिया है। आपकी ओपीनियन कुछ और हो सकती है।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं चुनौती दे कर कहता हूँ कि कोई लीगल एक्सपर्टस ऐसी राय नहीं दे सकता। आप एडवोकेट जनरल से एग्ज़ामिन करवाइये। यह राय बिल्कुल निराधार है।

श्री मथुरादास माथुर : आप यह कैसे कहते हैं कि वह मूर्ख है?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस एक्सपर्टस ने यह राय दी है कि इमर्जेंसी रिस्क इन्श्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत इसका बीमा करवाना आवश्यक नहीं वह मूर्ख से कम नहीं हो सकता।

श्री मथुरादास माथुर : आपके-कहने का प्रिवलेज है। मेम्बरों की दो राय हो सकती हैं, कोर्ट्स की दो राय हो सकती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप एडवोकेट जनरल से एग्ज़ामिन करवाइए।

श्री अध्यक्ष : उनको भी आप मूर्ख कहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : अगर आपकी राय से एग्री नहीं होंगे तो।

श्री अध्यक्ष : But the matter is simple. The Electricity Board will face the leagal prosecution or the consequences; जो भी होगा, इसमें बहस करने की क्या बात है?

(विराम)

श्री तेजाराम गहलोत।

सरकारी जीपों का दुरुपयोग-पंचायत समिति क्षेत्र, पाली

३५. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में समितिवार बताया जावे कि समिति की जीप समिति क्षेत्र से बाहर सन् १९६१ से ३० जून, १९६३ तक कितनी दफा गई? क्या समिति के मुख्यालय से उक्त स्थानों के बीच नियमित यातायात

Page No.7

(श्री तेजाराम गहलोत)

सुविधा उपलब्ध नहीं है और अगर है तो फिर जीप से उक्त यात्रा करने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या सरकार ने सरकारी जीपों के दुरुपयोग को रोकने के कोई नियम बनाये हैं ? यदि नहीं, तो जीप के उपयोग व दुरुपयोग का निर्णय करने का आधार क्या है ?

(३) क्या सरकार इसकी जांच करने को तैयार है कि सोजत विकास अधिकारी के दौरे (टूर) एक गांव से दूसरे गांव, को लॉग बुक में केवल कागजी खानापूरी नहीं है और इस तरह के दौरे क्या सरकारी व समिति के धन का दुरुपयोग नहीं हैं ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । समितियों के हैडक्वार्टर से उन स्थानों को जहां जीप ले जाई गई अधिकतर नियमित यातायात सुविधा उपलब्ध है किन्तु ऐसी सुविधा होते हुए जीप का उपयोग करना अनियमितता नहीं है।

(२) नियम बना लिए गए हैं ।

(३) दौरे निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ही किए गये हैं, अतः जांच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : आपने प्रश्न के भाग ३ में बताया कि दौरे निश्चित कार्यक्रम के अनुसार किये गये, यह बात तो ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो भी दौरे लोग-बुक्स में दिखाये गये हैं वे दौरे विकास अधिकारी ने नहीं किये, यह केवल लोग-बुक्स की खाना-पूर्ति है, तो क्या सरकार उस विकास अधिकारी के दौरों पर जो उन्होंने जिन जिन गांवों में किए बताए हैं और वहां क्या क्या काम किया, इसकी जांच कराएगी ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : आप अगर जांच करवाना चाहें तो मैं तैयार हूं, बाकी उसने जो दौरे किये हैं वे निश्चित कार्यक्रम के अनुसार किये हैं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जहां रेल या बस चलती है, वहां जीप-यात्रा करना कहां तक वाजिब है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : वाजिब है । जीप से कई काम होते हैं, विकास के कामों के लिए अफसरों को छोड़ने-करने, जिलाधीशों के पास मीटिंगों में भाग लेने के लिए ले जाते हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत : पंचायत समिति के बाहर और जिले के बाहर जबकि रेल मौजूद है वहां पर महीने में ४ बार जीप लेना कहां तक वाजिब है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मैंने कहा कि आपकी जानकारी में कोई बात है तो मैं जानकारी करवा लूंगा, बाकी विकास अधिकारी से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उससे ऐसी बात नहीं लगती है ।

Page No.8

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य तो यह पूछ रहे हैं कि तीन-चार दफा जोधपुर जाना एक जीप लेकर, क्या आप उसे उचित समझते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : किस काम से गये, नहीं गये, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसका असर दूसरे सारे अफसरों पर पड़ेगा। सरकार इसके लिए क्या सोचती है, जहां सामान्य तौर से इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो फिर भी जिला हैडक्वार्टर्स से बाहर ले जाय तो क्या वह ठीक बात है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : पहले इस प्रकार के नियम नहीं थे। अब नियम बनाए गए हैं। अब जिले से बाहर जीप ले जाते हैं तो कलेक्टर से पर्मीशन लेनी पड़ती है।

श्री तेजाराम गहलोत : लेकिन कलेक्टर से पर्मीशन नहीं ली।

श्री अध्यक्ष : नियम अब बन गए हैं।

प्रश्न संख्या ३६

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह।

झालावाड़ स्टेट बैंक

३७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Finance Minister please state :

(1) When was the Jhalawar State Bank established and how much business was transacted by it upto the time of the merger of the State ?

(2) What were the assets and the liabilities taken over by the State Government, when and by whom ?

3. How much loan had been advanced against gold and gold ornaments, movable and immovable property by the bank before and after the merger of the State respectively to whom ?

(4) Is it a fact that the gold and and gold ornaments worth thousands of rupees have been found to be unreal and are suspected to have been replaced in Govt. custody after rhe merger ?

(5) What action has the Government taken against the persons responsible for the negligence and loss to the State together with the names of such officers ?

उप-मन्त्री, वित्त (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) झालावाड़ स्टेट बैंक सन् १६३२ में स्थापित हुआ था। स्टेट के विलय के समय (सन् १६४८ में) जो पुराने रेकार्ड प्राप्त हुए हैं उनमें स्टेट के समय के पूरे ट्रांज़ेक्शान्स के प्रसङ्ग उपलब्ध नहीं हैं।

(२) जून सन् १६५३ में फाइनेन्स डिपार्टमेंट द्वारा इस बैंक की असेट्स एवं

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

लाइबिल्टीज़ अधीनस्थ की गई थीं जिसका विवरण सदन के मेज पर रख दिया है।

(३) पुराने रेकार्ड को व्यवस्थित किया जा रहा है। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध होने से पूर्व इसका ब्योरा देना सम्भव नहीं।

(४) राज्य सरकार के ध्यान में केवल ऐसे दो मामले आये हैं जिनमें बैंक द्वारा सोने के जेवरात जिनको रहन रख कर कर्ज दिया गया था, बैंक की रकम की वसूली के दौरान में कम शुद्धता के पाये गए हैं, जोकि बहियों में दर्ज हैं। अन्य मामलों की विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है। वे सब मामले पुराने हैं तथा जिला अधिकारियों व जिला कोषाध्यक्ष के अधिकार में आने के बाद कोई सोने के जेवरात नहीं पलटे गए।

(५) बैंक के कुछ पुराने कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही दायर की गई थी जिनमें से कुछ की कई जुर्मों के तहत न्यायालय में सुनवाई भी हुई है किन्तु न्यायालय में उनके विरुद्ध चार्ज सिद्ध नहीं होने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया गया। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध अब भी जांच जारी है।

(कृपया परिशिस्ट १ देखिये)

श्री जुझारसिंह : आपने जो जवाब दिया है उससे बात स्पष्ट नहीं होती। १९५३ में आपने इसका चार्ज लिया है और फिर भी आपके पास रेकार्ड उपलब्ध नहीं है? कब तक उपलब्ध करवा लेंगे? अभी आपने फरमाया कि संबंधित जानकारी उपलब्ध की जारही है, उसके बगैर ब्योरा देना संभव नहीं है। यह जानकारी कब तक हो जायगी? १२ साल टेक ओवर किए हो गए हैं, कितना लोन दिया, कितना बाकी है, इसका कोई पता नहीं, तो यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह रेकार्ड सब इतना अव्यवस्थित रखा हुआ है कि हमने अपने पूरे अधिकारी इस पर लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी सारे रेकार्ड को एकत्रित करके उनको ईयरवाइज़ करके सारे को व्यवस्थित रूप में करने में टाइम लगेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आप बता सकती हैं कि इस बैंक का चार्ज सबसे पहले किसने लिया?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मुझे नाम मालूम नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने बताया कि कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और मुकदमे अदालत के अन्दर पेंडिंग हैं, तो उनके क्या-क्या नाम हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही जारी है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : एक तो बैंक के मैनेजर के खिलाफ केस था, लेकिन कोर्ट में उसके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ और वह बरी हो गया। दूसरे केस में उसके खिलाफ जुर्म साबित हुआ और इन दी मीन टाइम उस आदमी की डेथ हो गई और जिस व्यक्ति ने अशुद्ध सोने के जेवरात जमा कराके

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

लोन लिया था, उसके खिलाफ रिकूवरी की कार्यवाही की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि दो लाख रुपये का नकली सोना रखकर एक लाख रुपये का एडवांस लिया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : एक लाख की कोई तादाद इसमें नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो उस मुकदमे के आधार पर यह तो मालूम पड़ा होगा कि कितना सोना रखा गया था और उस आधार पर कितना रुपया लिया गया था, जब मुकदमे पेश हुये हैं, चालान हुए हैं तो आपके पास इतनी सूचना तो होनी चाहिये कि कितना अमाउंट इसमें इन्वोल्व्ड था।

श्रीमती कमला बेनीवाल : दोनों बाबत सूचना है।

श्री गोविंदसिंह (पिड़ावा) : आप किस आधार पर कह रही हैं कि अशुद्ध सोना रखा था ? हो सकता है कि बैंक के कर्मचारी ने पलट दिया हो ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया कि बैंक के कर्मचारी भी शामिल थे, जिनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई थी। मैनेजर की तो डेथ हो गई। उसके बाद में जिसने सोना रखा था उससे रिकूवरी की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस बैंक के अन्दर लगभग २ लाख का सोना रखा गया था जिसके आधार पर एक लाख रुपया एडवांस दिया गया था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार अभी भी इसके प्रति लापरवाह है। रेकार्ड कहां पर है, किसके कब्जे में है आज तक इसकी कोई चिंता नहीं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, रेकार्ड जितना भी था वह सब हमारे पास में है, लेकिन वह काफी अव्यवस्थित है जिसको व्यवस्थित कराया जा रहा है और जितने केसेज़ सामने आ रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : वह कार्य कोई ऐसा अधिकारी कर रहा है जो कि स्पेशियली इसके लिए मुकर्रर है या डिपार्टमेंट अधिकारी रुटीन में कर रहे हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कोई स्पेशल अधिकारी लगाया हुआ है और डिपार्टमेंट के भी अधिकारी हैं जो इस रेकार्ड को देखकर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह आपने किस आधार पर और किस सूचना के आधार पर कहा कि नकली जेवरात रखकर बैंक से रुपया लाये थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसा बहियों में दर्ज है और जैसे जेवरात रखे गये हैं उनकी जांच-पड़ताल की गई, तो यह स्थिति पायी गयी थी।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि तीन-चार साल पहले जब किसी दूसरे एस०

(श्री जुझारसिंह)

डी० ओ० ने यह चार्ज हैंड ओवर किया तो उसने इन जेवरात को अपनी कस्टडी में लेने से इन्कार किया था क्योंकि उन्होंने किसी सुनार से जांच करायी थी तो उन्हें यह मालूम हो गया कि जो कस्टडी में जेवरात हैं वे शुद्ध नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि दो मामलों में एडमिट भी कर लिया है, और आगे के लिए कह रहे हैं कि जांच करायी जा रही है तो क्या गोल्ड जब आपके पास है वह शुद्ध है ? उसमें भी कोई मिलावट है या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने आपको बताया कि सारे की विस्तृत जानकारी देखकर रेकार्ड किया जा रहा है कि कितने जेवरात हैं और कितने शुद्ध सोने के हैं, किन किन बहियों में कितने कितने हैं। किसी ए० डी० ओ० ने उन जेवरात को अपनी कस्टडी में लेने से इन्कार किया, इनकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री जुझारसिंह : उसने कहा है कि प्योर गोल्ड नहीं हैं और इसलिए मैं इसको चार्ज में नहीं लेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, पन्द्रह साल हो गये और कोई मुकम्मिल जांच अभी तक नहीं हो पायी है। क्या सरकार कृपा कर कोई अनुमान सदन को देगी कि आखिरकार यह जांच कितने दिन में समाप्त होगी ? जांच हो रही है और १५ साल से यह स्थिति है, तो यह कह देना ही काफी नहीं है कि जांच हो रही है। यह तो कुशासन की पराकाष्ठा है। सरकार को व्यवस्थित ढंग से उत्तर देना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कब हुआ ?....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर तो देने दीजिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं महसूस करती हूं कि समय बहुत हो गया है, लेकिन जितना हम प्रयत्न कर रहे हैं उसके बावजूद भी जो अव्यवस्थित कागजात हैं उनको व्यवस्थित करने में समय लगेगा। जहां तक रिकूवरीज का प्रश्न है ५० परसेन्ट रिकवरी तो कर ली गई है तथा और भी आगे जांच हो रही है। मैं यही कह सकती हूं कि जितना जल्दी होगा उतना इस रेकार्ड को व्यवस्थित कराया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपका अनुमान यह है कि १५ साल और लगेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

जंगलों की तारबन्दी—गिरवा क्षेत्र

३८. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) गिरवा क्षेत्र में आजकल कौन से जंगलों की तारबन्दी (फेन्सिंग) की जा रही है ?

(श्री जोधसिंह चौहान)

(२) क्या यह सही है कि सम्बन्धित गांव वालों ने इस आशय की दरख्वास्त दी है कि उन्हें वहां पशु चराने, लकड़ी काटने आदि के अधिकार होते हुए भी विभाग ने उन जंगलों पर अधिकार कर लिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि इस प्रकार की फेन्सिंग कई चरागाहों पर भी कर दी गई है ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नंदवाना): (१) गिरवा क्षेत्र में आजकल किसी जंगल की कोई तारबन्दी नहीं की जा रही है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री जोधसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल भी उत्तर इसी प्रकार सही नहीं दिया। गिरवा क्षेत्र में कई स्थान इस प्रकार के हैं कि वहां हर जंगलात वालों ने फेन्सिग कर दिया है, लोगों के पशुओं को चरनोट की भूमि पर चरने नहीं दिया जाता है। जिला प्रमुख लखावली गांव में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने यह फेन्सिंग कर दिया, गायें आदि कहां चरने जावें; तो वे कहते हैं कि आपने जनसंघ को वोट दिया है इसलिए चरने नहीं दी जावेगी, आप कांग्रेस को वोट देते तो चरने देते। इसलिए माननीय मंत्री जी सही ढंग से उत्तर दें तो उचित है अन्यथा यहां पर हमारे समय का दुरुपयोग है, हमारा समय व्यर्थ खोना है। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन में से ६० परसेन्ट का सही उत्तर नहीं दिया जाता है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : कौन सा उत्तर गलत दिया जा रहा है, माननीय सदस्य जरा बतादें। जो सुविधा जंगलात विभाग की ओर से दी हुई है यदि वह नहीं मिल रही है तो आप बतायें। कोई शिकायत इस विषय की नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यदि माइक से दूर रह कर बोलें तो उनकी आवाज सुनाई भी दे सकती है। बार बार इस प्रकार हमें शिकायत करने का मौका देते हैं कि माइक में मुंह डाल देने से हमको बिल्कुल सुनाई नहीं देता हैं। कोई उनके लिए स्पेशल इन्तजाम कर दिया जाय। बार बार कहना पड़ता है कि हमें आवाज नहीं आती है आपकी, सुनाई नहीं देता है जो कुछ आप बोलते हैं, इमें उल्टी शर्म आती है कि हमें यह कहना पड़ता है कि हमें सुनाई नहीं पड़ता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उप मंत्रीजी का यह कहना कि शिकायत आये तो जांच कर सकते हैं। यह स्थिति केवल उदयपुर-गिरवा क्षेत्र की ही नहीं है किन्तु सारे राजस्थान की यही स्थिति है। इसके बारे में सरकार विचार तक नहीं कर रही है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : चारागाह की छूट दी गयी है, फिर भी

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

फेन्सिंग कर देते हैं और मवेशियों को चरने नहीं दिया जाता है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : चारागाह पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। जंगलात विभाग ने जहां भी हदबन्दी कर रखी है वहां सब तरह से मवेशियों के चरने वगैरह के लिए सुविधा दे रखी हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई इस सम्बन्ध में शिकायत है तो जानकारी में लाने से ही वह दूर की जा सकती है, वर्ना तो क्या मालूम पड़ सकता है कि कहां शिकायत है?

श्री जोधसिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, एक नहीं हजार हजार किसान साथ गये हैं फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में। जिला प्रमुख भी साथ पहुंचे हैं। वे कहते है कि तुमने जनसंघ को वोट दिया है इसलिए यह है, यदि कांग्रेस को वोट दोगे तो हम फ्री करवा देंगे। सारा का सारा गिरवा क्षेत्र इस जंगलात से परेशान है। यही नहीं सरकार ने जंगल में कुछ आदमियों को बसाया है, लेकिन यदि उनकी गायें घर-बाहर निकलती हैं तो जंगलात वाले कहते हैं कि ये सरकार के जंगल हैं और आये दिन उनकी गायों को वे लोग पकड़ ले जाते हैं। पहले भी इस सम्बन्ध में प्रश्न किया गया था, लेकिन उसको टाल दिया गया। ईसवाल, चरमर, लखावली आदि इन गांवों का आप नाम नोट कर लीजिये और पता लगाइये कि वास्तव में जो मैं कह रहा हूं वह सही है या नहीं और उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर दें। यदि सरकार को विश्वास नहीं हैं तो मिनिस्टर महोदय मेरे साथ चलें, मैं उनको दिखाऊंगा कि किस प्रकार की स्थिति है।

(हियर, हियर)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जानवर तो जनसंघी नहीं हैं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : माननीय सदस्य चाहते हैं तो जांच करायी जा सकती है, मैं स्वयं भी जा सकता हूं। लेकिन कोई प्रोब्लम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : है तो दूर कर दीजिये।

श्री जौधसिंह चौहान : ये कह रहे हैं कि नहीं है, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सॉल्ट क्षेत्र का सर्वे तहसील, सांचोर

३६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सांचोर तहसील में एक बहुत बड़ा सॉल्ट क्षेत्र भवातड़ा के आस पास स्थित है? अगर हां, तो क्या सरकार ने इस उद्योग की विस्तृत सर्वे कराई है? अगर हां, तो कब और अगर नहीं तो क्यों नहीं?

(२) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में नमक उद्योग का बड़ा भारी स्कोप है? अगर हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच

Page No.14

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो इस सॉल्ट की परीक्षा कब तक करा ली जायेगी ?

(३) क्या यह सच है कि इस उद्योग के पनपने से नैयड़ क्षेत्र के लोगों को अच्छा धन्धा मिलेगा ? अगर हां, तो क्या सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर कोई सक्रिय कदम उठाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) सांचोर तहसील में भवातरा के आस पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र नमक बनाने का है। इसकी सर्वे हो चुकी है।

(२) इस क्षेत्र में नमक उद्योग का निम्न-लिखित कारणों से बड़ा भारी स्कोप नहीं है।

(अ) इस क्षेत्र में नहीं तो सड़कें हैं और न ही रेलवे है। सबसे पास रेलवे स्टेशन रानीवाड़ा है जो इस क्षेत्र से ६५ मील दूर है इसलिए इस क्षेत्र में नमक का यातायात बहुत मंहगा पड़ेगा।

(ब) इस क्षेत्र में शुद्ध नमक की मात्रा केवल ५१ प्रतिशत है इसलिए यहां का बना हुआ नमक खाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

(स) इस क्षेत्र की आबादी भी नहीं के बराबर है और न ही पीने का पानी उचित मात्रा में उपलब्ध है।

(द) नमक का उत्पादन बढ़ जाने के कारण नमक की खपत में तथा मूल्य में कमी आ गई है। इन सब कारणों को देखते हुए नमक बनाने का स्कोप इस क्षेत्र को पनपाने में आर्थिक दृष्टि से भी सहायक प्रतीत नहीं होता है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : चीफ मिनिस्टर राजस्थान स्वयं नमूना इसका वहां से लाये थे और उन्होंने इन्डस्ट्रीज़ विभाग को एक नोट लिखकर भेजा था। गुजरात वाले तो इसकी युटिलिटी उठाते हैं और इधर आस पास में यह फालतू पड़ा हुआ है। मीन्स ऑफ कम्यु-निकेशन्स न होने के कारण यह नहीं करें, यह तो लोगों का कुसूर नहीं है; इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिये और गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद : इसको गम्भीरता से देखा है। चीफ मिनिस्टर साहब जो नमूना लाये थे उसकी जांच कराई गई। ४९ परसेन्ट इम्प्योरिटी इसमें है और यह खाने लायक नहीं है। नमक जो मिलता है तो उस को पानी में घोलकर दूसरे तरीके से नमक बनाना पड़ेगा, वह काफी मंहगा पड़ेगा। यातायात के साधन भी नहीं हैं। नमक के क्षेत्र में पहुंचने में भी दिक्कत आवेगी। इसके साथ नमक का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि रेलवे क्षेत्र के पास भी जहां सरकार के पास नमक है और दूसरों के पास भी, उनका भी नहीं बिक रहा है, तो नये क्षेत्र में नमक बनाना चाहेंगे तो वह उपयुक्त नहीं होगा और कोई वहां जाना नहीं चाहेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या इस बारे में सरकार ने गुजरात सरकार से जानकारी की

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

है कि वे इस नमक को किस प्रकार से काम में लेते हैं, अगर इसमें प्योरिटी नहीं है तो उन्होंने किस आधार पर इसको पनपाया है ?

श्री चन्दनमल वैद : हमने जो केमीकल एनेलीसिस करवाई है हम पहले अपनी उस रिपोर्ट को देखेंगे। आज हमारा नमक जो पचपदरा और डीड़वाना में होता है उसकी खपत भी नहीं हो रही है, लाखों मन की तादाद में बिना बिका पड़ा है, इसी तरह से प्राईवेट लोग जो नमक बनाते हैं उनका भी नहीं बिक रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे क्षेत्र में जहां आवागमन के साधन नहीं हैं, जो आवागमन के साधनों से बहुत दूर है, वहां नमक बनाना सम्भव नहीं है और वह इकॉनोमिकली भी ठीक नहीं बैठ सकता।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर): क्या आपने इस बात का भी एनेलेसिस करवाया है कि इस नमक से सॉल्ट बीम तो नहीं बन सकता। अगर वह बन सकता है तो पशुओं के लिए लाभदायक होगा ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सज्जी खार हो हो सकता है, नेचुरल नमक बनता है अगर आप इतनी प्योरिटी नहीं मानते हैं तो जो लोग वहां खाते हैं उनका स्वास्थ्य खराब न हो जाय इसके लिए सरकार क्या विचार कर रही है ? फलौदी क्षेत्र में जिस प्रकार से नमक बनाते हैं क्या आप उसी तरह से इस क्षेत्र में एग्ज़ामिन कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : फलौदी तो रेलवे स्टेशन से नजदीक है, फलौदी का प्रोडक्शन भी अन-इकॉनोमिक हो रहा है। ऐसी हालत में आप जहां का जिक्र कर रहे हैं वहां पर इकॉनोमिक होगा यह निश्चित नहीं है।

श्री योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : गुजरात के अन्दर पोर्ट नजदीक होने से वहां पर जो नमक को मेन्युफेक्चर कर रहे हैं वह लोकल कन्ज़म्पशन के लिए नहीं कर रहे हैं, वह कॉमर्शियल सॉल्ट पैदा कर रहे हैं और उसको हिन्दुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। यहां पर हम कॉमर्शियल सॉल्ट बनायें तो हमारे यहां मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दूर पड़ जाता है इसलिए वह इकॉनोमिक नहीं हो सकता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वहां के लोग जो इस नमक को खा रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य न बिगड़े इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या एक्सपर्ट्स की ओपीनियन आयी है या उद्योगपतियों के कोलोब्रेशन से क्योंकि उन को नुकसान होगा इसलिए इसको इस दृष्टि से अन-इकोनोमिक देखा गया है ? उद्योगपतियों का हित ज्यादा देखा गया है....

श्री अध्यक्ष : सदन का हित है, अगला प्रश्न लिया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस क्षेत्र का डवलपमेन्ट किया जाय तो इस नमक से अन्य पदार्थ, खार, सज्जी, सोरा, आदि बनाया जा सकता है इसके लिए स्पेशल विशेषज्ञों की कमेटी बिठाने के लिए सरकार तैयार है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसमें उद्योगपतियों के कोलोबरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसमें स्टेट खुद ही सब से बड़ा उद्योगपति है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

उप-सरपंच भूतपूर्व ग्राम पंचायत बड़ी सादड़ी द्वारा अलग पंचायत की स्थापना

४०. **श्री शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही हैं कि जिला चित्तौड़गढ़ की भूतपूर्व ग्राम पंचायत बड़ी सादड़ी में सन् ५०-५२ के दरमियान उप सरपंच ने पैरेलल पंचायत स्थापित की थी ?

(२) यदि हां तो क्या उस उप-सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या अब भी उक्त उप-सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन लेने का विचार हैं ?

(४) यदि हां, तो कब तक ?

उप मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां।

(२) केस पुलिस में देकर चालान पेश करने की स्वीकृति दिनांक ८-८-५६ को दी गई थी।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : केस का चालान क्यों नहीं हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: एक दफा बिना मन्जूरी चालान कर दिया। कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी थी लेकिन पुलिस द्वारा केस बनता नहीं, इस आधार पर उसने इस मामले को नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष : पहले तो केस बनता था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री शंकरलाल: प्लाट्स के पैसे ले लिए, लोग चिल्ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति तहसील वैर

४१. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) किसी स्थान पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट रखे जाने के क्या-क्या आधार हैं ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि वैर तहसील (भरतपुर) में केस वर्क काफी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा): (१) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट स्थापित करने से पूर्व निम्न बातों पर विचार किया जाता है।

(क) उसके आसपास कोई मुन्सिफ मजिस्ट्रेट तथा सिविल जज का न्यायालय तो नहीं है साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि नये कोर्ट खोलने से कहीं पूर्व स्थित कोर्ट में मुकदमों की संख्या इतनी कम न रह जाय कि अधिकारी के पास पूरे समय का काम न रहे।

(ख) नये स्थापित कोर्ट के पास मुकदमों की संख्या इतनी हो कि अधिकारी पूरे समय के लिए व्यस्त रह सके।

(ग) जनता की सुविधा को भी ध्यान में रखकर न्यायालय की स्थापना की जाती है।

(२) वैर, तहसील भरतपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायलय की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सांवलियाराम : जहां तक केसों की संख्या का सवाल है मैं कहता हूं बयाना कोर्ट से ज्यादा हैं। उसके लिए पचास मील की दूरी से लोग आते हैं और उनको तारीख दे दी जाती है, इसलिए चले जाते हैं। यहां केस वर्क ज्यादा रहता है इसलिए यहां पर एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी जाय ताकि वहां के आस-पास की जनता को सुविधा मिल सके।

श्री परसराम मदेरणा : वैर से बयाना दस मील के फासले पर है। वैर मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी कायम की जाय इसके लिए हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज से इन्क्वायरी करा ली है। हाई कोर्ट के विचाराधीन यह मामला है। हाई कोर्ट से रिकमन्डेशन आने पर सरकार विचार कर सकती है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सरकार द्वारा गत सत्र में ६ जगह मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी कायम करने का आश्वासन दिया था। उन ६ जगहों पर कब तक कायम कर दी जायेगी और उनके नाम क्या-क्या हैं?

विधि मंत्री (मथुरादास माथुर) : नये कोर्ट्स खोलने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री सांवलियाराम : वैर से दस मील दूरी पर है....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है, हाई कोर्ट की रिकमन्डेशन आने पर विचार किया जायेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : चीफ जस्टिस ने स्पेशल रिकमन्डेशन की है। बयाना में एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट काम कर रहा है, उससे केस वर्क खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए चार-चार और छः-छः महिने की तारीख डाल दी जाती है, इस बारे में सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कस्बा रूपवास के तालाब की सफाई

४२. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या कस्बा रूपवास जिला भरतपुर के अन्दर एक बहुत बड़ा तालाब है और वहां के नागरिक उस गन्दे पानी को ही कपड़ा धोना व नहाने और पीने के काम में लेते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार उस तालाब की सफाई शीघ्र कराने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, केवल नहाने व कपड़े धोने के काम में लिया जाता है।

(२) इसकी सफाई पंचायत द्वारा कराई जा सकती है ।

श्री सांवलियाराम : इसकी सफाई कभी नहीं हुई। पंचायत के पास इतना बजट नहीं है कि वह इतने बड़े तालाब की सफाई करवा सके। गत वर्ष में वहां की जनता ने पानी के अभाव में काफी परेशानी उठायी, पानी कहीं नहीं मिलता था, इसी तालाब पर यह सारा कस्बा निर्भर करता था। इसकी सफाई की व्यवस्था का सु-प्रबन्ध करना चाहिये ताकि सदा के लिए वहां की जनता को राहत मिल सके। वहां लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और उसी का पानी को पीते हैं। हलवाई मिठाई वगैरह भी इसी पानी से करते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत में फन्ड की कमी है तो पंचायत समिति के सामने यह सवाल रखे ।

श्री सांवलियाराम : पंचायत समिति से भी यही जवाब मिलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप कांग्रेस में जाने से पहले वादा करा लेते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : आपके वादों की वादा-खिलाफी भी हम जानते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर छत्रपुरा में सामान की खरीद

४३. **श्री माधोलाल खानपुरिया** (अटरू) : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर छत्रपुरा के प्रिंसिपल ने ट्रेनिंग सेन्टर के बजट से पब्लिक हैल्थ सम्बन्धी सामान फारसोया ट्रेडिंग कम्पनी जयपुर और आदर्श ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर से खरीदा है ?

(२) आदर्श ट्रेडिंग कम्पनी से इस ट्रेनिंग सेन्टर को सामान किस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की किस नम्बर की बिल्टी से आया है ?

Page No.19

(श्री माधोलाल खानपुरिया)

(३) फरसोया ट्रेडिंग कम्पनी से किस बिल्टी से आया ?

(४) क्या आदर्श ट्रेडिंग कम्पनी जिससे उपरोक्त सामान खरीदा गया, अस्तित्व में हैं ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त खरीद की शिकायत के बारे में एन्टी-करप्शन विभाग ने जांच की है ?

(६) जांच का परिणाम क्या निकला ?

उप मंत्री, पंचायत (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) इस कम्पनी द्वारा सामान की डिलीवरी व्यक्तिगत रूप से दी गई थी।

(३) जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से आर. आर. संख्या ५२४६०७ द्वारा भेजा था।

(४) जी हां,

(५) जांच जारी है।

(६) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

श्री भैवरलाल "कालाबादल" : यह बिल्टी का माल किस तारीख को पहुंच गया था सेन्टर पर ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : ऑर्डर कब दिया गया था माल मंगाने का ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह भी तारीख मेरे पास नहीं है।

माल पहुंचा है, एक तो ६८३)६ पैसे का और दूसरी कम्पनी के द्वारा ३०४)४३ पैसे का। एन्टी-करप्शन विभाग द्वारा जांच जारी है। उसकी रिपोर्ट आने पर और कहा जा सकेगा।

श्री माधोलाल खानपुरिया : कौनसी तारीख को ऑर्डर दिया था और कौनसी तारीख को बिल्टी आ गई थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : निश्चित तारीख तो मेरे पास नहीं है, पर ६२ में ऑर्डर दिया गया था।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : माल पहले पहुंच गया और ऑर्डर बाद में आया, इसलिये आप तारीख नहीं बता रहे हैं क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं, तारीख है नहीं, नहीं तो बता देता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जांच किस बात की की जा रही है एन्टी-करप्शन विभाग द्वारा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह इस बात की कि माल पहुंचा या नहीं, टेन्डर ठीक निकले या नहीं, लोएस्ट टेन्डर था या नहीं।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : जांच यह कब शुरु की ? उस जांच की रिपोर्ट मिली या नहीं। एन्टी-करप्शन विभाग ने जांच कर ली, रिपोर्ट भी दे दी। माल भी पहुंच

(श्री भैरवलाल "कालाबादल")

गया १३ तारीख को और ऑर्डर दिया १६ तारीख को; यह सब उस रिपोर्ट में दर्ज है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : इस विभाग को पहले प्रिलिमिनेरी डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी करके बाद में जांच का अर्डर दिया गया था या क्या ?

श्री अध्यक्ष : और जांच कब से चल रही है ?

श्री भैरोंसिंह : एन्टी-करप्शन विभाग द्वारा जांच की गई, यह सवाल नहीं है। मैं यह सवाल पूछ रहा हूं कि एन्टी-करप्शन विभाग द्वारा जांच कराने का आदेश देने से पहले सरकार ने विभागीय जांच करवा ली थी क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जिलाधीश को लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ क्या रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिलाधीश को लिखा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : विभागीय जांच नियमित रूप से कराने का कायदा नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल सीधा है, आप टालते क्यों जा रहे हैं उसको मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं कि विभागीय जांच कराने के बाद में एन्टी-करप्शन विभाग को जांच के लिये लिखा या क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एप्लीकेशन पर ही एन्टी-करप्शन विभाग को लिख दिया था।

श्री भैरोंसिंह : यह एप्लीकेशन किसकी थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी कोई एप्लीकेशन आई भी थी या नहीं ?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में इस प्रकार के सवाल कुछ पन्चायतों के बारे में होते हैं, जिनमें हमारी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। मैं नीति सम्बन्धी बात निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रश्न जब आते हैं जो कि ऑटोनोमस बोडीज़ होती हैं तो इसके लिये हमारे पास में सेटिस्फेक्टरी आन्सर नहीं आ सकते और इसलिये हाउस को हम सेटिसफाई नहीं कर सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि हम पॉलिसी आपके द्वारा इस तरह से निर्धारित कराना चाहते थे कि कौनसे ऐसे विषय हों कि जिनके बारे में हम उत्तरदायी हों क्योंकि आखीर में ये तमाम पोलिटिकल पन्चायती राज संस्थाएँ जो हैं ऑटोनोमस बोडीज़ हैं। विदेशों में भी काउन्टीज़ वगैरह हैं। इनके लिये किस प्रकार का विभाग हमारे पास हो जिसमें राज्य सरकार स्टेट लेवल पर जिम्मेदार हो इनके लिये।

Page No.21

(श्री भीखाभाई)

अब इसलिये माननीय सदस्य जब पूछते हैं कि कौनसी तारीख को एन्टी-करप्शन में शिकायत हुई, माल आया गया नीचे के लेवल पर हुई या किस लेवल पर हुई, इन सब की जानकारी हम सन्तोषजनक रूप से नहीं दे सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह निवेदन तो आप सुखाड़ियाजी से करिये।

श्री भीखाभाई : मैं यह चाहता हूं कि एक नीति निर्धारित कर दी जाय कि कौनसे लेवल तक ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir, Whether a point of order raised previously shall be disposed of first or a point of order which has been raised later shall be disposed of first.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I have raised first; You must know.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्पीकर साहब ने आंखें तो किसकी पकड़ लीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आंख तो रही अलग, आपके कान न पकड़े जावें। यह प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रश्न को आपने स्वीकार करके कागजों में एन्टर किया। उसके ऊपर उत्तर स्पष्ट आने के स्थान पर मन्त्री महोदय की कमेन्टरी आती है। आप इन प्रश्नों से बचाना चाहते हैं। एक तरफ ऑर्डिनेन्स लगा कर गुलाम बनाना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में यहां ये प्रश्न आने चाहिये। और मैं जानना चाहता हूँ कि यह प्रोप्राइटरी है क्या? आपसे वे बात करते, आपके चेम्बर में आपसे रिक्वेस्ट करते। पर क्या यह उचित है कि सदन में इस तरह के क्वेश्चन के उत्तर देने में आनाकानी का सवाल उठावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो ऐतराज किया, मैं समझता हूं वह उचित नहीं है क्योंकि मन्त्री महोदय ने जो बात कही कि वह इससे सम्बन्ध रक्खे या न रक्खे, पर वह अपने आप महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा भी पहले सदन में हो चुकी है कि कोनसे ऐसे मामले हैं जो ऑटोनोमस बॉडीज, विशेष तौर से पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, यहां पूछे जाएं और कौन से न पूछे जावें।

सामान्य तौर से इस बारे में जो नीति अपनाई गई है यह है कि रोजमर्रा के कार्यक्रम हैं जो उनके प्रोग्राम हैं, उनके निर्णय हैं, उन पर अगर उनका कोई खास महत्व न हो, तब तक प्रश्न स्वीकार नहीं किये जाते हैं। परन्तु ऐसे मसले जो सरकारी कार्यवाही के कार्य क्षेत्र में आते हों, जैसे डिसिप्लिन के मामले हैं, सस्पेन्ड करने के मामले हैं, एन्क्वायरी और गबन के मामले हों, ये सार्वजनिक महत्व को मान कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गये हैं। फिर यह

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न तो पंचायती राज संस्था के संबंध में भी नहीं है। ट्रेनिंग सेन्टर के प्रिन्सिपल के बारे में हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी है। सेन्टर का संचालन भी सरकार प्रशासनिक तौर पर करती है, इसलिये इस प्रश्न के सम्बन्ध में आपत्ति हो नहीं सकती।

पर फिर भी दूसरे जो ऑटोनोमस बॉडीज़ के प्रश्न हैं उनके सम्बन्ध में सदन निर्णय कर सकता है। पर इनके भी जो इस नेचर के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न हैं वे अवश्य पूछे जाने चाहिये और पूछे जावेंगे और इसी बात को ध्यान में रखकर इसका उत्तर देंगे मन्त्री महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राम ट्रेनिंग सेन्टर पंचायत राज के आधीन चलते हैं, उनका यह ख्याल था।

श्री भीखाभाई : नहीं।

श्री सतीशन्द्र अग्रवाल : फिर आपने खामख्वाह सदन के समय का अपव्यय क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४४

उम्मेदसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

पंचायत समिति, वैर के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

४५. श्री **रामकिशन** (**वैर**) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सरकार को पंचायत समिति, वैर (भरतपुर) के प्रधान के विरुद्ध कोई शिकायत-पत्र मिला है ?

(२) क्या उक्त शिकायत-पत्र में लिखित पंचायत समिति के विज्ञापनों को अपने साप्ताहिक पत्र में छपवा कर धन प्राप्त करना, सामान की खरीद में गबन, लोहे के कोटे का ब्लेक, अधिकारों का दुरुपयोग करना आदि गम्भीर आरोपों की सरकार ने कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की है और उसका क्या परिणाम रहा ?

उप-मंत्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) इस शिकायत में पंचायत भुसावर व हलेना के विज्ञापन अपने पत्र में छपवा कर धन प्राप्त करने व अन्य आरोप जिनकी जांच उप जिला विकास अधिकारी, भरतपुर से कारवाई गई, प्रधान के खिलाफ कोई अभियोग प्रमाणित नहीं हुआ।

श्री रामकिशन : आपकी जांच में जो मुद्दे लिये गये उसमें यह भी था क्योंकि अखबार खुद का था और वही व्यक्ति पंच सरपंच भी था ? इस मुद्दे की जांच कर ली गई है क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस मुद्दे की भी जांच कराई है। पंचायत समिति से विज्ञापन नहीं लिया है, ग्राम पंचायतों से लिया है। हमने इस पर विधि विभाग से भी राय ली है। इसमें ऐतराज की बात नहीं है, क्योंकि यह तो एक व्यक्तिगत मामला था।

श्री रामकिशन : यह व्यक्तिगत मामला नहीं था। पत्र का वह सम्पादक भी है और जिस पंचायत से पैसा लिया है उसका सरपंच भी है। यह फिर व्यक्तिगत कैसे हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अखबार निकालने की मनाई थोड़े ही है। व्यक्ति रूप से कोई भी प्रधान अखबार निकाल सकता है। ज्यादा से ज्यादा पंचायत समिति से लाभ नहीं उठा सकता।

श्री रामकिशन : मैंने कहा उस पंचायत का सरपंच है जिससे विज्ञापन लिया गया है। अखबार निकाल सकता है, मैं नहीं कहता नहीं निकाल सकता, लेकिन पंचायतों और पंचायत समिति के फण्ड पर इस तरह का बोझा डाले सरपंच होकर, तो क्या यह नियमों के विपरीत नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : विज्ञापन लिया है जहां से वहां सरपंच नहीं था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : लोहे के कोटे का गबन करना और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना, क्या इस शिकायत की भी जांच कराई गई ? जांच किससे करवाई ? शिकायत करने वाले को बुलाया गया ? मैं आज भी चुनौतीपूर्वक कह सकता हूं कि शिकायत-कर्त्ता को पूछा तक नहीं गया और फिर भी आप दुबारा जांच कराने को तैयार हों तो फिर से पकड़वा सकते हैं। लाखों रुपयों का गड़बड़-घोटाला किया गया है। आप फिर जांच करवा लीजिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कलेक्टर को लिखा गया था। डिप्टी डवलपमेन्ट ऑफिसर को लिखा और उसकी जांच की रिपोर्ट के आधार पर मैंने निवेदन किया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : डिप्टी डवलपमेन्ट ऑफिसर के द्वारा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह कलेक्टर को कब लिखा गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ५.७.६३ को।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : लोहे के कोटे को ब्लेक में बेच देने के बारे में भी जांच की है उसने ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या उस रिपोर्ट की कॉपी मन्त्री महोदय सदन को मेज पर रख सकते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: यह मामला प्रशासनिक है, इसलिये नहीं रख सकता।

Page No.24

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो इकतरफा तौर पर कमरे में बैठकर, शिकायत-कर्त्ता को बिना बुलाये, बिना उससे पूछे-ताछे जांच रिपोर्ट लिख देना क्या उचित समझती है सरकार ? क्या करप्शन के मामले इस प्रकार से प्रशासनिक व्यक्तियों के द्वारा दबाये जा सकते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो आप कह सकते हैं। कलेक्टर के द्वारा हमने जांच कराई है।

श्री रामकिशन : जिसने शिकायत की है उसको नहीं बुलाया गया। जो शिकायत कर्त्ता है और जो प्रमाण देने के लिए तैयार होता उसको नहीं बुलाया जाता, तो फिर जांच एकतरफा कैसे हो जाती है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप फिर भी जांच करवाने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं भी फिर से जांच करवाने के लिए तैयार हूं।

श्री रामकिशन : आप अपने विवेक से सोचिये। कोई किसी प्रकार की दर्ख्वास्त दे और कहे कि मैं साबित करने के लिए तैयार हूं, उसी को आप नहीं बुलायें तो जब उस पार्टी को नहीं बुलाया गया तो फिर जांच पूरी कैसे हो गयी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हमने तो कलेक्टर को लिख दिया था लेकिन आप जांच करवाने के लिए तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय ने डिप्टी डेवलपमेन्ट ऑफिसर की जांच रिपोर्ट को खुद ने पढ़ा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रिपोर्ट पढ़ी है उसी आधार पर ही तो कह रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या उसमें लोहे के कोटे के बारे में कोई पैराग्राफ दिया है कि उसने गड़बड़ी की है या नहीं ? इस बारे में कोई मुकम्मिल पैराग्राफ है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लोहे के कोटे की गड़बड़ी के बारे में कोई पैराग्राफ नहीं है। ऐसा रिपोर्ट में कुछ नहीं है। हां, विज्ञापन के बारे में जरूर उस पर आरोप है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सामान की खरीद के अन्दर जो करप्शन है उसकी आप जांच करवायेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप अलग से जांच करवाने के लिए तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

किसान कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, गंगानगर की ऑडिट रिपोर्ट

४६. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि गंगानगर किसान को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लि० की ऑडिट रिपोर्ट सन् १६५६—६० व १६६०-६१ में निम्नलिखित अनियमितताओं का उल्लेख

(श्री केदारनाथ)

है ? अगर हां, तो सरकार ने उनके सम्बन्ध में में क्या कार्यवाही की :—

(क) सदस्यों के शेयर मनी नकद न लेकर उधार खाते लिखी गई,

(ख) सदस्यों द्वारा शेयर खरीदने हेतु कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किये गये,

(ग) सदस्य रजिस्टर में जामिनों के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये,

(घ) खाद का गबन, कनक का गबन, खांड का गबन, इत्यादि ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : हां, यह आंशिक रूप से सत्य है। आक्षेपों की पूर्ति के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्योरा आक्षेपोंवार प्रस्तुत है।

(क) ऑडिट रिपोर्ट वर्ष १९६०--६१ में यह अंकित है कि रु० १८६२ बहुत से व्यक्तिगत खातों में नामे लिखे हैं, जिनमें कई सहकारी समितियां भी हैं। जिससे पुष्टि होती है कि हिस्सा राशि बिना प्राप्त किये ही सदस्य बनाया गया है। समिति को इस आपत्ति की पूर्ति के लिये लिखा गया। सदस्यों से रकम वसूल करने के प्रयास किये गये। जिनसे रकम वसूल न हो सकी। नियमानुसार नोटिस देकर सदस्यता से समिति द्वारा हटा दिया गया है।

(ख) ऑडिट रिपोर्ट वर्ष १९६०--६१ में उल्लेख है कि व्यक्तिगत सदस्यों से सदस्यता के फार्म प्राप्त नहीं हुए। उसकी पूर्ति हेतु समिति को लिखा गया। समिति द्वारा अब व्यक्तिगत सदस्यों से सदस्यता फार्म भरवाने प्रारम्भ कर दिये हैं। प्राथमिक ग्रामीण समितियों से प्रस्ताव सदस्यता व हिस्सा राशि हेतु लिये जाने लगे हैं।

(ग) सदस्य रजिस्टर में जामिनों के कोई हस्ताक्षर नहीं कराये जाते हैं। और इसका ऑडिट रिपोर्ट में कोई उल्लेख भी नहीं है।

(घ) खाद, कनक व खांड के गबन के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। केवल छीजत के बारे में उल्लेख किया गया है।

श्री केदारनाथ : यह जांच कब आपने इन्सटीट्यूट की ओर कम्पलेन्ट कब प्राप्त हुई ?

श्री भीमसिंह : यह ऑडिट रिपोर्ट सामने आई तो यह जानकारी आई और तभी से यह जांच कराई गई।

प्रश्न संख्या ४७

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह

Page No.26

सरपंच के विरुद्ध शिकायतें, ग्राम पंचायत, गोलाना

४८. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम पंचायत, गोलाना, पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़ के सरपंच के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें पेश होने के कारण सरकार द्वारा उन्हें निलम्बित करने के आदेश जारी किये गये थे ?

(२) राज्य सरकार के आदेश कब जारी किए गए और उन्हें कब अमल में लाया गया ? देर तक अमल में नहीं लाए जाने के क्या कारण थे या हैं ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सरपंच को निलम्बित करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जुझारसिंह : यह आप कैसे कह रहे हैं ? ऑर्डर्स हुए हैं, वह सस्पेन्ड हुआ है उसके बाद में री-इन्सटेट हुआ है और आप कहते हैं कि आदेश ही जारी नहीं हुए; ऐसी सूचना है जिसका कोई आधार नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उसको पृथक् किया गया है, निलम्बित के कोई आदेश नहीं हुए हैं।

श्री जुझारसिंह : पृथक् किन कारणों की वजह से किया गया, वे कारण क्या हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वे तो उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित हो गए। इस वजह में पृथक किया गया।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल (बयाना): क्या यह सरपंच कांग्रेसी है ?

श्री जुझारसिंह : मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या क्या उसके खिलाफ चार्जेज़ थे, जिनकी वजह से उसको पृथक् किया गया ? वे चार्जेज क्या थे वह बताने की कृपा करें ? आप कह रहे हैं उसको सस्पेन्ड नहीं किया गया केवल पृथक् किया गया है इसकी कोई वजह भी तो होगी ? मैंने तो प्रश्न में पूछा है कि उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेज़ थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपको चार्जशीट बताऊं क्या ?

श्री जुझारसिंह : जी हां।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पूरी चार्जशीट है आप कहें तो मैं मेज पर रख दूं।

श्री अध्यक्ष : एक, दो चार्ज बता दें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अश्रव्य

श्री अध्यक्ष : बस इतना बहुत है।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : माननीय अध्यक्ष जी, जिला झालवाड़ा में इस प्रकार का प्रचार है कि सूरजमल के नाम से संशोधन आ रहा है। कम से कम हाउस में ४० सदस्य जानते हैं कि उसके पीछे क्या क्या

(श्री प्रभुललाल सेन्टर)

राज हैं। उसने कम से कम २५ हजार का गबन किया है और कलेक्टरी में उसकी ४ फाइलें पड़ी हैं। उसका चार्ज वरगैह ले लिया गया है और मंत्री महोदय बिल्कुल झूठ कह रहे हैं कि उसके लिए कोई आदेश नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि उसको पृथक् कर दिया है, हटा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या मंत्री महोदय ने उक्त सरपंच को पृथक् करने से पहले सस्पेण्ड किया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : अलग से प्रश्न कैसे है ? पृथक करने से पहले क्या सरकार ने उक्त सरपंच को सस्पेण्ड किया था या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह जानकारी नहीं दे सकते तो फिर क्या दे सकते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल बयाना : प्रश्न यह है कि ग्रामपंचायत,गोलाना, पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़ के सरपंच के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें पेश होने के कारण सरकार द्वारा उन्हें निलम्बित करने के आदेश जारी किये गये थे ?....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय समझ गये। वह कह रहे हैं कि उनको सस्पेण्ड नहीं किया गया है, पृथक् किया गया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह तो आरोप उसके खिलाफ प्रमाणित हुए और उसको पृथक् किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह महसूस करती है कि इस सरपंच का पृथक्की-करण अनुचित रूप से हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार महसूस करती होती तो उसको पृथक क्यों करती ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि उस सरपंच को पृथक् करने के बाद में कोई स्टे ऑर्डर जारी किया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई स्टे आर्डर जारी नहीं किया गया है।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : कलेक्टर को लिखा गया है और वह अभी तक काम कर रहा है। अगर यह बात गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : अभी एक हफ्ते पहले की बात है....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य कुछ

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

कह रहे हैं और मंत्री महोदय कुछ कहते हैं। इसलिए जो भी सही बात है वह सदन के सामने आनी चाहिए। अगर मंत्री महोदय गलत बयानी करते हैं तो यह गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उनको स्टे के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि उनके खिलाफ चार्जेज नहीं देने की स्थिति में कार्यवाही नहीं की जाये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं कह चुका हूं। आपके पास प्रमाण हो तो सदन मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि आज वह उस पद पर नहीं है?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि आज तक उससे चार्ज नहीं लिया गया और चार्ज नहीं देने के खिलाफ जो भी प्रावधान पंचायत एक्ट में है उसका कोई उपयोग सरपंच के खिलाफ नहीं किया गया है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरे पास जानकारी नहीं है कि चार्ज लिया गया है या नहीं। अलग से प्रश्न पूंछेगे तो मैं जानकारी करके बता दूंगा।

(६.०० म० पू०)

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक ओर सरकार एक्ट में संशोधन करके अधिक सत्ता अपने पास ले रही है……………

श्री भैरवलाल 'कालाबादल', (अकलेरा): चार्ज पहले उप सरपंच से दिला दिया गया, मगर उप सरपंच को फिर से वापिस चार्ज दिला दिया गया, ऐसा आदेश है और उसने चार्ज ले लिया है वापिस यह नया आदेश जारी होने के बाद।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आदेश जारी नहीं किया गया तो उसने अपने हथकण्डे से वापिस ले लिया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है तो पूरी जानकारी कर लें। अगले सप्ताह इस प्रश्न को वापिस लिया जाय।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई आदेश नहीं दिया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या पंचायत ऑर्डिनेन्स जारी होने के बाद में उसकी कोई रिन्युअल पिटीशन राज्य सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक में इसको वापिस ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय बता दें कि जो चार्जेज़ उस सरपंच के खिलाफ साबित हुए हैं उन चार्जेज़ में जो कॉग्निजेबल ऑफेन्स का चार्ज है....

श्री अध्यक्ष : वह चार्जशीट भी सदन की मेज पर रख देंगे।

श्री भैरोंसिंह : कॉग्निजेबल ऑफेन्स साबित होने के बाद में इस तरह के केसेज़ में the man has been protected. The matter should have gone to Police for investigation.

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न अगले सप्ताह लेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : It has been postponed, Sir.

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मणप्रसाद।

जयपुर में पुलिस टूर्नामेंट के समय सड़क-निर्माण पर व्यय

४६. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६४ में जयपुर पुलिस टूर्नामेन्ट के समय खेलकूद तथा दौड़ आदि के लिए सड़क बनवाई गई थी? यदि हां, तो कितने रुपयों की मंजूरी थी और कितना खर्च किया गया?

(२) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने ठेके की शर्त के मुताबिक काम नहीं किया है और जल्दी के कारण उसे पेमेन्ट कर दिया गया?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवनीशंकर नन्दवाना) : (१) दौड़ मार्ग बनाया गया था। इस कार्य का अनुमानित व्यय ७१,००० रु० का था और ७१,७०० रु० खर्च हुए।

(२) ठेकेदार द्वारा कार्य शर्त के मुताबिक पूर्ण किया गया है तथा पेमेन्ट कार्य के पूर्ण होने पर ही किया गया है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : कुछ समझ में नहीं बैठा।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, माइक की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। वह बोलते हैं और सुनाई नहीं देता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) दौड़ मार्ग बनाया गया था। इस कार्य का अनुमानित व्यय ७१,००० रु० का था और ७१,७०० रु० खर्च हुए।

(२) ठेकेदार द्वारा कार्य शर्त के मुताबिक पूर्ण किया गया है तथा पेमेन्ट कार्य के पूर्ण होने पर ही किया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह ध्वनि-विस्तार की व्यवस्था स्पेशल करवाई जाय मंत्री महोदय के लिए। हमें कुछ सुनाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : यन्त्र की व्यवस्था तो ठीक हो जायगी लेकिन बाकी की व्यवस्था का क्या होगा?

(हंसी)

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : यह जो खर्चा हुआ है वह किसने दिया ?

प्रश्न संख्या ५०

श्री अध्यक्ष : श्री रामानंद अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री रामकिशन।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : सड़क जो बनाई है वह खुद पुलिस ने तैयार की और ठेकेदार ने काम नहीं किया है। ठेकेदार को केवल बनाम का पैसा दिया गया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसी बात नहीं है। आप प्रश्न तो बराबर नहीं पूछ सकते हैं। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है और सुनाई नहीं दिया यह एक तरह का बहाना करते हैं।

मजदूर कानूनों का उल्लंघन

५१. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार की जानकारी में है कि जयपुर में मेसर्स बी० आर० हरमन मोहता प्राइवेट लिमिटेड के युनिवर्सिटी के ठेके में मजदूर कानूनों का उल्लंघन किये जाने की रिपोर्ट हुई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त फर्म का चालान अदालत में कब तक पेश करने का इरादा रखती है ?

उपमंत्री-श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां, इस फर्म के विरुद्ध चालान पेश किया जाकर जुर्माना भी हो चुका है।

श्री रामकिशन : यह युनिवर्सिटी में जो काम किया है फर्म ने वह किस अर्से तक किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जब शिकायत पेश हुई तो चालान किया गया और जुर्माना हो गया।

श्री रामकिशन : मैं जो कुछ पूछता हूं उसको समझ लें। यह जो जुर्माना हुआ है वह मेरी जानकारी में है, लेकिन प्रश्न यह है कि युनिवर्सिटी में इस फर्म ने इस तरह से कितने समय तक काम किया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामकिशन : अलग से प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा मामला है। उस फर्म को बचाने के लिए उस पर मामूली सा जुर्माना कर दिया है। यह अलग से है तो दूसरा यह कि काम चला तो लेबर इन्सपेक्टर ने कितनी बार उसका मुआयना किया ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : मुआयना एक दफा किया ? उसका चालान कर दिया और उस पर जुर्माना हो गया।

श्री रामकिशन : तीन साल काम चला है और लेबर इन्सपेक्टर केवल एक बार मुआयना करें, क्या सरकार इसको काफी समझती है लेबर एक्ट के अनुसार ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : जब कि शिकायत हुई होगी तो मुआयना किया होगा। गलती पाई गई तो चालान कर दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह जो चालान किया गया वह चालान नॉन-मेन्टीनेंस ऑफ रेकॉर्ड के आधार पर किया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रेकॉर्ड ठीक ढंग से मेन्टेन्ड नहीं था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ठीक ढंग से मेन्टेन्ड नहीं था या बिल्कुल रेकॉर्ड नहीं था ? आपने जो चालान किया है वह क्या रेकॉर्ड के अभाव के कारण ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ठीक ढंग से रेकॉर्ड नहीं था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लेबर इन्सपेक्टर ने अपनी इन्सपेक्शन रिपोर्ट में लेबर लॉज़ का कितना वायलेशन हुआ है, उसकी रिपोर्ट कार्यालय को की थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कितने वॉल्यूम में किया है वह इस समय मेरे पास नहीं है। धारा १३-डी के अनुसार चालान किया गया और अदालत ने उस पर १२०)रु० जुर्माना कर दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको वीकली होलीडेज का पैमेन्ट नहीं दिया गया ? गवर्नमेंट ने उनको छुट्टी का पैसा नहीं दिलवाया। वहां पर २५०-३००मजदूर काम कर रहे हैं। बराबर दो साल तक काम करते रहे और उनको वीकली होली डे का पैसा नहीं दिया गया और एम्प्लायर्स का इसके लिए कोई प्रोसीक्यूशन नहीं किया गया, क्या यह बात सही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : क्लेम करना चाहिए था। क्लेम किया या नहीं ? उस समय नहीं किया होगा। यह अलग प्रश्न पूछते। क्लेम किया होगा तो कार्यवाही चल रही होगी। क्लेम नहीं किया तो क्या कार्यवाही चलती ?

श्री राम किशन : अलग से प्रश्न नहीं है। इन्सपेक्टर को क्लेम फाइल करना चाहिए था। यदि नहीं किया तो यह बात साबित करता है कि सरकारी मशीनरी बड़े-बड़े उद्योगपतियों से मिली रहती है। मंत्री महोदय को जो जवाब दिया जाता है वह ऊपर ही ऊपर का होता है और सरकार उससे ही सन्तोष कर लेती है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। लेबर लॉज़ का वॉयलेशन होता है और आपका कार्यालय कुछ नहीं करता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि केवल मैनेजर पर १२०) रु० जुमाना कर दिया और डाइरेक्टर के खिलाफ चालान क्यों नहीं किया गया ? उसको क्यों नहीं पकड़ा गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लेबर इन्सपेक्टर की कोई गलती नहीं है। क्लेम पेश किया जाता तो जरूर कार्यवाही की जाती। क्लेम पेश नहीं किया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं देता है क्या किया जाय ?

श्री रामकिशन : प्रश्न यह है कि आपने उस फर्म के मैनेजर का ही चालान क्यों पेश किया और डाइरेक्टर का चालान क्यों नहीं किया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वहां पर जो काम करता होगा। सब का चालान कैसे किया जायगा ?

श्री रामकिशन : फर्म का मतलब क्या मैनेजर ही है या डाइरेक्टर वगैरह सब मिला कर ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : (श्री भवानी शंकर नन्दवाना के बोलने पर) दूसरे माइक पर बोल दें। बिल्कुल सुनाई नहीं देता है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति अपने मैनेजरों की मारफत काम करवाते हैं लेबर लॉज में डाइरेक्टर भी एम्प्लॉयर की तारीफ में आते हैं, तो लेबर लॉज् में केवल मैनेजर का ही चालान कर दिया जाय और डाइरेक्टर का चालान नहीं किया जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) : मैनेजर का चालान नहीं हो सकता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नियमानुसार जिसका चालान हो सकता था उसका किया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नियमों को आप तोड़ रहे हैं। नियमों को आपने ताक में रख कर डाइरेक्टर का चालान नहीं किया क्योंकि वे बहुत बड़े उद्योगपति हैं और उनसे आपको चन्दा मिलता है।

श्री राम किशन : नियमों की जानकारी दे रहे हैं मगर नियमों का आप पालन नहीं करते हैं। नियम यह है कि मालिक यानि डाइरेक्टर का चालान होना चाहिए। मैनेजर का चालान नहीं होना चाहिए। फर्म का मतलब मैनेजर या क्लर्क नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): लाखों रुपया उसने मजदूरों का वीकली होलीडेज का गबन कर लिया और आपने उसको १२०) रु० जुर्माना करके छोड़ दिया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मजदूरों से आपको इतनी हमदर्दी थी तो उनसे क्लेम करवाते। खाली प्रश्न पूछ कर हमदर्दी जाहिर करते हैं।

श्री रामकिशन : यह सारा प्रश्न बहुत गम्भीर है। मैं समझता हूं कि इसमें जो पूछा गया है उसकी दुबारा जानकारी होकर सरकार जवाब दे। यह प्रश्न केवल हमारे लिए ही नहीं है। यह प्रश्न आपके लिए भी है क्योंकि आप श्रम मंत्रालय सम्भाले हुए हैं। श्रमिकों का आपको विश्वास प्राप्त करना चाहिए।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप बता दें कि मजदूरों ने क्लेम किया हो और सरकार की तरफ से कार्यवाही नहीं की गई हो ?

श्री रामकिशन : क्लेम तो लेबर इन्सपेक्टर को करना चाहिए था सरकार की तरफ से।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कानून के तहत यह दिया हुआ है कि लेबर इन्सपेक्टर की यह ड्यूटी है कि वह मजदूरों की क्लेम पिटीशन तयार करे और अदालत में पेश करे। मंत्री महोदय को अगर नियमों का ज्ञान नहीं है तो मुझे बहुत अफसोस है। यह श्रम मंत्रालय, अध्यक्ष महोदय, ऊपर से नीचे तक इन्कॉम्पीटेन्ट हाथों में हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो मंत्रीजी को इतनी फुरसत है और न उप मंत्रीजी को कानून का ज्ञान है और न वह कोई कन्ट्रोल अपने सारे अधिकारियों पर रख पाते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नो कमेन्टस उनको ज्ञान नहीं है और आपको ज्ञान है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिफारिश करूंगा कि इनको श्रममंत्री बना दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको बना दिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये बहुत वर्षों से बेचारे तकलीफ पा रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमारी पूर्ण सहानुभूति इनके साथ हैं इनको मंत्री बनाया जाय। हमारा पूरा भरोसा इनके प्रति है इनको जरूर बनाया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको बनादें।

श्री रामकिशन : क्या करें मंत्री मण्डल के विश्वास भाजन नहीं हैं इसलिए बेचारे हाथ मलकर रह जाते हैं। हमारी पूरी सहानुभूति इनके साथ है।

श्री मानसिंह महार : कोलसाहब का क्या होगा?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पोलियो विशेषज्ञ की नियुक्ति

३६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या स्थाई पद के लिए पी० एस० सी० द्वारा निर्वाचित उदयपुर अनुसंधान शाला के पोलियो विशेषज्ञ से जयपुर अनुसंधान शाला में संग्रहणी विशेषज्ञ का कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो एक स्थाई पद पर नियुक्त व्यक्ति को अस्थाई पद पर परिवर्तित क्यों किया गया? तथा पोलियो के विशेषज्ञ से संग्रहणी के विशेषज्ञ का कार्य लेना क्या वैज्ञानिक पद्धति है?

उत्तर

जी हां, अनुसंधानशाला जयपुर को व्यवस्थापित करने की दृष्टि से लगाया गया है।

बाड़मेर म्युनिसिपल बोर्ड का पॉवर हाउस

४४. श्री उम्मेदसिंह (बाडमेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर म्युनिसिपल बोर्ड के पाँवर हाउस को राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को देने के बाबत कोई बात-चीत चल रही है ?

(२) अगर हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

(३) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड बाड़मेर की आर्थिक क्षमता इतनी नहीं है कि पाँवर हाउस को सुचारु रूप से चला सके व कस्बे की जनता को सन्तोष प्रदान कर सके ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) बातचीत अभी चल रही है।

(३) जी हां।

जांच कमीशन की मांग पंचायत समिति, अलसीसर

४७ श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुन्झुनू को बाजरे का बीज खराब हो जाने के कारण ४०००) रु० का नुकसान हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समिति की साधारण सभा ने १७-११-६२ को पंचायत समिति के विकास अधिकार के विरुद्ध जांच कमीशन बैठाने का निर्णय लिया था ?

(३) क्या यह निर्णय विकास आयुक्त को भेज दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(४) क्या यह सही है कि अभी तक कोई जांच कमीशन इस सम्बन्ध में नहीं बिठाया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां। ११०० रु० का नुकसान हुआ। जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

शराब की दुकान का अलॉटमेंट-कोटा

५०. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा में शराब की दुकान एक व्यक्ति लक्ष्मीनारायण को अलॉट की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि लक्ष्मीनारायण ने यह अलॉटशुदा दुकान पुराने ठेकेदार को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बेच दी और राज्य सरकार ने इस ट्रान्सफर को मंजूर कर लिया ?

(३) यदि हां, तो यह ट्रान्सफर कौनसे नियम के तहत मंजूर किया गया ? कृपया संबंधित नियम सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) श्री लक्ष्मीनारायण ने श्री टीकाराम साहनी के नाम दुकान चलाने के लिये power of Attorney करा दी थी। चूंकि इस power of Attorney में एक शर्त थी की power को संसूख नहीं किया जा सकता यह कार्य transfer की तारीफ में आता था और विभाग से इस के लिये मंजूरी नहीं ली थी। इस लिये डिप्टी कमिश्नर कोटा ने लाईसेंस कैंसिल कर दिया है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शराब बेचने के ठेके--बांसवाड़ा

८. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) जिला बांसवाड़ा की किस किस तहसील में किस किस ठेकेदार को शराब बेचने का ठेका दिया हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ के ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्त के अनुसार ठेके की किश्त की रकम अभी तक नहीं चुकाई गई है।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं, किश्त की रकमें जमा हो चुकी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड़ स्टेट बैंक के कर्मचारी द्वारा अनियमितताएं

९. गोविन्दसिंह (पिडावा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि झालावाड़ स्टेट बैंक के कुछ कर्मचारियों पर बैंक की रकम गबन करने या अनियमितताएं करने पर केस चला था ?

(२) यदि हां, तो उन कर्मचारियों द्वारा कितनी २ रकम का गबन किया गया पाया गया और उस रकम को वसूल करने की क्या कार्यवाही की गई ? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) जिन २ कर्मचारियों पर रकम का गबन करना पाया गया, क्या वे कर्मचारी राज्य सरकार की सेवा में अभी भी हैं ?

(श्री गोविन्दसिंह)

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त बैंक कर्मचारियों ने भी बैंक से कर्जा ले रखा था ? यदि हां, तो उन्होंने कितना २ कर्जा किस जमानत पर ले रखा था ? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) झालावाड़ स्टेट बैंक के ६कर्मचारियों पर गबन का केस चला था। उनके नाम ये हैं : (१) मुरली मनोहर मैनेजिंग डायरेक्टर, (२) गुलजारीलाल कारकुन कम केशयर, (३) अम्बिकाचरण–कारकुन, (४) द्वारकालाल-क्लर्क, (५) मोहम्मद इनामुद्दीन-क्लर्क, और (६) कन्हैयालाल, चपरासी।

(२) कुल गबन ११६०७ रु० का था। अदालत से मुरलीमनोहर व गुलजारीलाल को कैद व जुर्माने की सजा दी गई। बाकी ४ को बरी कर दिया गया। मुरलीमनोहर ने हाई कोर्ट में अपील की थी जहां कैद की सजा हटा कर सिर्फ जुर्माने की सजा दी गई।

(३) मुरलीमनोहर, गुलजारीलाल और अम्बिकाचरण को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। द्वारकालाल को भी बर्खास्त किया गया; इनामुद्दीन और कन्हैयालाल सरकार की सेवा में हैं।

(४) बैंक के कर्मचारी दूसरें कर्जदारों की तरह बैंक से कर्जा लेते थे। इनकी फहरिस्त तैयार होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

गंगापुर – भाडौती रोड़ की मरम्मत

१०. वैद्यश्रीवैद्यगोविन्दसहाय(गंगापुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेगें :—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर से भाडौती रोड जो नई ही बनी है उसकी हालत मरम्मत के अभाव में काफी खराब हो चुकी है ?

(२) क्या यह सही है कि जिले के हैड क्वार्टर से मिलने के लिये यह मुख्य सड़क है ?

(३) क्या भाडौती रोड पर सरकार तारकोल कराने की स्वीकृति दे चुकी है ?

(४) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सड़क की हालत साधारण है।

(२) जी हां।

(३) डावर किये जाने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक भीलवाड़ा द्वारा बकाया की वसूली

११. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायक) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भीलवाड़ा में कोई सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ? यदि हां तो उक्त बैंक कितने सालों से कार्य कर रहा है ?

(२) उक्त बैंक की पिछले तीन साल की सालाना रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(३) उक्त बैंक का किस किस सहकारी समितियों में कितना कितना रुपया किस किस तारीख से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या उक्त बैंक ने अपनी बकाया रकमों की वसूली करने लिये कोई सक्षम कदम आज तक उठाये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। भीलवाडा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० गत ११ साल से कार्य कर रहा है।

(२) बैंक की ३ साल की सन् १९६०-६१, १९६१-६२, व १९६२-६३ सालाना रिपोर्ट (परिशिष्ट क) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) सूची परिशिष्ट (ख) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(४) जी हां। बैंक ने अपनी बकाया रकमों की वसूली के लिये जिन जिन सहकारी समितियों में रकम लम्बे समय से बकाया हैं उनके खिलाफ सहकारी अधिनियम, १९५३ की धारा ९९ के तहत वसूली की कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव पारित किये एवं बैंक को सुपरवाईजरी स्टाफ ने ४,५७,५००) रु० के केसेज बनाकर सहायक रजिस्ट्रार को भिजवायें।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

औद्योगिक सम्पदा क्षेत्र, कोटा

१२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) कोटा नगर के औद्योगिक सम्पदा क्षेत्र में कौन २ सी इन्डस्ट्रीज के लिए टीन शेड्स अथवा भूमि किन २ व्यक्तियों को कब २ एलॉट की गई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उक्त इन्डस्ट्रीज में से कौन-कौन सी इन्डस्ट्रीज ने कार्य आरम्भ कर माल का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ?

(३) बकाया इन्डस्ट्रीज के उत्पादन कार्य के आरम्भ न होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) यह सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूची अ, ब में उपलब्ध है।

(२) यह सूचना उपरोक्त सूची (अ) व (ब) के कॉलम नम्बर ६ व ७ में उपलब्ध है।

(श्री उद्योग मन्त्री)

(३) यह सूचना उपरोक्त सूची (अ) व (ब) के कॉलम नम्बर ७, ८ व ६ में देखिए।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(६.१० म०पू०)

सदन से अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति

श्री अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि निम्नांकित सदस्यों ने विधान सभा की बैठक से उस समय तक के लिए जो उनके नाम के आगे अंकित हैं, अनुपस्थित रखने की अनुमति चाही है :

(१) श्री हरिप्रसाद शर्मा (वि सं० १३६) ३ अगस्त, ६४ से सत्र के अंत तक।

(२) श्री प्रतापसिंह (वि. सं० १३६) ३ अगस्त, ६४ से १८ अगस्त, ६४ तक।

श्री रामकिशन (वैर) : इनको मना क्यों नहीं कर दिया जाय····

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें अनुपस्थित रहने की इजाजत दी जाय।

विधान सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा खाद्यान्न सग्रह विषयक वाद-विवाद

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) मैं निवेदन करूंगा श्री प्रतापसिंह के लिए कि उनको अनुपस्थित रहने की इजाजत नहीं दी जाय, कारण उसके अन्दर बहुत गंभीर है। क्योंकि वे अपने इलाके के एम. एल. ए. हैं और उस नाते जो लोकल ऑफिसर्स है उन पर वे बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं और मन्त्री मंडल के वरिष्ट अधिकारियों की उनके ऊपर कृपा है। आज मैं गंभीर बात सदन की सूचना के लिए रखना चाहता हूँ, वैसे मैं और अधिकारियों से भी बात करूंगा और चेम्बर में अध्यक्ष महोदय से भी बात करूंगा। आज उस इलाके में जो भूख की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है उसका कारण प्रतापसिंहजी हैं। आज हजारों मन गल्ला उनकी कोठी में भरा हुआ है। मैंने खुद ने लिखकर अधिकारियों को दिया है। वहां पर लाठी चार्ज हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, सैकड़ों आदमियों ने प्रदर्शन किए हैं। ऐसे व्यक्ति को फौरन यहां लाया जाय, इसलिए उनको अनुपस्थित रहने की इजाजत नहीं दी जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सदस्य ने एक सदस्य पर बहुत सीरियस एलिगेशन्स लगाये हैं। उसका इफेक्ट केवल उन पर ही नहीं है बल्कि इसका इफेक्ट उस इलाके की जनता पर पड़ा हुआ है। सरकार इस पर मौन रह जाय। अध्यक्ष महोदय, जो एलिगेशन्स माननीय सदस्य ने लगाये हैं उनको रिफ्यूट करने की सरकार में ताकत नहीं है, इन्कार करने की जरूरत नहीं समझते और उधर कहते हैं कि भाव कंट्रोल में नहीं आता, जमाखोरोंको आप पकड़ नहीं सकते। माननीय सदस्य हाउस में सूचना देते हैं तो मौन रहते हैं। ऐसी सरकार का निकम्मापन है। इस प्रकार के फेक्ट्स सदन के सामने आते हैं तो

(श्री भैरोंसिंह)

यह सदन के लिए शोभा की बात नहीं है और सरकार के लिए तो बिल्कुल लज्जा का विषय है। इस सदन में आरोप लगाया जाय और मंत्री बैठे रहें, ट्रेजरी बैन्चेज भरी हैं लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते। आरोप सही हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य ने हाउस के सामने जो बातें रखी हैं वे अगर सही नहीं है तो सरकार उनको कॉन्ट्राडिक्ट करे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय इसको उत्तर दें, उनके पास जानकारी है तो दे सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने आरोप लगाये हैं विशेषरूप से लिखित रूप में शिकायत की है कि अमुक व्यक्ति के पास अवैधानिक तरीके से धान है तो मैं समझता हूँ माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जिस अधिकारी के सामने शिकायत की है वह जांच करेंगे...

श्री रामकिशन : अधिकारी की क्या हिम्मत है, वह समझता है उसकी ट्रान्सफर हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : कोई भी हो, माननीय सदस्य या सामान्य तौर से कोई भी नागरिक शिकायत करें तो यह मानकर चलना चाहिए कि वे जांच करेंगे और उसके बाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: विचित्र स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय' वहां के पुलिस अधिकारियों और से कलेक्टर से कहा कि दो ट्रक गल्ला भरा चला जा रहा है जिस समय आम जनता ने ट्रक पकड़ा ट्रोली लदा हुआ उसमें से उतार कर रख दिया, कलेक्टर को लिख कर दिया लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके खिलाफ कार्यवाही करता। जैसे चपरासी सिगरेट जलाता है वैसे ही आम जनता में इस तरह से उनकी सिगरेट जला कर देता है जैसे कोई चिलम भर रहा हो

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अन्य आरोप लगाये उनकी चर्चा यहां न करके जो उन्होंने लिखित शिकायत दी है और सबूत देने को खुद तैयार हैं तो मैं समझता हूं सरकार गम्भीरता से इसकी जांच करेगी और माननीय सदस्य को संतोष करा-येगी।

श्री भैरोंसिंह : जांच का सवाल नहीं है, इमिडियेट एक्शन का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : जांच के बाद तद्नुसार कार्यवाही हो सकती है। धान जब्त करना और कानूनी कार्यवाही करना सब जांच से सम्बन्धित हैं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : क्या मैं जान सकूंगा कि माननीय सदस्य ने यह शिकायत जो उन्होंने सदन में की वह किस ऑफिसर के पास किस तारीख को दी...

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय,...

श्री मथुरादास माथुर : मैं पूरी बात कह दूं। दूसरी बात यह कि शिकायत करने

(श्री मथुरादास माथुर)

के बाद उन्होंने गवर्नमेंट के किसी रिप्रजेन्टेटिव मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर के यहां पर किसी भी जरिये से सूचना दी क्या कि अधिकारी जांच नहीं करते। ये दो बातें मैं जानना चाहूंगा। मेरे समक्ष यह बात आपने सदन में रखी तब आई है। आप ये दो बातें बता देंगे तो गवर्नमेंट जरूर, यदि कोई एम० एल० ए० है। एम० पी० है या दूसरा कोई भी कानून की अवहेलना करता है, तो सरकार हमेशा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने को तैयार है और तैयार रहेगी।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : यह पत्र सुबह ८ बजे २ तारीख को कलेक्टर को दिया है और इसकी कॉपी सभी मिनिस्टर्स को दी है। इसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा हम कोई शान या मान का प्रश्न नहीं उठाना चाहते। यदि इस प्रश्न को खड़ा करने में मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिये में अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहूंगा। उस इलाके की जनता के जीवन-मरण का सवाल है, वे अन्न के लिये तड़प रहे हैं। आज भी मैं अपील करूंगा कि ऐसे व्यापारी हैं जिनका अनाज विभिन्न गावों में भरा हुआ है, उनकी कोठी में भरा हुआ गल्ला है, वह सस्ती कीमत पर जनता को उपलब्ध हो सके तो जनता पर आप बड़ी महरबानी करेंगे। गरीबों के लिये में पुर-जोर शब्दों में यह प्रश्न उपस्थित करता हूं। इसमें यदि कोई गलती हुई है।

श्री **अध्यक्ष** : गलती तो किये जा रहे हैं। प्रश्न छोटा सा यह है, मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया है कि जो शिकायत दी है और अन्न देने को तैयार हैं उसकी तत्परता से जांच की जायगी।

श्री **भैरोंसिंह** : ऐसे मसले पर २ तारीख को कलक्टर के पास शिकायत होती है और आज ५ तारीख तक सूचना अखबारों से नहीं मिली कि क्या एक्शन लिया गया है। तीन दिन तक मौन रखने का कारण समझ में नहीं आया।

श्री **मथुरादास माथुर** : २ तारीख को ८ बजे कलेक्टर को शिकायत की और आज ५ तारीख है। गवर्नमेंट के सामने और सदन के सामने ५ तारीख को यह सवाल रखा गया है। कलेक्टर से पूछने का समय तो हमें मिलना चाहिए। यह बात कल भी आप कह सकते थे, कल फूड पर बहस हुई उस समय इस बारे में कुछ नहीं कहा गया....

श्री **रामकिशन** : कल तक ये 'गिरफ्तार थे।

एक माननीय सदस्य : आप तो यहां थे। आपने क्यों नहीं कहा?

श्री **रामकिशन** : मेरे सामने लिख कर नहीं दिया था।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : नौ ट्रक मिले।

श्री **अध्यक्ष** : इसको दोहराइये नहीं। आपको जो कहना था वो कह दिया, मंत्रीजी, ने आश्वासन दिया है, आपको उससे संतोष होना चाहिये।

Page No.41

श्री **मथुरादास माथुर** : उस पत्र की कॉपी हमें भी दे दी जाय।

श्री **मुकुटबिहारीलाल (गोयल)** : अभी ५ मिनिट में पहुंचा देता हूं।

श्री **हीराभाई** (कुशलगढ़) : ऐसे लोगों को हाथ पांव-बांध कर बाजार में घुमाया जाय, भले ही हथकड़ी मत लगाओ....

अध्यक्ष : वित्त मंत्री।

श्री **बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट एण्ड वेलिडेशन) बिल..............................

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, Excuse me for interruption. मैं यह बात जानना चाहता था कि अभी श्री मुकुटबिहारीलालजी ने प्रश्न खड़ा किया कि उन्होंने धौलपुर के एम. एल. ए. के गल्ले के बारे में लिख कर कलेक्टर को दिया और उन्होंने कार्यवाही नहीं की। आपने यह लिख कर दिया है कि उनके पास नाज का इल्लीगल कोटा पड़ा हुआ है इसलिए तलाशी ले करके उसे सीज किया जाना चाहिए या केवल यह लिख कर कि उनके वहां पर नाज जमा है और उसको सीज़ किया जाना चाहिए ?

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : मैंने यह लिखा है कि बहुत बड़ी तादाद में छुपा कर गल्ला अपने यहां पर रखा गया है........

श्री **भैरवलाल 'कालबादल'** : कौन से छुपा कर ?

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : उन्होंने ८०० मन........

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं एक स्पष्टीकरण आपसे चाहूंगा........

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : उन्होंने ८०० मन गल्ले का डिक्लेरेशन दिया है। मेरी वहां के कलेक्टर से बात हुई, वहां के एस. पी. से बात हुई। उनका कहना था कि कौनसे कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। हमने उनको कानून का रेलेवेन्ट सेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि ८०० मन गल्ले का डिक्लेरेशन किया गया है। हमने कहा कि ८०० मन से ज्यादा गल्ला मिलेगा। हमने उनको आसामियों के नाम दिये और कहा कि इनसे पूछ लीजिये। इसके अलावा दूसरे किसानों से पूछा है कि उन्होंने अपने गल्ले को अपने पास तो नहीं रखा है। और हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया। हमने किसानों के नाम दिये, गांवों के नाम दिये इनकी लिस्ट दी। हमने बताया कि इन इनके यहां देख लीजिये कि किसानों के पास गल्ला है या नहीं। उनके पास नहीं है तो उनसे डिक्लेरेशन ले लीजिये। आप उनका कोठा और खत्तियां देख लीजिये कि ८०० मन गल्ला भरा है या ज्यादा ? उन्होंने आठ दिन पहले ट्रान्जेक्शन कर दिया और राबाखेड़ा ब्लॉक के लिए वे भेज चुके हैं ट्रोली में भर कर। वे ले जाने लगे तो हमने देखा कि उसमें ८०० मन से ज्यादा आता है ट्रक से निकालने पर

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

धौलपुर से तीन-चार मील के बाद गैर-इलाका आ जाता है। यह भी मैं बता दूं कि पचगांव से आठ-नौ ट्रक लदे।

इस प्रश्न को उठाने में कोई शान की बात नहीं है और न ही हम आपकी नीयत पर शक करना चाहते हैं। हम तो पब्लिक का उद्धार करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं और उनके लिए इन्तजाम करने की बात करना चाहते हैं कि हमारे यहां के इलाके से गैर-इलाके में गल्ला नहीं निकाला जाय और हमारे इलाके के लोगों को भूखा मरने से बचाया जाय।

यदि इस प्रश्न को खड़ा करने में मुझसे गलती हुई है या गलत तरीके से मैंने इस प्रश्न को सदन के समक्ष उठाया है तो मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि विशेष तौर से इस प्रार्थना को करने की इजाजत दी जाय। सरकार इस सम्बन्ध में जांच करने का आश्वासन दे और सरकार अपने अधिकारियों को भेजने को तैयार है तो मैं इसी क्षण धौलपुर जाने को तैयार हूं और मैं इसके बारे में आपकी मदद करूंगा, जनता की मदद करूंगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आज तो बहुत नम्र निवेदन कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इल्लीगल स्टॉक है उसके चैकिंग के बारे में आप कार्यवाही कराना चाहते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जी हां।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक मोटी सी बात है! माननीय सदस्य के कहने के अनुसार एक ट्रक गल्ले का भरा हुआ कहीं जाता है। उस ट्रक को पकड़ा जाता है। लेकिन सरकार आज इस स्थिति में है कि यह बता सके, वह ट्रक कहां जा रहा था ? उसको पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। जो तथ्य माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष रखे हैं उनके सम्बन्ध में सरकार को तनिक मात्र जानकारी प्राप्त नहीं है। मेरे ख्याल में यह बड़ी दुखद समस्या है और कम से माननीय सदस्य जब बार बार कह रहे हैं धौलपुर का गल्ला धौलपुर वालों के लिए रहे, धौलपुर का गल्ला धौलपुर के बाहर नहीं जाय, राजस्थान का गल्ला यू. पी. में नहीं जाय, तो यह स्वाभाविक और परम आवश्यक चीज है कि इस सम्बन्ध में सरकार को बहुत गहरे रूप से विचार किया जाना चाहिए........

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक निवेदन और है।

महारावल लक्ष्मणसिंह : बार बार इस तरीके की बातें आती हैं तो हम जो इधर बैठने वाले लोग हैं उनके मन में भावना उठती है अतः सम्भवतः मेरा ख्याल गलत हो हमारे मन में भावना उठती है कि सरकार कुछ न कुछ चीज छुपाती है, सरकार अपने आदमियों को बचाने की चेष्टा करती है। यह मेरे ख्याल में प्राइमा-फेसी ख्याल है जो सरकार के लिए घातक है और जनता के लिए भी बहुत बुरी चीज है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक निवेदन करना है........

Page No.43

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो एक बात यहां पर कही गई और मेरी अनुपस्थिति में आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से तो पहले सारी स्थिति साफ होनी चाहिये। इसमें कोई बात छिपाने की बात नहीं है। सारा प्रश्न इस बात का है, इसमें हम किसी बात को छिपाना नहीं चाहते। लेकिन उसके साथ साथ एक एम. एल. ए. के घर पर हमला करके....

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : यह बिल्कुल गलत है। कोई हमला नहीं हुआ।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : नाज लूटा जाय यह सब उसके साथ में आने चाहिए।

श्री **मुकुबिहारीलाल गोयल** : यह बिल्कुल गलत है। वहां बन्दूक और लाठी लेकर सिपाही खड़े थे।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : इतनी बात नहीं होनी चाहिये, और जो वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी देनी चाहिए।

श्री **मुकुट बिहारीलाल गोयल** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं........

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : इस तरह से जो लूटने की जो स्थिति सामने आती है ....

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : एक एम. एल. ए. अनुचित गल्ला भरकर रखता है........

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : उसको इस तरह से साइड ट्रेक करना चाहते हैं।

श्री **मुरलीधर व्यास** : एम. एल. ए. का घर तो पहले लूटा जाना चाहिए अगर वह........

श्री **मोहनलाल खाड़िया** : गल्ले की लूट नहीं करने दी जायगी। लूट करने की बात कही जाती है यह नहीं होने दिया जायगा।

श्री **मुरलीधर व्यास** : एम. एल. ए. को चाहिए था........

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : अगर एम. एल. ए. के खिलाफ शिकायत थी तो गवर्नमेंट को कह सकते थे। लूट वाली बात नहीं होने दी जायगी।

श्री **मुरलीधर व्यास** : ऐसे एम. एल. ए. को हाउस में नहीं चाहते हैं जो चौरी, भ्रष्टाचार और तस्करी करने वाला हो और ऐसे आदमियों के खिलाफ फौरन कार्यवाही होनी चाहिये और डी. आई. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही करके जेल के अन्दर बन्द कर देना चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप वैधानिक........

श्री **मुरलीधर व्यास** : एम. एल. ए. का मतलब यह नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको सजा देनी चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

श्री मुरलीधर व्यास : हम तस्करी करें तो इसका मतलब नहीं कि हम एम. एल. ए. हैं तो हम बच जायं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस तरह लूट नहीं करने दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आपने कहा, एम. एल. ए. हो, कोई हो उसके घर जाकर लूटा जायगा । मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदारी है सदन के सदस्य को, उसके अनुसार ऐसी अवैधानिक कार्यवाही करने के लिए कहना अनुचित है । आप जो बात कहते हैं उसका असर जनता पर पड़ता है । सामान्य जनता आपकी बात का क्या मतलब निकालेगी इसका आपको ख्याल होना चाहिए और सोच-समझ कर बात करनी चाहिए । किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का कानूनी अधिकार सरकार को है । सरकार अपने अधिकार का उपयोग नहीं करती है तो प्रश्न इस सदन में उठाया जा सकता है और यहां पर उठाने का मौका दिया जायगा । लेकिन गैर-कानूनी चीज करने के लिए माननीय सदस्य उत्साहित न करें तो उपयुक्त होगा । सदन के समक्ष और सदन के फ्लोर पर इस तरह की बात करना अनुचित है ।

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्रीजी ने विवाद खड़ा किया था । आपका मतलब यह नहीं था....

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री हरिराम चौहान : माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : एक मिनिट !

श्री अध्यक्ष : एक मिनट नहीं मिलेगा । आप स्थान ग्रहण करें ।

(६.२७ म० पू०)

अधिक एवं अनुपूरक अनुदान की मांगों की प्रस्तुति

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित विवरणों का उपास्थापन करता हूं :—

(१) अधिक अनुदानों की मांगें, १९६०–६१

(२) अनुपूरक अनुदानों की मांगे, १९६४–६५ (प्रथम खण्ड) ।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर अनुचित गल्ला रखेंगे तो लूटेंगे ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लूटेंगे तो कानून आ जायगा ।

एक माननीय सदस्य : आपको भी लूटेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे घर में हो तो आप बड़े प्रेम से लूटो ।

राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६४
(पुरःस्थापन)

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थाग पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट एण्ड वेलिडेशन) बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूं। मैं आर्डिनेन्स जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order. Sir, अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने धौलपुर मे किसी एम० एल० ए० के घर को लूटने की घटना का उल्लेख इस सदन में किया। यह मामला अभी तक पुलिस में है और सम्भवतः जैसी सरकार की भावना लगती है, मामला कोर्ट में जायगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन में इस प्रकार कि सूचना दे सकते थे कि उनके पास इस प्रकार की सूचना आई है कि लोगों ने अनाज उनके मकान पर जाकर लूटा। लेकिन मुख्य मंत्रीजी अधिकृत रूप से नहीं कह सकते कि एम. एल. ए. के घर को लूटा गया—ऐसा केस के बारे में नहीं कह सकते जो केस कोर्ट में जाने वाला है और पुलिस के अन्डर इन्वेस्टीगेशन है। इसमें विवाद बहुत बड़ा है-लूटा गया या नहीं लूटा गया? सरकार की एक कन्टेन्शन है जब कि दूसरे लोगों की दूसरी कन्टेन्शन है। ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर में गवर्नमेंट अपनी ओपिनियन अपने को प्रिजुडिस करके हाउस में एक्सप्रेस करें तो उसका असर उस एडमिनिस्ट्रेशन पर निश्चित रूप से पड़ेगा जो जस्टिस को डिलिवर करने वाला है। इसलिए मैं आपके द्वारा पॉइन्ट रेज़ करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार के शब्द कहे हैं वह अनुचित हैं, सब-जुडिस मैटर के अन्दर एक इन्टरफियरेन्स का संकेत करते हैं इसलिए उन शब्दों को या तो मुख्य मंत्री जी वापिस लें या उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की है कि मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही कि धौलपुर के एम. एल. ए. का मकान लूटा गया वह उनको नहीं कह देनी चाहिए थी क्योंकि जो जांच होगी वह इससे प्रिजुडिस हो जायेगी। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई धारणा सदन को बनानी चाहिए। जो हमारे नियमों के अन्तर्गत स्थिति है या जो हमारे संविधान में स्थिति है वह यह है कि जो भी मंत्री महोदय यहां बोलते हैं वे व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बोलते हैं-यह हर समय सम्भव नहीं है। जो भी वे कहते हैं, वह जो सरकारी तंत्र है, उनके जो अधिकारी हैं, उनकी धारणाओं और विचारों पर अपने मत व्यक्त करते हैं। और अगर इसका चालान पेश होता है तो वह सरकार की तरफ से होता है, एग्जीक्यूटिव के एक्शन से होता है जो जुडिशियरी के सामने जाकर चार्ज शीट पेश करता है। इसलिए जो माननीय सदस्य ने बात कही, अगर वह मानी जाय तो यह सम्भव नहीं होगा कि मंत्री महोदय यहां खड़े होकर अपने अधिकारियों के एक्शन्स का समर्थन करें या जिम्मा लें। इसलिए जो आपत्ति उठाई गई है उसको मैं अनुचित समझता हूं और अस्वीकार करता हूं और मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कहीं उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है ऐसी व्यवस्था देता हूं।

(६.३० म० पू०)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६४

(विचार-विमर्श)

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६४ विचारार्थ लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अब्दुल जब्बार ।

श्री रामकिशन (वैर) : कल जो स्थगन प्रस्ताव था वह आज के लिये था ।

श्री अध्यक्ष : धौलपुर की स्थिति के सम्बन्ध में ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सम्भवत : कल ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल बयाना : कल धौलपुर की स्थिति के बारे में उत्तर मिलेगा ।

श्री रामकिशन : कल भी नहीं हो तो फिर आगे ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो ऑर्डिनेन्स लिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई प्रस्ताव उस पर है ।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति और जिला परिषद् में है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : दोनों में है ।

श्री अध्यक्ष : मेरी ऐसी सूचना है कि बकाया तीन ऑर्डिनेन्स हैं उस सम्बन्ध में वैधानिक प्रस्ताव आये थे । लेकिन राजस्थान पंचायत समिति सेकिन्ड एमेन्डमेंट बिल पर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसके बारे में कल फिर पुष्टि कर ली गई है ।

श्री अब्दुल जब्बार ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् (सेकिन्ड एमेन्डमेंट) बिल प्रस्तुत हुआ है इसके सम्बंध में यदि माननीय मंत्री महोदय इतनी जानकारी दे दें कि ऑर्डिनेन्स जारी किया उस समय से आज तक सेक्शन १६ के सब-सेक्शन (२) से प्रभावित ऐसे कितने प्रधान, और दूसरे सदस्य थे जिनके खिलाफ धारा १६ (२) के अन्तर्गत रिविजन या पीटिशन पेश की, ineligible to continue as Pradhan as such धारा १६ के आधीन कितनी रिव्यू पीटिशन्स को एन्टरटेन किया या कितनों में स्टे दिया या सरकार ने कोई फैसला किया हो । ऑर्डिनेन्स जारी होने पर आज तक सरकार ने उसमें कार्यवाही की हो और कौनसे मामलों में की है । अगर यह इन्फोर्मेशन दे दें तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हमें अनावश्यक बहस में नहीं उलझना पड़ेगा ।

श्री दुर्गलाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो हमें पंचायत समिति और जिला परिषद (सेकिन्ड एमेन्ड-मेंट) बिल, १९६४ की कोपी प्रोवाइड की गई है उसके रीजन्स और ऑब्जेक्ट्स में दिया गया है :"It was considered necessary to provide for the same by the issue of an Ordinance." इसका क्या अर्थ है ।

अगर कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया तो कौन से ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : जब सदन की बैठक नहीं होती है तो गवर्नर को अधिकार है कि कोई व्यवस्था ऑर्डिनेंस के द्वारा करें और उसको ६ महीनों के अन्तर्गत कानून में रिप्लेस करें, उसके बाद ऑर्डिनेन्स निरस्त माना जावेगा और यह बिल उसका रूप ले लेगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि ऑर्डिनेंस निकला है उसके बाद में कितने केसेज़ को आपने डील किया है ताकि उनसे यह पता लग सके कि गवर्नर ने लिखा है कि सर्कमस्टेन्सेज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, वे करती हैं या नहीं ।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि इस पर पहले बहस प्रारम्भ हो जाती और उसके बाद जवाब का मुझे मौका मिलता, तो वह ज्यादा अच्छा होता । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार पिछले जमाने में ऑर्डिनेंस एमर्जेन्सी के कारण जारी हुआ करते थे उस प्रकार का यह ऑर्डिनेंन्स नहीं है । यह लेजिस्लेशन का ऑर्डिसनें है । इसमें फन्डामेन्टल पॉइन्ट है वह यह हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं और पहले हमने कोई अपील का या रिवीजन का प्रोवीजोन नहीं रखा जिससे कि अपील या रिवीजन हो और पंच या सरपंच जो डिसक्वालीफाइड़ हो जाते, अपील या रिव्यू करते । उसके अनुसार अगर वे किसी कारण से डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो तीन साल के लिये चुनावों में भाग नहीं ले सकते । इसलिये हमने यह बात इस बिल में रखी है, जो पहले नहीं थी । हम इस ऑर्डिनेन्स को नहीं लाना चाहते थे और पिछले अधिवेशन में ही इसे बिल के रूप में पेश करना चाहते थे । मगर पिछले समय इसको तैयार किया गया उसमें देर लग गई और उस कारण यह उस समय नहीं आ सकता । अब इसे इस कारण रखना चाहता हूं कि कई दरख्वास्तें इस सम्बन्ध में मेरे पास आ चुकी हैं । जब सरपंचों की अपील या रिव्यू होते हैं तो सरपंचों को अदालतों में जाकर परेशानी उठानी पड़ती है और उनको जो हेरासमेंट होता है वह न हो इसलिये यह आर्डिनेन्स जारी किया है । अब यह रिव्यू या अपील तीन महीने में ही तय हो सकती है । इस ऑर्डिनेंस के जरिए वे डिसप्लिनरी एक्शन में आ जाते हैं और इसके लिये रिव्यू के अधिकार गवर्नमेंट को रूल्स में प्रोवाइड हैं । मेरे पास कई केसेज आये । मेरे पास एक लेडी, औरत का केस आया । वह कोऑपटेड मेम्बर थी । वह

(श्री भीखाभाई)

सोशय एजूकेशन सेन्टर पर तीन बार ट्रेनिंग के लिये नोमीट होने पर भी ट्रेनिंग में न जाने के कारण अयोग्य घोषित की गई। मैंने उसकी हार्डशिप समझी और यह उचित समझा कि इसके लिये कोई कानून में प्रावधान होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास कितनी अपीलें हुई और रिव्यू हुए उसकी संख्या मेरे पास नहीं है, मगर इसके लिये इन हैरेन्ट पॉवर सरकार को नहीं थे, इसलिये यह लाना पड़ा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था। मेरा प्रश्न यह था कि ऑर्डिनेन्स जारी करने के बाद आज की तारीख तक कितने ऑर्डर आपने पास किये, कितनी अपीलें आपके पास आई, कितनी दरख्वास्तें पेश हुई और कितने मामलों को आपने तय किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने जो बातें कहीं और विशेष तौर से इस तरह के केसेज उनके ध्यान में थे कि कई सदस्य पंचायतों के थे या पंचायत समिति के थे, जो ट्रेनिंग में नहीं गये, इसलिये उनको उस पद से हटा दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो मिसाल दी है वह इससे कवर नहीं होती है। जो रिव्यू किया जा रहा है उसमें लिखा गया है।

Review any such Order or declaration, as the case may be, if it was passed or made by it under any mistake, whether of fact or of Law, or in ignorance of anydlmaterial fact.'

सो वह तो कानून में प्रोवीजन है कि ट्रेनिंग नहीं होने से हटा दिये जावेंगे। उसको नहीं हटा सकते उसके लिये तो वही कानून है, उसके लिये कोई बात बताते। अभी भी कानूनी चीज तो वही है। जो जानकारी माननीय सदस्यों ने चाही है अगर वह बहस के अंत तक मिल जावे, जब माननीय मंत्री जवाब दें, तो ठीक होगा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि एक महिला का मामला आया और उसके कारण से उनका हृदय द्रवित हुआ कि उसके साथ यह बहुत ज्यादती हुई और यह हैरेसमेंट है और उन्होंने यह ऑर्डिनेंस जारी कराने की कोशिश की। मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं हजारों महिलाएं हों, उनका हृदय, कितना ही द्रवित हो लेकिन यह कानून प्रोस्पेक्टिव है, रिस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं और कानूनजिसतरीके का हम पास करेंगेउस तरीके का पास करने के बाद यह कानून लागू होगा और कानून लागू होगा इसका मतलब यह है कि ऑर्डिनेन्स जारी होने के बाद कोई केस १४४, धारा १६ का डिक्लेरेशन किया है उसके बाद अब कोई पिटीशन दे विदिन् ६० डेज तो आप कार्यवाही कर सकते हैं। आज से पहले के, पिछले पांच साल के, १० साल के या तीन साल के पुराने मामले हैं उन मामलों में रिव्यू की कोई पॉवर्स इससे सरकार को नहीं हो सकतीं.... Apart from that aspect of the case as remarked by the chair. उन सारे केसेज में लॉ की गलती है। कानून में जो व्यवस्था थी उसके अनुसार आज्ञा दी गई, उसमें तो आप कोई कार्यवाही इसके जरिये नहीं कर सकेंगे। इसलिए मन्त्री महोदय ने जो मंशा प्रकट की है, पहले वे इस पहलू को एग्जामिन करलें अच्छी तरह से, इस कानूनी पहलू को एग्जामिन करा लें, हम छः महीने के अन्दर इसे पास कर देंगे। आप चाहते हैं, जिन-जिन को आप रिलीफ देना चाहते हैं, उन सारे केसेज को रीओपन करदें, उन सारे-केसेज में रिव्यू करदें, इससे आप उनको रिओपन नहीं कर सकेंगें, इससे जिनको आप रिलीफ देना चाहते हैं उनको रिलीफ नहीं दे सकेंगे,आपकी जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इससे मंशा है वह पूरी नहीं होगी, डिजायर्ड रिलीफ नहीं दे सकेंगे जिनको कि आप देना चाहते हैं। इसलिए आप पहले इसे अच्छी तरह से एग्जामिन करालें। पास में कानून के जानकार डिप्टी मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उनको पूछ लें, जब तक रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं बनाया जायगा आपकी मंशा पूरी नहीं होगी, और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए लिखना पड़ता है "shall be deemed to have come into force" डीलिंग प्रोवीजन लगाए या नहीं लगाये, सदन पास करेगा या नहीं करेगा, यह अलग प्रश्न है, पर वर्तमान परिस्थिति में गैर-कानूनी जो सद्भावनायें आपकी जाग्रत हुई हैं, उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति इससे नहीं होगी, इस पहलू पर पहले विचार कर लिया जाय, फिर इस पर सदन में विचार करिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) :

[प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९६४, को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

अध्यक्ष महोदय, अभी यहां राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक पर इस बात के लिए बहस की जाने वाली है और की जा रही है कि कोई भी पंच, सरपंच, उप-सरपंच या सदस्य पंचायत समिति का है, उसको हटा दिया गया है गैर-कानूनी तरीके से तो उसको वापिस रखने के लिए, रेस्टोर करने के लिए यह संशोधन राजस्थान पंचायत कानून में लाकर सरकार पास कराना चाहती है। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार इस बात को मानती है कि उसने गैर-कानूनी कार्यवाहियां की हैं, सरकार अपनी इस गलती को मानते हुए कि उसने गलत तरीके से पंच को, सरपंच को, उप-सरपंच को, सदस्य को हटा दिया है इस प्रकार का प्रावधान ला रही है। मैं इस तरह का बेगूं का एक केस रेफर करता हूं। बेगूं पंचायत विरोधियों के हाथ में है, वहां के सरपंच के पिताजी हमारे सदन के माननीय सदस्य हैं। उस सरपंच को बिना चार्ज-शीट दिये हटा दिया, सरकार कॉन्स्टीट्यूशन की खिलाफ वर्जी करती है, जहां आर्टीकल ३११ खुला हुआ है कि उनको चान्स दिया जाना चाहिए, पर मैंने पूरी जिला परिषद की कार्यवाही देखी, मैंने अपने विचार प्रकट किए पर गवर्नमेंट गैर-कानूनी कार्यवाहियां करने की आदी हो गई है। जो सही तरीके से काम करने वाले हैं, जहां विकेन्द्रीकरण में पक्षपात रहित काम करने का मौका दिया जाना चाहिये वहां सरकार ने पक्षपात रहित काम करने वाले को खत्म कर दिया और आज जब यह चीज आती है कि सरकार के सामने यह शिकायत आये, जहां हम गलत जजमेंट दे दें उसको रीओपन कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट को चैलैंज करता हूँ कि जो गवर्नमेंट यह खुद तस्लीम करती है कि वह गलत जजमेंट भी दे देती है तो इस सरकार ने इस तरह से गलत जजमेंट देकर हजारों सरपंचों और पंचों का खून किया है। अब इसके जरिये सरकार ९० डेज में रिव्यू का प्रोविजन रखना चाहती है, at any time, जब भी गवर्नमेंट चाहे, किसी केस को रीओपन कर सकती है। कानून कभी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी केस को रीओपम कर दे, एक सरपंच को चाहे तो हटा दे और चाहे तो हटाये हुए को वापिस रख

(श्री अब्दुल जब्बार)

ले । आज पार्टी गवर्नमेंट है, पार्टी गवर्नमेंट मेजोरिटी के आधार पर चलती है। एक आदमी अपोजीशन की तरफ अपनी बिचार धारा प्रकट करता है तो गवर्नमेंट जब भी चाहे उसको सस्पेन्ड करदे, हटा दे, किसी को जब भी चाहे रीओपन करके बहाल करदे। डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करने की गवर्नमेंट की मंशा है। विकेन्द्रीकरण के ढांचे की रक्षा करने के लिए ऐसे कानून को बहुत बारीकी के साथ तैयार किया जाना चाहिये ।

यह लगभग ८-६ हजार लोगों का सवाल है। चार-पांच के लिए ही नहीं आठ-नौ हजार के लिए यह संशोधन ला रहे हैं। इसलिए इसे उन आठ-नौ हजार लोगों के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा जाय कि तुम्हारे लिए यह कानून पास किया जा रहा है। उनको इस कानून से आगाह कर दिया जाये क्योंकि वे लोग अधिकांश पढ़े-लिखे नहीं हैं। इसलिए जहां इससे ८-६ हजार आदमी प्रभावित हो रहे हैं यह परमावश्यक है कि इसे उनके पास भेज कर उनको राय जान ली जाय। गवर्नमेंट को कई दफा कहा गया है कि गलत कार्यवाही की जा रही है पर चूंकि वे लोग आपके पक्ष के हैं इसीलिए आपने कोई कार्यवाही नहीं की। हजारों मर्तबा जिला परिषद् के प्रमुख को, गर्वनमेंट के मिनिस्टरों को यह बात बताई गई कि जलालिया बांध से हजारों रुपयों का गबन किया गया है, पंचायत के सरपंच जलालिया बांध बनाते हुए हजारों रुपया खा गये। इस बारे में यहां प्रश्न पूछा गया, मन्त्री महोदय ने उसका जबाब दिया तो जबाव में भी खा गए।

जहां कानून है तो फिर गवनमेंट रीओपन करना क्यों चाहती है, कौन से ऐसे केसेज हैं जिन को रीओपन करना चाहती है ? इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, जो विरोधी हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। जनतंत्र में विरोधी पक्ष होना परमावश्यक है, जनतन्त्र में विरोधी नहीं होंगे तो वह तो डिक्टेटरशिप हो जायगी। फिर रिव्यू करना, ५ रुपए का स्टाम्प लगाना क्यों आवश्यक है ? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय जिससे हकीकत मालूम हो सके कि जो सरपंच, पंच, सदस्य, इससे प्रभावित होने वाले हैं उनकी इसके सम्बन्ध में क्या राय है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। हम नहीं चाहते कि हम सत्ता हड़प लें, हम तो चाहते हैं हजारों साल तक कांग्रेस पार्टी राज्य करती रहे, हाथ ऊपर उठा कर दुआ देने को तैयार हैं पर विकेन्द्रीकरण में गरीब इन्सान की छाती में छुरा भोंका जाय यह तो सहन नहीं कर सकते। घनेरा पंचायत, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़ की है, उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मैंने प्रश्न के द्वारा इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, वहां के प्रधान ने अपने रिश्तेदारों को उसमें भर रखा है, उसके रिश्तेदार वहां से दो-दो सौ रुपया तनख्वाह उठाते हैं। इस तरह की चीजों को रोकने का आप प्रावधान करें, इर्रेगुलेरिटीज को रोकने का प्रावधान रखें, पर सरकार ऐसा नहीं करती। ताज्जुब है, अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी कम्पलीट स्टोरी इस विषय की बहस के समय रखूंगा कि सरकार की छत्रछाया में फलने वाले लोग किस प्रकार पंचायत एक्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार पंचायत एक्ट की तहत

Page No.51

(श्री अब्दुल जब्बार)

गैर-कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं इसलिए पनिश्मेंट और रीइन्स्टेटमेंट के मसले को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि हकीकत मालूम हो सके।

मैं इतना ही कह कर अपने विचार जाहिर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा)

[प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

अध्यक्ष महोदय, माननीय भीखाभाई ने ऑर्डिनेन्स निकालने का कोई कारण नहीं बताया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप पर डूंगरपुर का असर है और फरमान निकालने का शौक इस ऑर्डिनेन्स के जरिये आपने पूरा किया है। यदि अपने शौक को पूरे करने के लिए आपने यह ऑर्डिनेन्स निकाला तब तो बात समझ में आती है, अन्यथा यदि हम सैक्शन ४० और सेक्शन १६ के आधार पर इस सारे ऑर्डिनेन्स को देखें कि जो कानूनी आधार दोनों सेक्शन्स को दिए हैं तथा इसमें इस प्रकार के वापस रिव्यू करने का कोई अवसर आ सकता तो मेरी समझ में कोई कारण ऑर्डिनेन्स निकालने का नहीं है, क्योंकि कोई प्रधान सेक्शन १६ के अनुसार जिस कॉन्स्टीट्युएन्सी में रहता है उसमें रहना यदि वह बन्द करदे तो लाजिमी रूप से उसको प्रधानशिप से स्तीफा देना पड़ेगा या आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद मान लो सेक्शन १६ के अनुसार कोई डिस्क्वालीफिकेशन हो जाती है तो उसको आप क्या करेंगे ? इसलिए सेक्शन १६ के आधार पर केस पुनः रिव्यू हो, इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। अब रहा सेक्शन ४०, जिसमें कहा है कि यदि कोई प्रधान या उपप्रधान किसी कार्य को करने से इन्कार कर देता है, जिसकी वजह से पंचायत समिति को नुकसान होता है तो उसको सरकार हटा सकती है। मेरी समझ में इस जरिए के अनुसार आप प्रधान और उपप्रधान को या किसी भी सदस्य को, वह आपके तलवे चाटे, ऐसी स्थिति में आप रख देंगे और बादशाह का रूप आप ले सकते हैं इसके जरिए।

उदयपुर जिले के अन्दर विरोधी पार्टियों के जहां कहीं भी प्रधान या उप प्रधान हैं उनको कारण हटाने का नोटिस दिया जाता है और यह पॉवर लेने के बाद में हमारे भीखाभाई यह कहेंगे कि यदि तुम कांग्रेस की शरण लोगे तो जो तुमको हटाने का आदेश दिया है उसको हम पुनः रिव्यू कर सकते हैं, तो मेरी समझ में विरोधी पार्टियों के जितने भी प्रधान हैं उनको कांग्रेस में लाने का एक अच्छा अवसर है। मैं समझता हूं कि आज पंचायत समितियों का जो मुख्य कारण असफलता का है वह एक मात्र यह है कि सरकार का नियंत्रण उस पर बहुत है। पंचायत समितियां कुछ करना चाहती हैं, कुछ प्रस्ताव पास करके भेजती हैं लेकिन अकारण सरकार उन पर स्टे कर देती है, उन पर इस प्रकार की रोक लगा देती है कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते और यदि इस कार्य को किया तो पंचायत समिति को भंग कर दिया जायगा या प्रधान को निकाला जायगा। वारगां पंचायत समिति कहीं किसी योजना का कुछ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर भेजती है कि यह पंचायत समिति इस कार्य को करना चाहती

(श्री विजयसिंह झाला)

है लेकिन सरकार उसको नोटिस देती है कि यदि तुम इस कार्य को करोगे तो पंचायत समिति को भंग करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आज पंचायत समितियों या पंचायतों के असफल होने का मुख्य कारण यही है। वहां के सदस्य वहां के फेक्ट्स के आधार पर अध्ययन करके किसी कार्य को करना चाहें या किसी कर को हटाना चाहें या लगाना चाहें, लेकिन हमारी सरकार या सेक्रेटरी उसको स्टे कर दें मैं समझता था कि इस प्रकार के कानून हमारे भीखाभाई लाएंगे जिनकी वजह से सरकार का नियंत्रण पंचायतों से कम हो या पंचायत समितियों से कम हो लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार का प्रावधान लाया जाता है जिसकी वजह से प्रधान या उपप्रधान, पंच या सरपंच को मजबूर होकर, अपनी थोड़ी सी इन्डिपेन्डेन्स से काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। या तो वह सरकार की गरज करे या कलेक्टर की गरज करे या किसी मिनिस्टर के घर जाकर तलवे चाटे या जब कभी वह पंचायत समिति में आए तो उनके रहने के लिए अच्छा प्रबन्ध करें, इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे भीखाभाईजी उपस्थित करना चाहते हैं।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उदयपुर की पंचायत समितियों को जिस कद्र आप दबा रहे हैं वह पंजाब के कैरों से कम नहीं है। हम चुनौती देना चाहते है कि यदि आप विरोधी पार्टियों की पंचायत समितियों के साथ में इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो जो हालत कैरों की हुई वह आपके मुख्य मंत्री की भी होगी। आपको शर्म आनी चाहिए, क्या कारण है किसी सरपंच को हटाने का, और जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होता है उसको स्टे करने का? अगर आपकी ऐसी ही हरकतें रहीं तो आपकी हालत भी अच्छी नहीं होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव दूंगा कि पंजाब में जो कैरों की हालत हुई है उसको देखते हुए हमारे मिनिस्टरों को अपने घरों में कैरों की फोटो लगानी चाहिए ताकि बार बार उसकी हालत उनको याद आए।

नापासर सरपंच के खिलाफ आपके पास शिकायतें आईं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बार बार उसकी शिकायतें हुई आपको भी। आपने उसको हटाने के लिए क्या कार्यवाही की? अध्यक्ष महोदय, नापासर के अन्दर पी० डब्ल्यू० डी की तरफ से नल योजना बनी, उसका ठेका सरपंच साहब को पी० डब्ल्यू० डी० के इन्जिनियर साहब ने दिया, जबकि उससे कम, ५० परसेन्ट कम, दूसरी पार्टी लेने को तैयार थी, लेकिन उसी सरपंच साहब को यह ठेका दिया गया। उस सरपंच साहब ने कुछ पैसा इन्जिनियर साहब को दिया और उसकी शिकायत हुई। आगे जैसी कार्यवाही होनी चाहिए थी वैसी कार्यवाही नहीं हुई! उसके कुछ डॉक्यूमेंटरी प्रूफ सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। वहां का सरपंच वहां के सेक्रेटरी को लिखता है:—

"प्रसन्न रहो। सरपंच बनकर रुपया १० हजार खोया। बस अब समय है हो सके तो पूरा करो। पानी योजना में १ लाख ४० हजार हैं। १० हजार लेने-देने होंगे, १५ हजार बेधड़क अपना है। फूसा भाई से तय कर लें, धोखा करो, २।। की तरह सूखे नहीं रह जाय।"

यह हमारे सरपंच साहब की चिट्ठी है जो वहां के सचिव को लिखी है, फूसू के। दस्तखत हैं "आपका बजरंगलाल असोपा"। फूसा से मतलब उप सरपंच से है। उसे कह

Page No.53

रहे हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० के इन्जिनियर से मिलकर लाखों रुपए का घोटाला कर सकते हैं। उसकी शिकायत वहां की जनता ने बार बार की लेकिन आप सेक्शन ४० या १६ के अन्दर नहीं कर सकते और नरगां प्रधान की पंचायत समिति बहुमत से काम करना चाहती है लेकिन सरकार उसको स्टे कर देती है। लेकिन सदस्य चाहते हैं कि हम इसी कार्य को जनता के हित में समझते हैं तो उन्हें हटाने का नोटिस दिया जाता है। यह आपकी तानाशाही के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता।

दूसरा कागज उसने पूसा उप-सरपंच को लिखा है :

"नमस्कार। २।। लाख तो चले ही गए आप कहीं मौन हिस्से के लिए खैर चिरू से मिले समझे, पानी योजना में ५ हजार आपको मिल जायगा।

आपका बजरंगलाल"

तीसरा कागज उसने लिखा है :

"भाईजी पूसारामजी से बजरंग का प्रणाम। आपके कारण से ही यह गाड़ी चल रही है। इस बात को मैं भली भांति जानता हूं। बस इतना ही लिखना काफी है।

बजरंग"

तो इस प्रकार की चिट्ठियां लिखी गई हैं और उनके खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करते। और दूसरी और कोई पंचायत समिति फैक्ट्स के आधार पर कार्य करना चाहती है तो उसके खिलाफ आप हटाने का या भंग करने के आदेश देते हो। तो मेरी समझ में इस तरह की तानाशाही नहीं चल सकती। सादिक अली समिति जो बैठी है उसके जरिए बहुत से संशोधन इन दोनों विधेयकों में होने वाले हैं, ऐसी हालत में क्या आवश्यकता थी, क्या जल्दी थी इन सारे प्रावधानों को लाने की? इसलिए मैं प्रस्ताव रखूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय कि पंचायतों या सरपंचों को किस आधार पर हटाना चाहिये, इनके ऊपर सरकार का कितना नियन्त्रण रहे, ताकि वे इन्डिपेन्डेन्स से काम कर सकें, इन सारी बातों पर विचार किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रस्ताव इस प्रकार है:—["राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिये जनमत्त जानने हेतु परिचलित किया जावे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् और पंचायत समिति एक्ट में जो संशोधन हैं....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : और भी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जिला परिषद और पंचायत समितियों का जो गठन हमारे यहां हुआ वह लोकतान्त्रिक परम्पराओं के आधार पर हुआ। इसका दूसरा नाम हमने लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण माना है। लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण नें किसी भी लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसमें न्याय विभाग और प्रशाशन विभाग अलग-अलग हों। ये दोनों ही यदि अलग होते हैं तो लोकतन्त्र सफल होता है। यदि ये जुड़े हुए रहते हैं तो उसका नतीजा लोकतन्त्र में बहुत बुरा होता है। यह बिल्कुल मान्य बात है। आज हम यह देखते हैं कि हमने अपनी योजना में यह मान्य कर लिया है कि ये दोनों विभाग अलग-अलग होने

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहिए, लेकिन वे अलग नहीं हो रहे हैं और उसका नतीजा चाहे पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या म्यूनिसिपल बॉडीज़ हो या और कोई हो, इनके अलग-अलग न होने से ये जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं, स्थानीय स्वराज्य संस्थायें हैं, जहां कि हम काम करने वालों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए और उनमें दोनों ही पक्ष के लोग होते हैं, अलग-अलग विचारधारा के लोग होते हैं, उनको काम करने का और अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये। उसमें कभी दलगत बात हो जाती है, पक्ष-विपक्ष हो जाता है और दूसरी प्रक्रियायें चलती हैं जो सरकार तक पहुंचती हैं और उसका नतीजा यह हो जाता है कि सरकार खुद पार्टी हो जाती है; जब सरकार किसी दल या पार्टी की होती है तो स्वाभाविक होता है कि लोकतन्त्र में नीचे से लेकर ऊपर तक दल के लोग न होते हुए भी मिलकर नाजायज हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। नतीजा यह होता है कि जहां लोकतन्त्र को कामयाब करना है वहां उसमें बुरी घटनायें हो जाती हैं जिससे लोकतन्त्र की परम्पराओं के प्रति आम लोगों की जो भावना बननी चाहिए, वह नहीं बनती है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्सेज़ का और इस प्रकार की नीतियों का बुरा परिणाम होता है। प्रशासन और न्याय विभाग के अलग-अलग न होने से होता क्या है इसकी मैं आपको बेहरोड़ की मिसाल देता हूँ। वहां पर जो पंचायत समिति के प्रधान हैं वे वहां के सर्वे-सर्वा हैं, उनको अलॉटमेन्ट करने का, चीजों को डिस्ट्रिब्यूट करने का एक मात्र अधिकार है, गुड़, चीनी, आदि उनके मार्फत वितरित होते हैं। होता क्या है कि अपने अपने लोगों को दे देते हैं। यहां भी रिश्तेदारों और मिलने वालों में बंटवारा हो जाता है, कुछ दिनों पहले वहां क्या घटना हुई? खांड पंचायत समिति के प्रधान द्वारा बांटी जाती है, उसके जरिये बेहरोड में खुले आम ब्लेक में बेची जारही थी। खुलेआम जीप में बोरियां थी और ब्लेक में दी जा रही थी। किसी व्यक्ति ने इसके संबन्ध में पुलिस को इसकी रिपोर्ट दी। पुलिस ओन स्पोट पहुँची, जो चार बोरियां शक्कर की ब्लेक में दी जा रही थीं उनको पुलिस ने बरामद किया और पुलिस उनको थाने में ले गई। उसके बाद होता क्या है कि पंचायत समिति के कुछ लोगों ने जो लोग इस सम्बन्ध में गवाह बने थे, उनकी खिलाफत शुरू कर दी। उनके खिलाफ उन्होंने झूँटे मामले बनाये, तो इससे वहां के लोगों में एक भारी रोष हुआ प्रदर्शन हुए। जब छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो हुआ क्या कि प्रधान के कुछ आदमियों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया, इससे छात्रों को चोटें आयीं। लोग ज्यादा तादाद में इक्ट्ठे हो गये, एस० डी० एम० के पास गये और कहने लगे कि लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, शक्कर का इस प्रकार ब्लेक हो रहा है, लोगों ने नारे लगाये नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने मारपीट की थी, एस० डी० एम० तक पहुँचाये गये, थानेदार ने मुकदमे दर्ज किये। क्योंकि पंचायत समिति का प्रधान एक पक्ष का है वह सरकार के पास पहुँच गया। लोगों ने सरे-आम ब्लेक होता हुआ बताया, सरे-आम माल पकड़वाया वहां पर इम्पोर्टेड व्हीट भी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान थे, मोहताज थे अनाज आदि के लिए, उन्होंने ये सारी बातें कीं, लेकिन

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोग यहां पहुँचे और मुख्य मन्त्रीजी के पास पहुँचे। मुख्य मन्त्रीजी ने कौन सा हुक्म दिया कि एस०डी०एम० थानेदार का ट्रान्सफर कर दिया जाय और डॉक्टर जिन्होंने लड़कों के चोटें आयीं थीं मारपीट के कारण उनकी रिपोर्ट दर्ज की थी तो उनका भी ट्रान्सफर कर दिया जाय। हैड मास्टर का भी ट्रान्सफर कर दिया जाय। एक दिन में सब का ट्रान्सफर कर दिया।

(विरोधी पक्ष द्वारा "शेम--शेम" की आवाज)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ये एलीगेशन्स लगाये जा रहे है, सरकार की ओर से मुंह तो खोलो।

श्री विजय सिंह झाला : सही बाते हैं, मना क्या करेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) सही बातों का जवाब नहीं है उनके पास।

श्री मुरलीधर व्यास : सीधा मामला है। मैं तो खुद बोरी, जीप जो ब्लेक में। पकड़े गये थे उनको देख कर आया हूँ, ये आपके आदमियों की है। लाल गेहूं मिल रहा है या नहीं, यह भी पता लगा लो।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : कोई किसी का नहीं है। गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी।

श्री भीखाभाई : (पंचायत मन्त्री) आप जो कह रहे हैं उसका सम्बन्ध इससे तो है नहीं। मेडीकल ऑफिसर का ट्रान्सफर कर दिया, हैडमास्टर का कर दिया, इससे कोई इसका सम्बन्ध नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास :मैं चैलैंज करता हूं। एक दिन में ये सारे ट्रान्सफर्स हुए हैं। यदि गलत होगा तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, अन्यथा आप मन्त्री महोदय त्याग-पत्र दे दें।

श्री ज्वाला प्रसादशर्मा: सवाल नहीं उठता है।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं स्पोट पर जा-कर आया हूं। एक तारीफ यह है कि मुख्य मन्त्री जिनका इन विभागों से संबंध नहीं, उसके बावजूद भी लोग उनसे मिलकर करवा लेते हैं, वे अलग-अलग विभागों को इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए कौन कर देते हैं। इस लोकतन्त्र में लोगों ने इस भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठायी कि ब्लेक में बोरियां बिक रही हैं, उनको उन्होंने पकड़वाया, ऊपर तक उसके लिए आवाज उठायी, कि लोगों को अनाज मिलता नहीं, आज ३२) मन में गेहूं लोगों को खाने के लिए मिल रहा है, इम्पों-र्टेड व्हीट है नहीं, मिलता नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं, और जब ब्लेक में बोरियों को पकड़ पाते हैं तो आप उनका ट्रान्सफर कर देते हैं, क्योंकि उन अधिकारियों ने उन लोगों की बातों को सुना और बोरियां पकड़ीं। ए. डी. एम. या मजिस्ट्रेट जिन्होंने कार्यवाही की, बोरियों को पकड़ा, यदि आप इन अधिकारियों को हटा देते हैं तो फिर लोकतन्त्र कहां रहेगा। जो अधिकारी ब्लेक मार्केट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं तो उनको हटा दिया। न्याय देने वाले यदि कोई कार्य-वाही करते हैं तो आज प्रशासन विभाग उनको वहां से हटा देता है। लोकतन्त्र में इस बुराई को दूर करनेके लिए आपको यह करना होगा कि दोनों को अलग-अलग कर दिया जाय। जब तक ये दोनों विभाग अलग-अलग नहीं होंगे तो इस देश में और खस राजस्थान में लोकतन्त्र नहीं पनप सकता, लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण नहीं पनप सकता।

एक डेढ़ महीने पहले आपने यह ऑर्डि-नेन्स निकाला। क्यों निकाला ? आपने जबाब दिया है कि इसलिए यह ऑर्डिनेन्स लाना पड़ा कि समिति के सदस्य, प्रधान, उप-प्रधान, डिस्क्वालिफाई हो गये या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो गई, चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसलिए मौका देना चाहते हैं। मेरी समझ

(श्री मुरलीधर व्यास)

में बात आती नहीं। किन्हीं कारणों से अलग हुए। माननीय सदस्यों ने लोकल फन्ड ऑडिट रिपोर्ट्स को पढ़ा होगा। पंचायत समिति के प्रधान, उप-प्रधान के लिए कितने चार्जेज आते हैं, पास में वर्षों तक पैसा रख लेते हैं, जमा कराते नहीं हैं और उन पैसों को अपने काम में लेते हैं। जब उनके खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट होती है या ऑडिट होना होता है तो वे जमा कराते हैं। इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। पंचायत समितियों में धन का दुरुपयोग हो रहा है। विकास के कार्यों में जो पैसा लगना चाहिए वह पैसा प्रधान लोग अपने पास रख लेते हैं, अपने काम में उसको लाते हैं, नाना प्रकार की कार्यवाही करते हैं, जब उनके खिलाफ कार्यवाही होती है तो रिवाइज़ करते हैं। इस प्रकार के गलत तरीके अख्तियार करने वालों को रजीह देते हैं, उनके केसेज को रिवाइज़ करने की बात करते हैं। सारी चीजें आपके हाथ में हैं। आप क्या करेंगे इन अधिकारों के तहत कि आपके पक्ष का आदमी होगा तो आप सोचेंगे कि इसको तो बहाल करना है और विरोधी पक्ष का है तो आप उसके पक्ष का फैसला नहीं करेंगे। हम इस मामले के अन्दर सरकार का विश्वास नहीं करते, यह न्याय की परम्पराओं के विपरीत है। इसके बारे में मैंने पत्रों में भी पढ़ा है।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : मैं एक क्लेरिफिकेशन पूछना चाहता हूं, रिव्यु के अन्दर हम हमारे पक्ष के जो लोग हैं उनके फेवरेबल निर्णय दे देंगे और और दूसरे के पक्ष में आदमी होंगे उनके साथ अनफेवरेबल ट्रीटमेन्ट करेंगे, यह ठीक नहीं है। जब पहले भी कार्यवाही होती है वह डिसीप्लीनरी की कार्यवाही सरकार ही करती है। मेटीरियल फेक्ट यह है कि कानून में जो लिकूना रह गया है उसके लिये रिव्यू के पॉवर्स चाहे जाते हैं। सरकार डिसीप्लीनरी ऑथोरिटी है वहां वह रिव्यू करने की भी ऑथोरिटी है।

श्री मुरलीधर व्यासः आप यह कहते हैं कि हम कैसे कर देंगे, हमारे सामने सैकड़ों मिसालें हैं जिनमें आपके पक्ष के लोगों को आपने रिव्यू के अन्दर बहाल कर दिया और विपक्ष वालों को नहीं किया। मैं आपको अनूपगढ़ म्युनिसिपल चेयरमेन का उदाहरण दूं उसको एक नहीं छः छः दफा सस्पेन्ड किया, बहाल किया है। आपकी तलवार हमेशा उनकी गर्दन पर लटकी हुई है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं।

श्री चौसरसिंह बालेल : मैं भी चेयरमेन था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यासः मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि इसके लिये अगल से ट्रीब्यूनल अपॉइन्ट करवाया जाय, जिसमें क्लक्टर हो, जिला प्रमुख हो और सेशन जज या उसके समकक्ष केडर का और कोई व्यक्ति हो, या तो डिस्ट्रक्ट ट्रिब्यूनल हो वह मामला सुन लें, अगर अपील करनी हो तो सारे प्रान्त के लिये एक बड़े ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है ताकि न्याय पालिका अलग रह सके। अगर आप लोकतान्त्रिक परम्पराओं को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए सादिक अली की जो रिपोर्ट आयी है उसमें भी नाना प्रकार की सिफारिशें हैं। अखबारों में हमने ये सिफारिशें पढ़ी हैं। आपके सामने वह रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अन्दर बहुत सी चीजें आ गई हैं उसके अनुसार संशोधन करना है तो फिर यह ऑर्डीनेंस लाने की क्या जरूरत है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

न्याय पंचायतों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम यह मानकर चलते हैं कि इसमें नया परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, इसके बिना इसका महत्व नहीं के बराबर है। आप इतना तो मान्य कर लीजिये कि लोकतान्त्रिक मान्यताओं को सफल बनाने के लिये जनमत जानने के हेतु पंचायतों और पंचायत समितियों के पास भेज दें, उनके प्रधानों को भेज दें, ताकि उनकी राय आ सके। इतना तो आप मान्य करें, इसलिए अर्ज करना चाहता हूं इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाय ताकि यह मालूम हो सके कि जनता की क्या राय है। इतना ही निवेदन कर मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाड़दार।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल जयपुर) :

[प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

अध्यक्ष महोदय, यह जो पंचायत अमेन्डमेंट बिल है, जो सदन के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके ऊपर विचार करने से पहले आपके द्वारा में माननीय मंत्री महोदय, का ध्यान इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के तरफ दिलाना चाहता हूं। इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में जो बताया गया है क्या ठीक उसी को लेकर यह प्रावधान रखा जा रहा है या इसके पीछे यह भावना निहित है कि विन्डिक्टिव भावनाओं को पनपाने के लिये विन्डिक्टीव कानून बना रहे हैं। पहले इस प्रकार का प्रोवीज़न नहीं रखा गया था, राज्य सरकार के हाथ इसमें बन्धे हुए थे, एक बार आज्ञा प्रदान करने पश्चात् राज्य सरकार के सामने कोई उपाय नहीं था जिससे लिखे हुए फैसले को तब्दील कर सके, उसमें परिवर्तन ला सके, उसमें सेंक्टिटी ऑफ ऑर्डर था। विचार विनिमय करने के पश्चात्, सारे वाकेआत को देखने के बाद, निर्णय दे दिये जाते थे; निर्णय फाईनल रूप से दे दिये जाते थे। लेकिन इस बिल में जिस प्रकार का प्रावधान किया गया है उसके अन्तर्गत रिव्यू का प्रावधान रखने के पश्चात् राज्य सरकार चाहती है कि हम जहां फैसला देते है वहां बदलने का भी अधिकार होना चाहिये। हम अपने बुजर्गों से सुना करते थे कि पहले हुक्मरान बदल जाते थे किन्तु जो हुक्म दिया हुआ होता था वह नहीं बदल सकता था। आज तो इस प्रकार का कानून बनाया जाता है हुक्मराना उसी कुर्सी पर बैठे रहें और हुक्म को दिन में दस दफा बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इसका एक ज्वाज्वल्यमान उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। एक बार हुक्म दिया जाता हैं दूसरी बार उनको फिर रखा जाता है। मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर कानूनी दृष्टिकोण से विचार करें। जनरल प्रोवीज़न्स में रिव्यू का प्रावधान है। जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, किसी के अधिकारों का

Page No.58

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

अपहरण करती है तो उसके लिये पॉवर्स दिये गये हैं, रिव्यू के पॉवर्स। राजस्थान सरकार इससे भी अधिक अधिकार लेना चाहती है, सुओ मोटो उसकी सीमा नहीं, मर्जी आए तभी फैसले के बारे में विचार कर सकती है.... जो एग्रीव्ड परसन है he will have to apply for review within 90 days whereas the State Government takes the power of review at any time. यह इसकी भावना है।

"The State Government may of its own motion at any time or on an application received from any person affected within ninety days of the passing of an order under seciton 40, sub-section (1) or sub-section (4), or of the making of a declaration under sub-section (2) of section 16, review any such order or declaration. as the case may be, if it was passed or made by it under any mistake, whether of fact or of law, or in ignorance of any material fact." इससे यह होगा कि राज्य सरकार जब चाहे तब अपनी भावनाओं के अनुसार, किसी समय, अपने लिखे हुए किसी भी फैसले को बदल सकती है। इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने बताया ऐसे केसेज़ में जिनसे उनका हृदय दया से आर्द्र होगया अगर किसी व्यक्ति के साथ जुल्म होता है उस जुल्म के निराकरण के लिये ऐसे प्रावधान आने चाहिए। ये तीनों बिल जो कन्सीडरेशन के लिए आये हैं इन तीनों को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं, जिसको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं बनाना चाहते वह वैसे ही रहेंगे। मैं एक बात माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं, अगर उनकी भावना इस प्रकार की है तो मैं इसके बारे में एक पंचायत का दृष्टान्त देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, बेगूं पंचायत के अन्दर वहां के पंच, सरपंच ने हजारों रुपया इकट्ठा करके पंचायत का सदन बनाया, उसके अलावा गांव के चारों तरफ की सड़कें बनाईं, वहां जो नदी-नाले पड़ते हैं उन पर घाट बनाये। इन सब कार्यों के लिए पंचायत समिति ने एक पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने अपने परिश्रम से जनता से इकट्ठा करके, वहां के सुधार के लिए उसको खर्च किया। बदकिस्मती की बात है सरपंच के बारे में ट्रेज़री बैन्चेज़ पर बैठने वाले बोलेंगे नहीं क्योंकि वह दूसरे राजनैतिक दल का व्यक्ति है। उसके खिलाफ एक बार नहीं तीन तीन बार हुक्म दिया गया। यही मैटर जब हाई कोर्ट में गया उसके अन्दर जो एफिडेविट फाइल की गई उस एफिडेविट की प्रतिलिपि तो मेरे पास नहीं है, वह भी मैं बता सकता हूं उसमें जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं वह सुनना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि माननीय उप-मन्त्रीजी ने स्पष्ट रूप से दबाव डाला कि सरपंच हमारी पार्टी को जॉइन कर लेता है तो उसके बाद उन पर जितने भी केसेज़ हैं उन सबको हटाने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। राज्य के संचालन का भार जिन पर हैं उनकी अगर इस प्रकार की भावनायें हों, वे यदि इस प्रकार का दबाव डालें, उनकी पार्टी के अलावा

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

दूसरी पार्टी को जॉइन करने वाले हैं उन पर मुकदमें बनाने की कोशिश करें और उसी बात को कायम रखने के लिए इस प्रकार के प्रावधान करना चाहे जो विन्डिक्टिव नेचर के हैं इसके अलावा और कोई दूसरा दृष्टि-कोण इसमें हो नहीं हो सकता।

उपरोक्त हलफनामा उप-मन्त्री महोदय के विरुद्ध दिया गया। उस एफिडेविट के आधार पर हाईकोर्ट ने उप-मन्त्री महोदय को फरीक बनाया और देखिये।

आपकी सद्भावना तब प्रकट होगी जब मन्त्री महोदय खुद ही जांच करें और इसके बाद निर्णय दें कि वास्तव में क्या बात है। इसमें फिर किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, दुर्भावना नहीं रखेगा।

पर आपको सद्भावना कागजों में आप व्यक्त कर सकते हैं, कर्म आप प्रतिकूल करते हैं, इससे आपकी सद्भावना के प्रति विश्वास लोगों का हटता जा रहा है। जनता में विश्वास कायम करने के लिये आपका यह प्रथम कर्त्तव्य है कि आप कानून इस प्रकार का बनावें जिससे वास्तव में जनता की भावनाओं को राहत मिल सके। दमन की भावनाओं के साथ कानून में प्रोवीज़न लाना जरूरी नहीं होता।

एक दूसरी छोटी सी बात और निवेदन करूं, माननीय अध्यक्षजी, इस कानून को लाने से पहले ऑर्डिनेन्स जारी किया गया। ऑर्डिनेन्स के लिये विधान में प्रोवीज़न है कि स्टेट ऑफ इमर्जेन्सी हो तभी इसका उपयोग किया जाय। इसका मतलब अपनी भाषा में मैं निवेदन करता हूं कि जमीन आसमान फटने वाला हो, तो ऐसी स्टेट ऑफ इम-र्जेन्सी हो, ऑर्डिनेन्स लाना अत्यावश्यक हो, तभी लाया जाय, नहीं तो बड़ी कठिनाई राज्य सरकार के सामने आ सकती है। जो रीज़न्स इस स्टेट ऑफ इमर्जेन्सी के मन्त्री महोदय ने रक्खे, उनका स्पष्टीकरण आज भी वे देने को तैयार नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अन्तिम उत्तर के समय भी यह स्पष्टीकरण नहीं आवेगा। कोई रीजन्स मन्त्री महोदय इस तरह के उपस्थित नहीं कर सकते, जिससे स्टेट ऑफ इमर्जेन्सी प्रकट हो सके।

पहले भी कई बार इस बारे में हाई कोर्ट के जजमेन्ट और अनाउन्समेन्ट रखे जा चुके हैं, जब कभी भी ऑर्डिनेन्स प्रेजीडेन्ट और गवर्नर ने जारी किये हैं उनको निरस्त कर दिया गया है, इसी कारण की बिना पर कि स्टेट ऑफ इमर्जेन्सी एग्ज़िस्ट नहीं करती।

पर हमारे राजस्थान में तो मन्त्री महोदयों का यह स्वभाव पड़ गया है कि जब चाहे, अपनी मर्जी के मुताबिक, एक केस में भी अगर वे इन्टरस्टेड हों तो उसे डिसाइड करने के लिये ऑर्डिनेन्स ले आते हैं। फिर भी अगर विधान में छः महीने का समय निर्धा-रित नहीं होता कि छः महीने के बाद किसी भी ऑर्डिनेन्स को आप बिना विधान सभा में लाये जारी नहीं रख सकते, तो आप खुदा बन जाते।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो मेरा निवेदन यह है कि नॉर्मल कन्डीशन्स में कोई भी इस तरह का क़ानून नहीं बनाया जाना चाहिये। किसी दल विशेष से सम्बन्ध नहीं रखते हुए सभी दल वालों से मैं निवेदन करूंगा कि इस के सही तथ्यों पर विचार करें और फिर सोचें कि क्या इस प्रकार का कानून लाना वांछनीय है ? क्या इसका प्रावधान आवश्यक है ? इसकी आवश्यकता को गुणा-वगुण के आधार पर देखें।

एक नहीं, ऐसे बहुत से कारण हैं, मैं यह भी कहूंगा कि इमर्जेन्सी के दायरे में इसको लाने की आवश्यकता नहीं थी।

आवश्यक तो यह था कि पंचायतों के क्षेत्र में आज जो विकार उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिनके द्वारा पंच, सरपंच जनता की धन-राशि का दुरूपयोग करते हैं, गबन होते हैं, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, इस सब को रोकने के लिये आप प्रोवीज़न लाते, ऑर्डि-नेन्स लाते, तो हम समझते कि आपकी भावना सुन्दर है और सुधार की ओर आप जाना चाहते हैं।

सप्लाई के मैटर में पंचायतों को अधिकार मिले हैं, टीन, सीमेन्ट, लोहा आदि हैं, ये सब सप्लाई किये जाते हैं, पर सही माने में कितना सप्लाई किया जाता है, कितना सही जगह पहुंचता है, कितना गड़बड़-घोटालों में जाता है, इसको रोकने के लिये आप ऑर्डि-नेन्स लाते, दूसरा कानून लाते। पर यह नहीं किया। बल्कि चेष्टा यह की कि आप अपनी ताकत को, अपनी कलम को, शक्तिशाली बना सकें इस कानून के जरिये। आपने प्रोवीज़न रखा है। With one stroke of pen you are in a position to massacre hundreds of heads of Panchayat Samitis.

यह है आपकी भावना केवल इसके पीछे इसके अलावा दूसरी भावना इससे व्यक्त नहीं होती। तो मेरा केवल इतनासा निवेदन करना है कि जहां तक पंचायत एक्ट का सेक्शन १७(५) है:—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

"(5) The decision of the State Government on any matter arising under this section shall be final and shall not be liable to be questioned in any court of law."

इन शब्दों पर आप विचार करिये।

अब आप कहते हैं कि "Shall, subject to any order made under Section 70B, be final." इस ७२ बी को नये सिरे से इन्सर्शन करना चाहते हैं। जो सेंक्टिटी दफा १७ के द्वारा दी गई है उसको वास्तव में आप अपने हाथों में लेना चाहते हैं। उसकी मर्यादा का आप स्वयं पालन करना नहीं चाहते। जब आपकी स्वयं की भावना यह रहेगी तो आप समझलें कि आपके द्वारा प्रशासित जनता में कैसी भावना आवेगी। सुधार आप अपने आप में करिये। आप यह भावना रखिये कि कोई कानून ऐसा आप जनता पर न थोपें

Page No.61

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

जिससे उसमें भी विकार-भावना पैदा हो जाय।

तो मेरा निवेदन यह था कि जहां तक पंचायत कानून में संशोधन लाये जाने का प्रश्न है, उसकी भावना जो कुछ भी है, उससे जनता का लाभ नहीं हो सकता और इसकी आवश्यकता भी नहीं है।

सीधी सी बात यह थी कि जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि एक बात इतनी रह जाती है कि हमारे पास बहुत से पंच ऐसे हैं जो ट्रेनिंग में नहीं गये। जिन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की उनको राज सरकार हटा नहीं सकी और कानून नहीं बना सकी, इसलिये इसकी जरूरत है। मेरा निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय पंचायत के कानून को शान्ति-पूर्वक पढ़ें तो मालूम होगा उनको कि उसमें ऐसे क्लॉज़ हैं जिनके द्वारा जो इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटी कमिट करते हैं उन पंचों को डील किया जा सकता है। जो इस तरह से डिसक्वालिफिकेशन सबसीक्वेन्ट स्टेज पर क्रीएट करते हैं तो उनको उस डिसक्वालिफिकेशन के क्लॉज़ के अन्तर्गत हटाया जा सकता है। इसके लिये अलग से प्रोवीज़न लाने की आवश्यकता नहीं है।

और अगर आप यह समझते हैं कि इन प्रोवीज़न्स के अन्तर्गत आप एप्रोप्रियेट स्टेप नहीं ले सकते हैं तो आप इन प्रावधानों में संशोधन लाते। इसमें सबसीक्वेन्ट अमेन्डमेंट न ला कर एक जनरल क्लॉज़ यहां इनहेरेन्ट कराना चाहते हैं कि राज्य सरकार मन-मानी तौर पर जैसा चाहे किसी स्टेज पर निर्णय दे सकती है और वह सबको मान्य होगा, तो मेरे कहने का आशय यह है कि हमें सही रूप में अमल करना चाहिये। विन्डिक्टिव मामलों में यह संशोधन लाना अनुचित है। तो आप इस पर विचार करेंगे और बिल को स्वयं वापिस लेने की चेष्टा करेंगे, ऐसी आशा के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(१०.२८ म० पू०)

विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शन-कारियों से मिलने विषयक वाद-विवाद

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं यह अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि अनाज इत्यादि उपभोक्ता वस्तुओं की मंहगाई के कारण जयपुर की जनता की ओर से जो प्रदर्शनात्मक जुलूस सदन के बाहर आया है तो जनतन्त्र प्रणाली में यह उचित होगा कि हम सदस्यगण उनके पास जावें और उनकी बातें सुनें और सुनने के बाद में अगर मन्त्री महोदय आश्वासन दें कि हम यह व्यवस्था कर रहे हैं या कर सकते हैं तो यह उचित समाधान इसका होगा।

हमारे यहां जनतान्त्रिक परम्पराएं इस प्रकार की रही हैं कि मन्त्री लोग और हम जनता से किसी भी समय सम्पर्क में आने से न कतराए। पर मैंने देखा है यह वृत्ति हमारे मन्त्री महोदयों की नहीं रही है। वे इसे अपने सम्मान के विपरीत समझने लग गये हैं। मैं समझता हूं कि यह समझना हर हालत में समाप्त होना चाहिये। खास करके ऐसे मामलों

(श्री मुरलीधर व्यास)

पर जिसका सम्बन्ध प्रान्त की दो करोड़ जनता से सीधा है, जिस मसले पर आज जनता त्रस्त है। यह सरकार का नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है कि वे अपनी सदन की कार्यवाही, आवश्यक हो तो, समाप्त करके भी वहां जाएं। तो यह कोई विपरीत बात नहीं है, इसलिये मैं चेयर से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिये इस सदन को स्थगित किया जावे और जो जनता के लोग अपनी आवाज लेकर आए हैं सदन के सामने उनको सुना जावे। मेरा खास तौर से सरकारी पक्ष के लोगों से निवेदन है और वह भी निवेदन गांधीवादी तरीके से है। और जो नया परिवर्तन आना चाहिए कि ऐसे मौकों पर जाना चाहिए और उनकी बात सुनना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस मामले के अन्दर मंत्री-मण्डल के सदस्य वहां जाकर जो भी परिस्थिति हो, खाद्य मंत्रीजी वहां कहें कि इस मामले में हम यह यह कर रहे हैं, इस मंहगाई की स्थिति को दूर करने के लिए यह यह कदम उठाये हैं और उसके साथ ही साथ एक अच्छी परम्परा होगी यदि वहां जाकर जनता की तकलीफें को सुना जाये। इसलिए मैं चेयर से अर्ज करूंगा कि कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया जाये और उनकी भी बात सुनी जाये, यही बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा का अधिवेशन करीब ४ महीने के बाद हो रहा है और इस दौरान में मंहगाई जिस तेजी से बढ़ी है वह तमाम जनता को बहुत भारी परेशानी में डाल रही है। जनता इस अधिवेशन को....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि जुलूस निकालने का सभी को अधिकार है और प्रजातंत्र में यह अधिकार सभी को मिले हुए हैं, लेकिन सदन में इसकी चर्चा किस कानून के अन्दर की जा रही है और किस तरह से इसके अन्दर कार्यवाही होनी चाहिए, हमेशा के लिए इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि आज तो कम्युनिस्टों का जुलूस आया है, कल जनसंघ का आयेगा और परसों किसी और का आयेगा और फिर कांग्रेस का आयेगा, तो अपने यहां पर परम्परा और दूसरी जगह की परम्पराओं को देखकर कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। कल भी फूड के ऊपर बहस हुई थी और फिर आज उसी मामले को लेकर कहा जा रहा है। मैं समझता हूं कि सदन के अन्दर हमेशा के लिए एक व्यवस्था की जाये तो अच्छा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसके लिए व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता कि यह कुछ परम्परा की बात है, लोकतंत्रीय व्यवस्था के अन्दर जनता अगर विधान सभा भवन के सामने आये और अपनी तकलीफों को लेकर आये तो शासन को बिना किसी प्रकार की बात उठाते हुए, महसूस करते हुए स्वयमेव उसमें यह कर्त्तव्य की भावना जाग्रत होनी चाहिए कि हमारी जनता विधान सभा भवन के सामने आई है अपनी मांगों को लेकर उनको हम सुनें, हमारे मंत्री मण्डल के सदस्य को उसके लिए नियुक्त कर दें कि वह जाकर उनसे मिले और उनकी जो वाजिब मांगें हैं, जो भी उन्हें कहना

Page No.63

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, वह कहें और फिर उनके सामने आप अपने विचार रखें। आप सहमत हैं या असहमत हैं, यह अलग चीज है; लेकिन मैं समझता हूं कि जनता के प्रतिनिधियों को या जनता को न मिलना या उनको इन्कार करना यह लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए इसके लिए आसन की ओर से व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

श्री मथरादास माथुर : मैंने कहा कि सदन के अन्दर बहस किस हद तक की जा सकती है, बाहर जाकर मिलना चाहिए या नहीं, यह तो एग्ज़ीक्यूटिव का काम है। लेकिन यहां पर चर्चा किस हद तक की जा सकती है, वह प्रश्न है। बाकी बाहर मिलना या नहीं, यह तो एग्ज़ीक्यूटिव का काम है। यह कोई रूल बना हुआ नहीं है कि हर एक जुलूस से जाकर मिला ही जाये या नहीं मिला जाये, यह भी नहीं हो सकता। उसमें तो एग्ज़ीक्यूटिव अपना डिस्क्रिशन एप्लाई करती है। लेकिन जनतंत्र के अन्दर भी मैं चाहता हूं कि यहां के लिए भी परम्परा हो जाये तो अच्छा रहे कि इस प्रकार के जो जुलूस आया करते हैं उनके ऊपर यहां किस हद तक बहस की जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको जाने में आपत्ति है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारे वहां जाने के लिए कोई मांग ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मांग है।

श्री मथुरादास माथुर : आप कौन होते हैं मांग करने वाले।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप यह चाहते हैं कि वह जुलूस यहां तक आये।

श्री मथुरादास माथुर : अगर कोई लिखकर भेजे तो मिल सकते हैं। मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम वहां जाकर अनाउन्स करें कि यह पॉलिसी है तो यह कैसे कह सकते हैं। जो भी अनाउन्समेंट होगा वह पहले यहां फ्लोर ऑफ दी हाउस पर होगा। अगर वहां जाकर कोई अनाउन्समेंट कर दें तो वह कन्टेम्प्ट बन जायगा। वैसे जो भी हमें कहना था इसके बारे में वह कल हमारे खाद्य मंत्री कह चुके हैं। अब नयी चीज हमारे पास कोई नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कन्टेम्प्ट का प्रश्न खड़ा नहीं होता। आप घबराइये मत।

श्री मथुरादास माथुर : किसी भी नई पॉलिसी के बारे में बाहर नहीं कहा जा सकता, उसको पहले सदन में अनाउन्स किया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आप व्यवस्था की बात करते हैं तो कोई भी रीसेन्ट ऑकरेन्स की घटना होती है तो उसको हम एडजॉर्नमेन्ट मोशन के जरिये यहां ला सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एडजॉर्नमेन्ट मोशन के जरिये डिसकशन किया जाये या रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्दर कोई प्रावधान

Page No.64

(श्री मथुरादास माथुर)

हो। कोई न कोई व्यवस्था की जाये कि बाहर कोई डिमॉन्सट्रेशन होता है तो स्पीकर महोदय हमारे सिम्बल हैं उनसे मिलें या कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी ही मैं मांग करता हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप इतने इलर्जिक क्यों है इन जुलूस वगैरह से।

श्री मथुरादास माथुर : इनका तो चार पांच सौ का जुलूस है हम तो लाखों का जुलूस देखते हैं और निकालते हैं। ऐसी कोई इलर्जिक होने वाली बात नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके लिए व्यवस्था हो कि कोई जुलूस आये तो उसके लिए यहां किस हद तक बहस की जाये, अपने यहां पर कोई कन्वेन्शन बन जाये, वर्ना हमेशा अलग अलग चीजें होती हैं, वह ठीक नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका तो पांच सौ का जलूस कभी कभी निकलता है लेकिन आपके लाखों के जुलूस आपकी जिन्दगी के अन्तिम दिनों में निकलते हैं। जनता के लोगों से आप जाकर मिलें और जो कुछ उनको कहना है वह कहें। जनता से डरते क्यों हैं?

श्री मथुरादास माथुर : आप चुने हुए हैं तो हम भी चुनकर आये हैं। जनता का ज्यादा प्रतिनिधित्व तो इधर बैठने वाले करते हैं। लेकिन इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए, यह मैं मांग करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि इतने गम्भीर मसले का कुछ टैक्नीकल ग्राउन्ड्स और कुछ नियमों के आधार पर, इसका, विरोध किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की मंहगाई भयंकर रूप से आज हमारे देश में और हमारे प्रान्त में छाई हुई है और जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज स्वयं इस सरकार की है और केन्द्र में भी जिस तरीके के कानून या नीतियां बनीं उनको किस तरीके से लागू किया गया उसकी जिम्मेदारी सरकार की है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसके लिए ३ दिन मुकर्रर कर चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात से सरकार इन्कार नहीं कर सकती कि जिस प्रकार का वक्तव्य माननीय खाद्य मन्त्रीजी ने दिया कि खाद्य की स्थिति बहुत संकटपूर्ण है और उन्होंने इस आधार पर कि अगर हमें इम्पोर्ट मिल गया तो दस दिन तक कुछ भावों के हालात ठीक हो सकते हैं इस तरह की बात कही, लेकिन आज जिस तरह की भयंकर स्थिति उससे सरकार भी खुद इन्कार नहीं करती। जब इस प्रकार के हालात हैं तो सरकार केवल इस बुनियाद पर इसका विरोध करे कि हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इस प्रकार का प्रावधान है या नहीं, इस प्रकार कोई मोशन मूव करने का अधिकार है या नहीं, अगर इस प्रकार का कोई मोशन मूव हो सके तो मंत्री महोदय जा सकेंगे, अगर नहीं हो तो नहीं मिलें यह एक बहुत ही दुःखपूर्ण और एक आश्चर्यजनक स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, हमने जब डेमोक्रेसी सिस्टम को मंजूर किया है, डेमोक्रेटिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
चुनावों के जरिये इस सदन का एग्जिस्टेन्स है, हमारा एग्जिस्टेन्स है, जिस जनता ने हमारा एग्जिस्टेंस किया है, इस सदन का एग्जिस्टेन्स किया है, उस जनता के प्रति अपनी जवाबदारी नहीं समझना वह जनता जब अपने दुःख और तकलीफों को लेकर आये उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व न समझकर कुछ रूल्स की और विधान सभा के नियमों की बात कहें और मामले को उसमें उलझा दें और जाने से इन्कार करें, उस जनता को मिलने से इन्कार करें और सरकार की नीति क्या है, सरकार के नियम क्या हैं, यह उनको बताने से इन्कार करें, यह मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना तरीका है।

मैं ट्रेजरी बेन्चेज़ पर बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह कम से कम आज इस स्थिति की गम्भीरता को महसूस करें। आज जिस तरीके का रवैया खुद मंत्री–मंडल ने या उनके अधिकारियों ने या पुलिस ने अपनाया हुआ है कि जब कोई कदम उठाने के लिए जनता कहती है वह अपने कान के अन्दर तेल डाले बैठे रहते हैं और फिर जनता मजबूर होकर कोई कदम उठाती है तो जनता के खिलाफ आप फौरन लाठी चलाने की बात करते हैं, जनता को गिरफ्तार करने की बात करते हैं और कानून का इस्तेमाल जनता के हक में नहीं जनता के खिलाफ करना चाहते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके जरिये कि सरकार अपना जन-विरोधी रुख छोड़ें। कोरे नियमों और कानूनों की बात को छोड़कर जो बड़े से बड़ा कानून मानवीय जिम्मेदारी का है, जो उनकी मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टीट्यूशनल रेस्पोन्सिबिलिटी है जनता को फीड करने की, जनता को सस्ता नाज देने की, जनता को यह बताना चाहिए कि क्या कारण है कि इतने साल होने के बाद भी आप अनाज की समस्या को हल नहीं कर पाये हैं। ज्यों-ज्यों आप कहते हैं त्यों-त्यों समस्या उल्टी गम्भीर होती जा रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री महोदय, अपनी शर्म को छोड़ें, अपने बुर्के को उतारें और जनता के सामने जायं और जाकर अपने कन्डक्ट को एक्स्प्लेन करें, अपनी बात को बतायें कि क्यों आज उन्होंने राजस्थान की जनता को इस मुसीबत में डाल रखा है और क्यों नहीं वे जनता को इसमें राहत दे पा रहे हैं। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा कि अपने इस निर्णय को बदलें, अपनी इस परम्परा को तोड़ें और जनता के सामने एक्स्प्लेन करें अपनी इन तमाम बातों को। मैं यह उम्मीद करूंगा कि उस पर गम्भीरता से पुनर्विचार करके जनता से मिलने का प्रयत्न करेंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष एक गम्भीर मसला है। हमारे मंत्रियों की तो आदत पड़ गई है कि वो जनता के सामने जाने से थोड़ा घबराते हैं। इसका मैं एक वाया मीडिया समझता हूं। इधर बैठने वाले मित्रों ने आपसे अपील की है तो आप सदन के दोनों तरफ बैठने वाले पांच सदस्यों का एक डेपुटेशन बना दें और वह उनसे जाकर मिल ले, क्योंकि मंत्री लोग इलर्जिक हैं, वह जनता से घबराते हैं, क्योंकि खाने को मिलता नहीं है और लोग भूखों मर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जायं तो मुमकिन है कि कोई अप्रिय घटना

(श्री मानसिंह महार)

घटे, खास तौर से नाथूरामजी के लिए तो जयपुर की जनता बहुत लालायित है। इसलिए मेरे मित्रों ने आपसे निवेदन किया है तो इस सदन का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह कांग्रेस बैन्चेज पर बैठा हो, चाहे स्वतन्त्र पार्टी की बैन्चेज पर हो, उसका उतना ही महत्व है आपकी निगाह में, और आपके सामने हम उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि ट्रेजरी बैन्चेज़ वाले। इसलिए जनता की आवाज को सुनने के लिए आप फर्मा दें तो सब पार्टियों का एक एक आदमी जाकर डेपुटेशन को रिसीव कर ले। मैं आपको यह बता दूं कि डेपुटेशन तो करीब करीब तीनों दिन आये और रोज आयेंगे, क्योंकि सरकार नाज की समस्या को हल करने में कतई फेल हुई है........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : हमेशा के लिए क्या एक कमेटी बना दें जो कि सब डेपुटेशन को रिसीव कर ले।

श्री मानसिंह महार : कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम जो आज प्रदर्शनकारियों को तकलीफ देते हैं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप रिसीव ही नहीं करते डेपुटेशन को।

श्री मानसिंह महार : यहां पर इस बात की जरूर आवश्यकता है। और जो यह लोग समझते हैं उसका सूत्रपात उधर से होगा तो हमारी ओर से नहीं होता है। हमको मजबूरन उसको करना पड़ता है। इंग्लैण्ड में विन्स्टन चर्चिल जैसे आदमी आखरी बार जब पार्लियामेंट से उठकर गये तो कुछ बात नहीं हुई। अगर भारतवर्ष में ऐसी बात हो जाती तो माफ कीजिये कि अपनी जिन्दगी में पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट से रिटायर होते और जाते तो सदन के अन्दर न मालूम क्या क्या होता। मैं सही कहता हूं, लेकिन इंग्लैण्ड में चर्चिल साहब बिल्कुल चुपचाप उठकर चले गये किसी को मालूम नहीं पड़ा और दूसरे दिन लीडर ऑफ दी हाउस और एक दो पार्टीज के लीडर्स ने, वहां पर सौभाग्य से तीन ही पार्टियां हैं, उन्होंने उनकी तारीफ कर दी। वहां पर एक बात और भी है। वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे जो वयोवृद्ध सदस्य थे उन्होंने चर्चिल साहब को ट्रिब्यूट पे किया। यहां पर क्या होता है कि एक पार्टी में एक आदमी है तो वह भी कहता है कि मैं भी लीडर हूं। दो आदमियों का एक ग्रुप है तो वह भी कहता है कि मैं लीडर हूं। कम से कम पांच की स्ट्रेन्थ तो हो, लीडर, डिप्टी-लीडर, सचेतक, सेक्रेटरी वगैरह यहां पर तो एक है तो वह भी कहता है कि "I am Leader", यह कोई विरोधी दल के लिए नहीं है, कांग्रेस वालों के लिए नहीं है। विधान सभा में चर्चा होगी तो सारे भेड़-चाल से चलते हैं।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में नई परम्पराओं को कायम किया जाय आप मंत्रीजी के मुख की तरफ नहीं देखे। आप हम लोगों से कहें। हम उनको जाकर चौपड़ पर रिसीव करेंगे। आप हमारी पार्टी में से किसी को भेजे, कांग्रेस पार्टी में से किस को

(श्री मानसिंह महार)

भेजे। माननीय सदस्य जो जायेंगे वह उनको समझायेंगे। मैं मानता हूं कि ट्रेज़री बैन्चेज का जहां तक सवाल है तो ताज्जुब है कि नहीं जाय, क्योंकि क्या मालूम क्या हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे मित्रों की मांग भी पूरी हो जायगी। हम उन आदमियों को सन्तोष देंगे और विश्वास दिलायेंगे कि इस सदन के अन्दर हम हर प्रकार की कोशिश करेंगे कि खाद्य पदार्थ जनता को उपलब्ध हों और फूड ग्रेन्स का भाव नीचे गिरे और इस सरकार ने अपनी अनिश्चित नीति के कारण इस प्रान्त के अन्दर जो खतरनाक स्थिति पैदा की है उसको हम खत्म करने के लिए इस सरकार को बाध्य करेंगे। यह आश्वासन हम आपकी तरफ से देंगे। हम आपके नुमाइन्दे होकर जायेंगे, इस सरकार के नहीं। यह मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात आपको अर्ज कर देना चाहता हूं; बोलने वाले माननीय सदस्य ने मंत्रीजी के लिए माफी का एलान किया है कि उनको माफी दे दी जाय कि वह नहीं जायं और बाकी के ५ सदस्य जाकर उनसे मिलें। इसके लिए मैं यह अर्ज करूंगा कि दोषी आत्मा जो होती है वह न्यायालय के सामने जाने से कतराती है। आज राजस्थान में खाद्य समस्या की जो गम्भीर और खतरनाक स्थिति पैदा हुई है उसके लिए एक मात्र जिम्मेदार राजस्थान के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री हैं। इसलिए यह निश्चित बात है कि जो आदमी दोषी है उसको न्यायालय के सामने जाना चाहिए। जनता सबसे बड़ा न्यायालय है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं; मैं सरकार की नीति पर आक्षेप नहीं करता हूं, मेरी यह मन्शा नहीं है कि खाद्य मंत्री ने या मुख्य मंत्री ने यह समस्या जानबूझ कर पैदा कर दी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं यह मानता हूं कि इसका प्रमुख कारण है उनकी कुछ कमजोरियां, उनके अपने काम को सम्भालने की थोड़ी बहुत क्षमता की कमी है और इसके लिए जनता-जनार्दन के सामने अपनी कमजोरियों के लिए साफ कहें तो कोई हर्ज की बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। कानून का सहारा लेकर, कानून के नायलोन की चादर ओढ़कर जो वह इधर-उधर अपना मुंह छिपायेंगे तो वह चादर काम में नहीं आयेगी, वह कानून के हननकर्ता होंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ट्रेज़री बैन्चेज से और विशेष कर माननीय मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कानून की नुक्ताचीनी की चादर नहीं ओढ़ें। स्पष्ट तौर से जनता को कहें कि या तो एक निश्चित अवधि के अन्दर मंहगाई का इलाज कर दिया जायगा या एक निश्चित अवधि के अन्दर वह अपना त्याग-पत्र दे देंगे। उनको यह स्पष्ट रूप से जनता के प्रदर्शन के सामने कहना चाहिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, इस समय जो यह प्रस्ताव है कि जो जुलूस यहां आया है उसको रिसीव किया जाय केबिनेट और इधर बैठने वाले लोगों के द्वारा, मैं समझता हूं यह जुलूस आया है मंहगाई को लेकर, यह बात समझ

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

में नहीं आती। विरोधी बैन्चेज के लोगों की बात है लेकिन एक मत से महंगाई का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि एक पार्टी जो अपना सिम्बल रखती है वह जुलूस लेकर आई है। हमारी जो नीति है, ट्रेज़री बैन्चेज़ पर बैठते हैं उनकी जो पॉलिसी है, वह कल डिक्लेयर की गई है और १०, ११ और १२ तारीख को जो बहस होगी उसमें और डिक्लेयर की जायगी। हरेक पार्टी का एक तरीका है जनता के नजदीक जाने का। इन्होंने जो तरीका अपनाया है उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। हरेक पार्टी अपने को जिन्दा रखने के लिये व कायम रखने के लिये ऐसा करती है, हमको इससे सरोकार नहीं है। उधर बैठने वाले पार्टी के नुमाइन्दे और कई पार्टियां, जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, उनका एक जुलूस है उसमें हम जाकर अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करदें यह उचित नहीं है। राज्य सरकार ने अपनी पॉलिसी यहां इस हाउस में डिक्लेयर कर दी है, १०, ११ तारीख को और कर देंगे और यदा कदा अखबारों में डिक्लेयर करते रहे हैं, इसलिये मैं यह उचित नहीं मानता हूं कि आप जो जुलूस यहां लाते हैं या और कोई जुलूस लाते हैं उसको हाउस को सीरियस मैटर समझना चाहिए। इस तरह के मामलों को हाउस के सामने लाना हाउस का समय बर्बाद करना है। आपका जुलूस है आप जा सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : जैसा कि इन्होंने कहा पार्टी का जुलूस है....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : नहीं। Order please !

श्री नत्थीसिंह : यह जनता का जुलूस है। कोई भी सदस्य आता है तो वह जनता का नुमाइन्दा है, इसलिए उसको हक होता है कि पार्टी को पूरी तरह से....

श्री अध्यक्ष : Order please ! जो माननीय सदस्य बोल रहे है उसको नोट नहीं किया जाय।

श्री नत्थीसिंह : × × × ×

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य ने जैसा व्यवहार किया है उसके कारण जो भी गम्भीरता विरोधी पक्ष ने दिखाई थी वह खत्म हो गई। इस तरीके से व्यवहार करें तो जो निर्णय सम्भावित होने वाला था वह नहीं हो सकेगा। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का पहला उसूल यह है कि डिसिप्लेन हो। नेता बोले उसके बाद व्यक्ति नहीं बोले....

श्री रामकिशन (वैर) : ये तो अकेले हैं।

श्री अध्यक्ष : पता नहीं किसमें रहते हैं। यदि विरोधी पक्ष ऐसी बात भी एक मत होकर नहीं कह सकता तो कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। एक आदमी परम्पराएं तोड़ सकता है, वातावरण बिगाड़ सकता है। ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। अपनी भावनाएं व्यक्त करदीं। उनका मुख्य सुझाव

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री अध्यक्ष)

यह है कि सदन की कार्यवाही बन्द की जाय और मन्त्री प्रदर्शनकारियों से मिलें। एक सुझाव यह भी आया कि ५-४ व्यक्ति मनोनीत किये जायं जो जाकर व्यक्तिगतरूप से मिलें या सामूहिक रूप से उनसे मिलें। मैं नहीं समझता कि दोनों सुझाव मानने काबिल हों, ऐसी स्थिति में जो जाना चाहें स्वेच्छा से जा सकते हैं। मंत्री महोदय डेलिगेशन को रिसीव करें या स्वयं जाकर मिलें या दो-चार से मिलें, यह माननीय सदस्य मंत्रीजी से मिल कर तय कर सकते हैं। लेकिन सदन की कार्यवाही जो निश्चित है उसको रोक कर इस तरह की कार्यवाही की जाय, यह मैं उचित नहीं समझता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो जाना चाहें वे शान्तिपूर्वक चले जायं। जो भावना यहां व्यक्त करना चाहते थे वह करदी गई, लेकिन कोई विशेष तौर से यह समय नहीं है कि सदन की निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित कार्यवाही के अनुसार आगे बढ़ा जाय। श्री ज्वालाप्रसाद आगे बढ़ें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय,....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मुझे बोलने की इजाजत हुई है....

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता हूं ज्वालाप्रसादजी से की आप बोल लेना।

अध्यक्ष महोदय, जो आपने व्यवस्था दी है वह पूरी तरह से हमें स्वीकार है सदन की मर्यादा और परम्पराओं का जिक्र सुनते सुनते बहुत समय हो गया है उससे कोई अर्थ या नतीजा निकलने वाला नहीं है। यह सरकार की तबियत या इच्छा की बात है कि उनसे मिले न मिले। हमारा काम यह है कि जनता की तकलीफ आपके द्वारा मंत्रियों तक पहुंचादें। मंत्रीजी कहते हैं कि लाखों के जुलूस निकलते थे, लेकिन उस समय भीड़ के पीछे हम भी थे शायद आपको इसका गुमान न हो। राजाओं के जमाने में भरतपुर में जुलूस निकला था, राजा वहां से २२ मील दूर रहते थे, जैसे ही उनको सूचना मिली कि जुलूस निकलने वाला है तो वे २२ मील चल कर, राजा और उनके मन्त्री भरतपुर आये। यदि आज मंत्री उनसे मिलने नहीं जा सकते हैं तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है। मेरे जैसे व्यक्ति से प्यार नहीं रहा हमें इसमें गुरेज नहीं है आप मिलें न मिलें। आपकी व्यवस्था के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है। आपका यह कहना लोकतान्त्रिक नहीं है। हौलेन्ड के प्रधान मंत्री ल्यूथर किंग इण्डोनेशिया के बारे में प्रदर्शनकारियों से मिला। रूज़वेल्ट प्रदर्शनकारियों से मिला। अभी अमेरिका का प्रेजीडेन्ट लिंडन जोन्सन नीग्रो प्रदर्शनकारियों से मिला। आप डेमोक्रेसी की बात न करें, कांग्रेस की डेमोक्रेसी जैसी रही है, हम भी रहे हैं पुराने मंत्रियों से मिलने में तकलीफ होती थी, आप लोगों से पुरानी मोहब्बत है इसलिये अर्ज कर रहा हूं अगर आप को स्वीकार नहीं है तो हम बहिर्गमन करते हैं।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मुरलीधर व्यास : एक प्रस्ताव आपकी ओर से था कि पांच आदमियों का डेपुटेशन मिल सकता है उन नामों की घोषणा आपकी ओर से हो जाय....

श्री अध्यक्ष : काफी बड़ा डेपुटेशन जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय की ओर से यह पता नहीं लगा कि वे जा रहे है या नहीं। आपका सरकार को संकेत है। हमारा यह कहना है कि यह सदन स्थगित न करें तो मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री उनसे मिलें। यदि वे मिलने को तैयार नहीं हैं तो हम बहिर्गमन करते हैं।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बर्हिगमन)

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : जो जुलूस विधान सभा के सामने है उनकी क्या मांग है....

श्री अध्यक्ष : मांग उस समय नहीं रखी क्या ?

श्री हरिराम चौहान : मेरे को आप किसमें लेते है, मुझे टाइम नहीं मिलता....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको उन व्यक्तियों में लेता हूं जिनको बगैर इजाजत नहीं बोलना चाहिए।

श्री हरिराम चौहान : मैंने अपनी पार्टी की तरफ से लिख कर दिया है....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिराम चौहान : यह बात मानी है कि महंगाई बढ़ रही है। अनाज लोग चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप लम्बा भाषण नहीं दें।

श्री हरिराम चौहान : कहीं पर आप दफा १४४ लगाते हैं और लोगों को आतंकित करने की कोशिश करते हैं। पदमपतसिंहानिया जैसे सेठ उठ रहे है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे आसन ग्रहण करें....

श्री हरिराम चौहान : सरकार यह बात कहे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। यदि आपको जाना है तो सदन छोड़ कर जायं।

श्री हरिराम चौहान : मैं यह कहना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से खास कर कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनको बाहर जाकर मिलना चाहिए। यदि वे नहीं मिलते हैं तो मैं बहिष्कार करता हूं।

(श्री हरिराम चौहान द्वारा बहिर्गमन)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़):माननीय मंत्री महोदय को किसी पार्टी की बात पर वहां जाना चाहिये। मंत्रीजी इस तरह छिपते रहे तो मामला ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मंत्रीजी को आश्वासन देना चाहिए ताकि साम्प्रदायिक पार्टियां ज्यादा नहीं पनपें। उनको जाकर विश्वास दिलायेंगे तभी विश्वास होगा।

(श्री हीराभाई)

(११.०० म०पू०)

इसका एक दूसरा मतलब है कि उनके हाथ से जो लोगों को सुविधा दी जानी चाहिए वह नहीं दी गई है। इसलिए उनको अगर खतरा हो तो मैं उनको अपनी बगल में छिपा कर ले जाऊंगा और कभी उन पर खतरा नहीं आने दूंगा। मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए हम माननीय मंत्री महोदय से उनसे मिलने की मांग करते हैं और अगर मंत्री महोदय नहीं जाते हैं और सरकार जनता की बात सुनना नहीं चाहती है तो हमारा यहां इस सरकार के साथ बैठना अनुचित है, इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री हीराभाई द्वारा बहिर्गमन)

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था उस पर मंत्री महोदय ने एक बात कही थी कि बाहर से अगर लोग आयें, क्योंकि आप यह कह रहे हैं तो बाहर के लोग आकर कहें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं, पांच व्यक्ति अपनी बात लेकर आये हैं, वे मंत्री महोदय से अर्ज करने के लिए आये हैं कि वे बाहर आयें और अपनी बात कहें....

श्री अध्यक्ष : काफी चर्चा हो गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन में कहा था, मैं उस पर अर्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा!

श्री मुरलीधर व्यास : वे इस बात को मान्य करते हैं। अब वे लोग आ चुके हैं, उसके उपरान्त भी जाना नहीं चाहते हैं और हमारी बात को नहीं मानते हैं तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह उचित नहीं है। उनकी बात को स्वीकार कर लीजिये। यह कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपके पक्ष की बात कह रहा हूं। इसके अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें कोई बुरी बात होती नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप लोग लेकर आते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय ने कहा था इसलिए अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह बात कई दफा बोल चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने कह दिया है कि वे आये हैं। इसके उपरान्त नहीं जाते तो हमारे लिए इसके अलावा कोई चारा है नहीं....

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा!

श्री मुरलीधर व्यास : अच्छी परम्परा ही स्वीकार की जाय। पुरानी परम्परा चल रही है वह गलत है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : कोई परम्परा नहीं है। The Chair is on its legs.

Page No.72

श्री मुरलीधर व्यास : इसके उपरांत भी....

श्री निरंजननाथ आचार्य : The Chair is on its legs.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। सत्याग्रही वाली बात कहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप शांतिपूर्वक बाहर नहीं जाना चाहते हैं। आपको बोलने का कितना मौका दिया लेकिन आप थकते नहीं। कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके उपरान्त भी नहीं जाना चाहते हैं तो मैं प्रार्थना करते हुए बाहर जाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले ! लेकिन यह कौनसा तरीका है व्यवहार का !

(श्री मुरलीधर व्यास द्वारा बहिर्गमन)

श्री जयकृष्ण : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग के बाद जो बोले हैं उसको एक्सपंज किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : So far as the Government is concerned, the treasury bench is already prepared to meet the deputation if they wish to meet as their representatives of the procession in our chamber. We are alaways prepared to meet them.

(११.०२ म० पू०)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ (पूर्व क्रम से)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, रोजमर्रा जो सदन में प्रक्रिया चलती है उसमें कुछ लोगों ने ऐसा रवैया बना रखा है कि सदन का वक्त इस तरह से बिगाड़ें। इसे जल्दी ही रोका जाना चाहिए क्योंकि एक न एक दिन इसका नतीजा यह होने वाला है कि इस सदन को अपनी पूरी शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करना पड़ेगा।

[प्रस्ताव इस प्रकार है:--

"राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रकार समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी)।"]

यह जो ऑर्डिनेन्स निकलकर सैकिन्ड अमेंडमेंट बिल आया है, मैंने इसको एक समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उसके ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक ऑर्डिनेन्स का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दो ऑर्डिनेन्स हैं–राजस्थान पंचायत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समिति तथा जिला परिषद् द्वितीय (संशोधन)विधेयक, १९६४ और राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६४ । दोनों ऑर्डिनेन्स एक नेचर के हैं,दोनों बिलएक नेचरके है एकमें पंचको हटानेका सवाल है दूसरे में पंचायत समिति और जिला परिषद् को सस्पेन्ड करने का । समयाभाव के कारण, मैं समझता हूं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । अगर दोनों ऑर्डिनेन्स, दोनों बिल और इनके ऊपर जो रिज़ोल्यूशन हैं वे एक साथ डिबेट और डिस्कशन में ले लिये जांय । इससे डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि वैसे रिजोल्यूशन रखने वाले को दो-दो बार बोलना पड़ेगा ।

Both the motions may be taken together.

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल में उपयुक्त सुझाव है और इस प्रस्ताव पर जो माननीय सदस्य बहुत बोलने वाले हैं, उनके पश्चात् दूसरे विधेयक के ऊपर प्रस्ताव रख देंगे, उस पर बहस जारी रहेगी ताकि जब मंत्री महोदय उत्तर दें तो दोनों का एक साथ उत्तर दे देंगे ।

श्री मानसिंह महार : एज़ मूव्ड समझ लीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: That may be taken as moved.

श्री अध्यक्ष : अभी मूव कर दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : मूव कर देते हैं । दूसरे को मूव कर दो कौनसा है ? दोनों एक साथ हो जायेंगे ।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (अमेंडमेट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(११. ५ म० पू०)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ व राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक १९६४.
(संकल्प की प्रस्तुति एवं विचार-विमर्श)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ऑर्डिनेन्स निकालने का सवाल है उसके बारे में पहले भी सदन के सामने एक बहुत अच्छी तरह से, जो सदन की कॉन्सेसस ओपिनियन है, उसके अनुसार रिसेन्टमेंट दिखाया गया है । लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से, जब यह सदन यहां से चला जाता है, सदन बिखर जाता है, ऑर्डिनेन्स निकालने की एक प्रथा बन गई है । मैं जानना चाहता हूं कि और सरकारों ने कितने ऑर्डिनेन्स इस पीरियड में निकाले और यहां से कितने निकले । खैर ! लेकिन एक विशेष परिस्थिति प्रक्रिया में है ऑर्डिनेन्स के बारे में । मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि हमारे कानून बनाने वाले डिपार्टमेंट को, हमारी सरकार को आज पंचायतों का इतना काम होने के बाद इस

Page No.74

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तरह का ऑर्डिनेन्स निकालने की क्यों जरूरत पड़ी ? ऑर्डिनेन्स उस जगह का नाम है जहां सरकारी मशीनरी फैल हो। जो विशेष रूप के अधिकार सरकार को दिये गये हैं उनके मातहत जब गवर्नमेंट फेल हो रही हो, कोई बहुत बड़ी चीज पैदा हो रही हो, जिसकी वजह से राज्य को चलाने में अड़चन आती हो तो ऑर्डिनेन्स की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यहां दो मामले मिले, तीन मामले मिले। कहा यह नहीं हो सकता। कहने लगे - कैसे नहीं हो सकता। हमें ऑर्डिनेन्स बनाने की पॉवर है। मैं कहना चाहता हूं जनतंत्र के अन्दर कानून की इज्जत होनी चाहिए, जनतंत्र में कानून का राज्य होता है। ऑर्डिनेन्स आदमियों का राज्य है। यह आदमियों का राज्य नहीं होना चाहिए। यह प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है। मैं यह भी कहूंगा कि आज मंत्री महोदय के सामने जो सवाल पैदा हुए

(११.०७ म० पू०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

ऑर्डिनेन्स निकालने के ? चेअरमेन महोदय, आपने सवाल किया था कि इसकी क्या जरूरत पड़ी ? यह हथियार, यह तलवार कब फेल हुई ? पंचायती राज्य कब फेल हुआ पंचायती राज्य कौनसी तारीख को डूब रहा था कि उस दिन ऑर्डिनेन्स निकालना जरूरी हो गया ? सरकार बताये जस्टीफिकेशन ? यह ऑर्डिनेन्स किस तारीख को कैसे बरपा हुआ ? उस दिन कौनसा आसमान फट गया था ? कौनसा प्यारा निकल गया था पंचायत से कि ऑर्डिनेन्स बरपा करने की जरूरत हुई सरकार को ? सरकार या मिनिस्टर इसका उत्तर नहीं दे सकते। बल्कि, चेअरमेन महोदय, आपकी तरफ से डाइरेक्शन देना पड़ेगा आज के दिन जब यह बिल बनने जा रहा है उस वक्त मंत्री महोदय को आपको कहना चाहिए कि आपके पास कोई मिसाल हों मसले हों तो उनको इकट्ठा कर लो। मिसाल इकट्ठी होंगी तो जस्टीफाई होगा। ऑर्डिनेन्स निकाला उसके उपरान्त भी कोई केस नहीं बतलाते। यह कहें कि दस आदमी, बीस आदमी, पचास आदमी, चार आदमी या दो आदमियों के साथ इस प्रकार की अन्याय की बात हुई। अगर नहीं तो फिर किस के लिए निकालते हैं ऑर्डिनेन्स ? वह इसलिए निकालते हैं, यह सही स्थिति है कि आप चाहते हैं— हम चाहें तो बना दें चाहें तो बिगाड़ दें। आप चुने हुए आदमियों की इज्जत बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। और आप इसकी स्वीकृति चाहते हैं। आप स्वीकृति इस बात की चाहते हैं कि कुछ केसेज़ में फेक्ट्स के ऊपर गलत फैसले हुए, चार्जेज़ गलत लगाये और इज्जत ले ली। इज्जत लेने के बाद यह कहते हैं कि हमारे रहम के अन्दर आओ, हम इज्जत वापिस बख्स देंगे; हम इज्जत ली हुई वापिस कर देंगे। जो फेक्ट्स के ऊपर सरकार ने गलत फैसले चुने हुए आदमियों के खिलाफ दिये हैं--जिस वोट से हम चुने गये हैं उसी वोट से वे भी चुने गये हैं— उन आदमियों के खिलाफ फेक्ट्स और इन्क्वायरी के ऊपर गलत फैसले दिये और अब आप अधिकार चाहते हैं कि उन्हें इज्जत बख्स दें। यह कौनसा न्याय है ? यह भी सोचना चाहिए था कि ये चुने हुए गरीब सर-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पंच थे, उनकी इज्जत बिगाड़ी। उसको देख कर वहां के और सरपंचों को इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है। अब इस वक्त ऑर्डिनेन्स निकाला तो पहले आपने गलती क्यों की? सदन चाहता है कि फेक्ट्स के ऊपर भी गलत फैसला लेकर किन किन लोगों की इज्जत ली है—यह बताया जाय? इसके लिए गवर्नमेंट को सेंसर किया जायगा। आपने फेक्ट्स नहीं देखे, इन्क्वायरी नहीं कराई और उनकी इज्जत ले ली है। वे कौन हैं? उन आदमियों के नाम बतायें, अगर आपको ऑर्डिनेन्स पास करवाना है। मैं जानना चाहता हूं इसके साथ एक बात और कि ऑर्डिनेन्स इसके लिए तो नहीं लाते--में डाइरेक्टली मंत्री महोदय से जवाब चाहता हूं कि तीन साल के लिए चुने हुए सरपंच को आपकी नज़रे-इनायत से सस्पेंड कर दिया गया। तीन साल की म्याद होते हुए भी पौने तीन साल तक सरपंच सस्पेन्ड रखे। मैं सदन को यह कहूंगा कि आपकी पांच साल की उम्र है। इनको यदि ताकत मिल जाय सस्पेन्ड करने की तो पौने पांच साल के लिए सस्पेन्ड कर सकते हैं?

(श्री भीखाभाई को हंसते हुए देख कर)

यों हंसने से काम नहीं चलेगा, यह हंसने से काम नहीं चलेगा। आप मेरे से पूछिये कि कौन सा केस है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): आप हीं बता दीजिये की कौन सा केस है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप क्यों पूछते हैं। वे अपने आप पूछें।

श्री भैरोंसिंह: सदन जानना चाहता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: अगर कोई बात हुई तो आप मेरी मदद करेंगे?

श्री भैरोंसिंह: आप गवर्नमेंट पर चार्ज लगा रहे हैं। आप फेक्टस रखिये सरकार के सामने।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: क्या आपको इसमें सुबाह है? आपने एक चुने हुए सरपंच को २॥ साल तक सस्पेन्ड रखा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): अगर यह फेक्ट है तो आप बता दीजिये। इसको बताने में ऐसी कौन सी बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उस इन्क्वायरी के बाद में एक और चिट्ठी मेरे पास पड़ी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानूनन आप उसको इस तरहसे २॥ साल तक सस्पेन्शन में एक व्यक्ति को नहीं रख सकते। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसको रख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह: यह बिलकुल गलत बात है कि किसी सरपंच को २॥ साल तक सस्पेन्ड रखा हो किसी सरपंच को २॥ साल तक सस्पेन्ड नहीं रख सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आखिर आपकी हिमायत उनको लेडुबेगी।

एक माननीय सदस्य: आप नाम क्यों नहीं बता देते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं उसका नाम बता देता हूं। उनका नाम है रामचन्द्र

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दुब्बे। मैंने कई बार इसके लिये कहा लेकिन कई बार कहने के बावजूद, कभी तो वे दा सहाब का नाम ले लेते और कभी कुछ। मंत्री महोदय बैठे हैं, आप या तो इससे इन्कार उनको कराइये या सदन की मेज पर रखिये। मैं सरकार से और हर एम. एल. ए. को व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि अगर चुने हुए सरपंच की इज्जत नहीं होती है तो हमारी भी इज्जत नहीं होगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर): क्या आज आप जब इस बिल पर वोट होंगे तो हमारा साथ देंगे?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं आपका वोट में साथ नहीं दूंगा। जिनके साथ में होता हूँ उन्हीं को वोट दूंगा।

आपने ऑर्डिनेन्स निकाला है यह कोई वाजिब बात नहीं है। यह तो एक पहुंच की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने जो अभी कहा है उसके बारे में जवाब दें। अब मैं ऑर्डिनेन्स पर आता हूं। मैं यह कहूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे। इसमें कोई जस्टि-फिकेशन नहीं है। इस तरह का कानून न तो कभी देखा और न सुना और न पैदा हुआ और न पैदा होगा। कोई आदमी गलती करे, मैं कहना चाहता हूं कि मानलें कि किसी ने गलती की है। अगर आप यही करना चाहते हैं तो आप यह कर लें कि उसके जुर्मों की अपील, सरपंच के फॉल्ट्स निकले तो उसकी अपील की ताकत रेवेन्यू बोर्ड को दी जावे बनिस्पत उनके जो खुद गलती करानेवाले है। गलती करनेवाले को गलती सुधारने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आप यह चाहते हैं कि आप किसी का गला काटे तो आपको काटने दें और आपको उसके लिये अधिकार दे दिये जावे, आप अपील के अधिकार रखिये और अपील के अधिकार दिये जावें तो किसको दिये जावें। आपको नहीं दिये जा सकते। अगर आप अपील के अधिकार देना चाहते हैं तो चीफ मिनिस्टर को दीजिये। लेकिन जो आदमी अपनी मन-मानी करता है, जिसकी अपनी सूझ नहीं हो और दूसरे की मानता नहीं है और चुने हुए लोगों की इज्जत लेता है, अगर यह धारा बन जाती है तो इस कानून का गलत लाभ उठाया जावेगा और सरपंच और जो पंच हैं उनकी गर्दनों में विष भरेंगे। आखिर यही तो पंचायती राज्य के फेल होने का कारण हैं। आप गलती नहीं करते, आप फेक्ट को गलत नहीं कर सकते। आप अजमेर में पढ़े हुए हैं। कुछ तो आप में अजमेर का असर होगा। लेकिन आप जानबूझ कर गलतियें कराते हैं। आप दो–दो, तीन-तीन आदमियों के लिये इस प्रकार का अमेन्डमेंट लाते है। यह नहीं होना चाहिये कि सदन को विश्वास में लेकर उनकी गर्दन काट दें। आप यह समझते हैं कि सरकार ने ऑर्डिनेन्स निकाला है उसको हमें पास करना होगा। हम उसको वापिस नहीं ले सकते, तो मैं यह कहूंगा कि अगर आपने गलत ढंग से ऑर्डिनेन्स निकाला है तो आपने अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है और दुरूपयोग किया तो कैसे किया और क्यों किया। आपको अधिकार इसलिये नहीं दिये हैं कि आप उनका दुरूपयोग करें। आपको ताकत की तलवार इसलिये दी है कि

Page No.77

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

गरीबी से लड़ाई लड़ कर कांग्रेस जो सोशि-यलिज़्म को लाना चाहती है उसको लाने के लिये आप उस अधिकारों की तलवार को काम में लेवें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जनतन्त्र का खून करते हैं। मैंने पूछा कि आपने कितने सरपंचों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको नाम देता हूं।

("मेरे कागज नहीं गिरे हैं" की आवाज)

आपने एक सरपंच सूरजमलजी को पृथक कर दिया।

एक **माननीय सदस्य** : ये कहां के हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ये यहीं बैठे हैं आप उनसे पूछ सकते है। सूरजमलजी को आपने पृथक कर दिया। २५ हजार का मामला था। उन पर चार्ज लगाया गया। सरकार ने फेक्ट्स को मान लिया और उसको मानते हुए उनको पृथक कर दिया। सुना है कि उसने यहां तक कलेक्टर को लिख कर दिया है और कहा है कि मुझे कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है और उसको कोई चार्ज नहीं दिया गया। अब वह फिर बहाल हो गये हैं। मैं सही स्थिति चाहता हूं। मैं ऑर्डिनेन्स में तब्दीली की मांग करता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप ही गलती करें और आप ही उसको सही करें, यह नहीं हो सकता। उसकी अपील को चीफ मिनिस्टर सुन सकते हैं। आप खुद ही थूकें और आप खुद ही चाटें, यह कानून में नहीं हो सकता।

(शेम-शेम)

आप खुद ही थूके और आप ही उसको चाटें यह बात कानून में नहीं हो सकती। यह कोई-हंसी मजाक की बात नहीं है। आप जिस बात को हम पूछते हैं उसका जवाब दें। इसलिये मैं अपील करूंगा कि जिस ऑथोरिटी ने गलती की है उसके हाथों में इस प्रकार के पावर्स नहीं दिये जावें। जिन्होंने इतने दिन पंचायती राज्य चलाया वे खुद मंजूर करते हैं कि उन लोगों की गर्दन पकड़ कर उन्होंने बुलाया है। अब इलेक्शन हो रहे हैं इसलिये आप यह चाहते हैं कि आपको इसकी इजाजत देदी जाए, मैं यह कहूंगा कि यह इजाजत आपको नहीं दी जा सकती किसी भी सूरत में। मैंने गलती की है, मैंने बुरा किया है, मैंने फेक्टस पर गलत दस्तख्त किये हैं और अब आप आये हैं यह कि हमें इस प्रकार के पॉवर्स दे दिये जावें। आप चाहते है कि आपकी मर्जी पर जीयें। आप इज्जत बख्शी का हक क्यों चाहते हैं। यह कोई शासन चलाने का तरीका है कि आप हमें सोचने का मौका नहीं दें ? मैं इन शब्दों के साथ अपील करूंगा कि अपनी पार्टी से और सदन से कि इनको यह ताकत नहीं दी जावे और दी जावे तो चीफ मिनिस्टर या और किसी दूसरे मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को दी जावें। जो एल. एस. जी का काम है उसमें आपको नहीं पूछा है। उसने एक लीगल आदमी को यह दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे और उसकी रिपोर्ट आने के बाद इसको पास कर दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति, मैं अपना प्रस्ताव करू या वैसे ही।

श्री सभापति : Stututory resolution regarding panchayats.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"यह सदन राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (सं० ५ सन् १९६४) को जो राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक ३-७-"१९६४ को प्रख्यापित किया गया, अस्वीकार करता है।"

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सभापति महोदय, on a point of order, Sir इस प्रकार का रिज़ोल्यूशन जो प्राइवट मेम्बर के द्वारा मूव किया जाने पर, इसके बारे में जहां तक मैंने स्टडी किया है चेप्टर ६ और १२ की हैल्प हमको लेनी पड़ती है।

चेप्टर १२ डील करता है रिजोल्यूशन्स से, यह रिजोल्यूशन आया है यह भी जहां तक मैं समझता हूं चेप्टर १२ के माफिक होना चाहिये और चेप्टर १२ के तहत जितने रिजोल्यूशन्स होने चाहिये उनके लिये नोटिस आना आवश्यक है और टाइम की अवधि आना आवश्यक है। इसके अलावा चेप्टर ६ में रूल २५ है उसको मुलाहिजा फरमायें, वह इस प्रकार है :—

'The relative precedence of resolutions, notices of which have been given by private members, shall be determined by ballot, to be held in accordance with the orders made by the Speaker, on such day as the Speakor may direct;

इसमें भी इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये यह सन्देहास्पद प्रतीत होता है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि : There is Rule 106 of the Rules of Procedure which Says-

'A member other than a Minister who wishes to move a resolution shall give fifteen clear days' notice of his intention and shall, together with the notice. 'submit, the text of resolution which he wishes to move:,

अब यह प्रोवीजन है :

Except these two provisions of the rules, what conduct of business should be followed in this regard, I don't find any other provision to guide us so far as the conduct of business andRules of procedure in thisAssembly is concerned.

There is no provision to guide us in this respect.

Of course a resolution may be brought before the Honse but how to put it, a certain procedure has to be followed The very resolution which comes is very inconsistent whith the rueles. Some prescibed

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

step should, therefore, be taken in this respect either to amend the rule or to take some decision so as to guide theo Huse for the purpose.

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने राजस्थान पंचायत अमेंडमेंट ऑर्डिनेन्स को डिस्एप्रूव करने के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह ने रिज़ोल्यूशन रखा है उसके सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की है कि नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के स्टेचुटरी रिज़ोल्यूशन को बिना नोटिस के देने की व्यवस्था नहीं है।

इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्य का ध्यान आर्टीकल २१३ की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें इस प्रकार का स्टेचुटरी रिज़ोल्यूशन मूव करने का प्रावधान है। लोक सभा के अध्यक्ष के लोक सभा के लिये डाइरेक्शन्स हैं जो हमारे लिये भी मान्यता रखते है, उनकी तरफ भी मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहूंगा :

'A resolution notice of which has been given in pursuance of a provision in the Constitution or an Act of Parliament, shall not be ballo tted under the rules......

और इसलिये इसके बैलेट की आवश्यकता नहीं है। इस सदन में भी इस प्रकार की व्यवस्था कई बार दी जा चुकी है जिससे शायद वे अवगत नहीं हैं। यह स्टेचुटरी रिज़ोल्यूशन आर्टिकल २१३ के मातहत मूव किया गया है, इसमें न बैलेट की आवश्यकता है और न दूसरे प्रावधान इस पर लागू होते हैं। इसलिये उनकी आपत्ति को निरस्त करता हूं और माननीय श्री भैरोंसिंहजी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, सरकार ने ये दोनों ऑर्डीनेन्सेज़ जिस मतलब को लेकर जारी किये थे उस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका कि सरकार को यह ऑर्डीनेन्सेज़ जारी करने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई। ७ जुलाई को एक नोटिफिकेशन निकलता है, ३ अगस्त को विधान सभा की बैठक होने वाली थी। कुल २५ दिन का अर्सा इस ऑर्डिनेन्स के जारी होने से लेकर विधान सभा की बैठक होने तक लगता है। इस २५ दिन के समय में किन आवश्यकताओं के कारण सरकार को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि यह कानून अगर २५ दिन के अन्दर या ७ जुलाई के लगभग पास नहीं होगा, या लागू नहीं किया जा सकेगा तो पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन समाप्त हो जायगा, पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन के वर्किंग के अन्दर कोई दिक्कत पैदा होगी या पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन में जो पंच, सरपंच, आदि काम करते हैं उनके काम में बाधा उपस्थित होगी? इस बातको स्पष्ट रूप से इस विभाग के मन्त्री महोदय ने जब पूर्व भाषण दिया तो स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस २५ दिन के अर्से में अभी तक हम किसी भी चीज को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाये हैं। उनके सामने दो प्रश्न थे, जो उन्होंने इस सदन के अन्दर रखे, एक महिला के बारे में और दूसरा सूरजमल, जो पंच या सरपंच हैं, उनके बारे में कानून बनता

(श्री भैरोंसिंह)

है, एक महिला के लिए, एक सरपंच के लिए और वह भी इस कानून से जब कि उनको राहत मिल चुकी हो ....

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : May I clarify this?

मैंने यह नहीं कहा कि एक महिला के लिए या एक सरपंच के लिए यह कानून बना रहे हैं। मैंने यह कहा था कि राजस्थान के अन्दर जिन सरपंचों को अलग किया गया है, पंचायत समिति की सदस्या भी जिनमें शामिल हैं, जिनको अलग किया गया; इसलिये अलग किया कि महिला होने के कारण ट्रेनिंग में नहीं जा सकीं····

श्री भैरोंसिंह : श्रीमानजी, यह बात नहीं है। आप जिम्मेदारी से बात कहना चाहें तो ऑर्डिनेन्स किन परस्थितियों में जारी होते हैं, उनको स्टडी करें। ऐसी कौनसी कन्डिशन्स आई कि ऑर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता पड़ी? जनरल वे में विचार रख दिये कि पंचों, सरपंचों के सामने यह दिक्कत थी। पर मैं केटेगोरिकली पूछना चाहता हूँ। ऑर्डिनेन्स इश्यू करने से पहले सरकार ने विचार किया था कि कितने ऐसे केसेज़ आये कि कानून को सही रूप में लागू नहीं किए जाने के कारण उन पंचों, सरपंचों को सस्पेन्ड किया? आप यह फीगर रखिये कि कितने लोग थे जिनके फेक्ट्स समझने की गलती की है। मामलों की गिनती नहीं है तो केवल यह बात कहने से काम नहीं चलेगा कि बहुत से मामले हमारे सामने थे।

श्री भीखाभाई : चेयरमेन सहाब, मैं इस का उत्तर यह दे सकता हूं कि रोज़ाना हमारे पास शिकायतें आती रहती थीं, अदालतों में जाने वालों के केसेज़ आये, जिनके केसेज़ में अदालतों में जाने का टाइम नहीं रहा था, उसके पहले के कई केसेज़ थे। पर हम रिव्यू की अपील ले नहीं सकते थे, इसलिए हमने यह ऑर्डिनेन्स जारी करने की कार्यवाही की ९० दिन की, फंडामेंटली हमने यह नॉन-पार्टी बेसिस पर नॉन-पोलिटिकल आधार पर, कोई पार्टी का सरपंच हो, सबके लिए किया है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट के सामने कोई कॉन्क्रीट केस नहीं था, जनरल डिफिकल्टी महसूस कर रही थी कि रिव्यू के पॉवर सरकार के पास नहीं। मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि यदि २५ दिन के बाद यह कानून सदन में पेश कर दिया जाता तो कौनसी दिक्कत आने वाली थी? कौनसे फंडामेन्टल्स के कारण आपकी सरकार चलने वाली नहीं थी। १९५३ में पंचायत कानून बना और पंचायत समिति कानून १९५९ में बना। सन् १९५३ से लेकर १९६४ तक हमारी सरकार, पंचायत और पंचायत समितियों के जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों को पंचायत इन्स्टीट्यूशन्स के फंक्शन से चला रही है, लेकिन ७ जुलाई को हमारी सरकार के सामने तोप आकर खड़ी हो जाती हैं। वे संस्थाएं १० वर्षों से कार्य करती आ रही हैं। ऑर्डिनेन्स के प्रश्न को लेकर कई बार यहां चर्चा हुई और मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिता, लेकिन यदि कहा जाय तो सरकार इस मसले पर बिल्कुल निर्लज्ज है, इस सरकार को कुछ महसूस नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

होता, तो अनुचित न होगा। इन मंत्रियों के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, इनके दिमाग पर इस सदन की भावनाओं का किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, यह समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि पंचायतें कैसे चल रही हैं, या उनकी क्या दिक्कतें हैं। इस सरकार क तो केवल एक ही चिंता है कि यह अधिका हमें मिलना चाहिए, हमें रिव्यू करने का अधिकार मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए? वह भी इसलिए कि दिसम्बर में पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, इस लक्ष्य को सामने रखकर हमारी सरकार पंचायतों को, सरपंचों और प्रधानों को ऑब्लाइज़ करना चाहती है कि तुम यदि हमारी मर्जी पर जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हारी डिस्क्वालीफिकेशन को रिमूव किया जा सकता है और यदि हमने तुमको हटा भी दिया है तो वापस री-इन्स्टेट कर सकते हैं तुमने और यदि हमारा विरोध किया तो हम तुमको सस्पेन्ड भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे खिलाफ़ एक्शन भी ले सकते हैं, हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं।

मैं समझता हूँ कि आज तक जितने कानून बने हैं उन कानूनों में मुझे ऐसी व्यवस्था देखने में नहीं आई कि कोई आदमी जो सरकारी फैसले से एग्रीव्ड है, उस आदमी को यह अधिकार मिले कि उस निर्णय के बाद वह रिवीज़न करना चाहे, ऐप्लीकेशन मूव करे और सरकार उस पर कार्यवाही करे। इससे हमारे भीखाभाई रिव्यू की पॉवर्स अपने हाथों में सूओ मोटो लेना चाहते हैं।

राजस्थान विधान सभा के इतिहास में जितने भी कानून बने हैं उन कानूनों के जरिए आप एक भी एग्ज़ाम्पल बता दें कि रिवीज़न करने की और रिवीज़न के साथ साथ रिव्यू करने की सूओ मोटो पॉवर हमने कभी भी सरकार को दी हुई है? कोई भी सरकार ऐसी निकम्मी और जलील नहीं होगी जो सूओ-मोटो पॉवर अपने हाथ में रखती होगी। यह राजस्थान सरकार ही जलील सरकार, निर्लज सरकार है।

(शेम-शेम)

आपको इसमें शर्म तो नहीं आती, आपको हंसी आती है।

श्री भीखाभाई : आप अगर हमारी बात को सुनने की कोशिश करें......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सभापतिजी सरकार के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : हां, सरकार निकम्मी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : बिल्कुल सही बात है, आप तो चुप होकर सुनो।

श्री भैरोंसिंह : आपको दर्द क्यों होता है, मंत्रीजी जब खुद मानते हैं कि वह निर्लज्ज हैं तो फिर आपको क्यों दर्द होता है? तो सभापति महोदय, इस विधेयक में लिखा है :

(श्री भैरोंसिंह)

"The State Government may on its own motion at any time..."

बाकी के लिए पाबंदी लगाई है कि ६० दिन के अन्दर रिव्यू की एप्लीकेशन भेज सकते हैं, ६० दिन में उनकी एप्लीकेशन नहीं आई तो सरकार तो किसी समय भी रिव्यू कर सकती है। मैं सरकार से कहता हूं कि सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं का जो इस प्रकार से उपहास करने की चेष्टा कर रही है, लोकतांत्रिक परम्पराओं के आधार पर जो एक सत्ता उनके हाथ में है उनका दुरुपयोग करना चाहती हैं, तो यह दुरुपयोग केवल इस सरकार को नहीं खाएगा, बल्कि लोकतंत्र के अन्दर जो जनता की आस्था है उसको भी आघात पहुँचाएगा।

"Government at at any time without any limitation may......

इसलिए मैं राजस्थान सरकारसे निवेदन करना चाहूंगा हैं कि जो सूओ मोटो की पॉवर्स जो उन्होंने लेना चाही है उनको विद्ड्रॉ करें। आज लिमिटेशन्स के मामले में "एट एनी टाइम" दखल करने का जो अधिकार हमारी सरकार ले रही है, उन अधिकारों को वापिस ले ले। एक बार यदि सरकार ने रिवीज़न की पॉवर्स को, अनलिमिटेड पॉवर्स को ले लिया, सूओ मोटो अपील सुनने का अधिकार प्राप्त कर लिया तो सारे कानूनों में इस प्रकार के परिवर्तन होने लगेंगे, यह तो टेस्ट केस रखा है सदन की नब्ज जानने के लिए और फिर कहने में आसानी कि होगी हमने पंचायतों में सूओ मोटो रिवीज़न करने का अधिकार लिया है उसमें हमने अन्‌लिमिटेड पॉवर्स ली हैं, 'एट एनी टाइम' जिस समय चाहा ऑर्डर पास कर दिया, डिस्क्वालीफिकेशन रिमूव कर दिया, सस्पेंड कर दिया या डिस्क्वालीफाई कर दिया।

मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री और जो सबसे ज्यादा कानून बनाते है, उन उप मंत्री से पूछ लें कि कहीं सरकार को अन्‌लिमिटेड पॉवर्स हैं ? क्या पूछिए जरा उनसे। कहीं नहीं है, लेकिन आप लेना चहाते है, इसलिए कि कहीं अपने आदमी को ६० दिन के बाद कवर करना हो तो कर सकें। बिना उसकी दरख्वास्त पर जो भी इस कानून से अधिकार मिलता हो उसका प्रयोग करलें।

तीसरा प्रश्न यह आता है कि राज्य सरकार ने एक एडिमिस्ट्रेटिव कमेटी की नियुक्ति की। उस कमेटी ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के अन्दर पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में भी उल्लेख है। एडिमिन्स्ट्रेशन में कौन कौन से सुधार किए, इस बारे में भी लिखा है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने कम से कम इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा। केबिनेट में डिस्कशन्स हुए होंगे या उनको मालूम होगा कि इस मसले पर केबिनेट का डिसीशन होने वाला है, लेकिन चिंता नहीं की होगी इसलिए कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री के स्वाभिभक्त मंत्रियों में से हैं, उनके मुंह से शब्द निकले वह परमात्मा के शब्द हैं। उन्होंने सोचा किसी प्रकार का हेरफेर करना उनकी लॉयल्टी को डिसप्यूट करना है। हमारे मंत्रीजी इस रिपोर्ट को पढ़े होते और खास कर उस चेप्टर को जिसमें राजस्थान सरकार के जो सेमी-ज्युडिशियल और ज्युडिशियल फंक्शन्स को जिस प्रकार चला रहे हैं उन फंक्शन्स को कर्ब करने के

(श्री भैरोंसिंह)

लिए लोगों से न्याय करें, इस प्रकार, की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिया। और यदि उस चेप्टर को पढ़ जाते तो मंत्री जी आपको यह आवश्यकता और जरूरत नहीं होती कि आप इस विधान सभा में इस प्रकार का एक संशोधन लाने की कोशिश करते और ये सब ज्युडिशियल फन्क्शन्स करने के लिए हमारी सरकार को आवश्यकता पड़ती। ज्युडिशियल ट्रिब्युनल्स का प्रावधान है। उनमें काम करने के लिए अलग से ज्युडिशियल ट्रिब्युनल्स को नियुक्त किया जाय, उसको यह अधिकार दिया जाय। साथ साथ गवर्नमेन्ट के काम का बर्डन कम होगा और लोगों को न्याय मिलेगा, यदि न्याय नहीं मिलता है और लोगों को संतुष्ट करने के लिए यदि किसी ट्रिब्युनल के सामने यह मामला चला जाय तो सरकार को क्या आपत्ति है। सरकार तो यह चाहती है कि अधिकार मुझ को मिले। मैं जिसको चाहूं मारूं और मैं जिसको चाहूं तारूं।

दूसरा प्रश्न आता है राजस्थान में नगरपालिकाओं के ट्रिब्युनल्स का। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि इसमें फन्डामेन्टल क्वेश्चन इन्वोल्व था उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान की नगरपालिकायें हैं, उन नगरपालिकाओं के किसी भी सदस्य को, नगरपालिकाओं के चेयरमेन को, हमारी सरकार कोई सजा नहीं दे सकती, जब तक कि उनके सम्बन्ध में ज्युडिशियल ट्रिब्युनल का निर्णय न हो जाय। मैं इस सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह समझ कर चलते हैं कि गांवों में रहने वाले पंच और सरपंच मूर्ख हैं, पंच, सरपंच और प्रधान किसी प्रकार योग्य नहीं है, गांव में रहने वाले ये, सब पद प्राप्त करने वाले ये सारे व्यक्ति क्या इतने निकम्मे हैं कि निकम्मे व्यक्तियों पर तो सरकारी अधिकारियों का कन्ट्रोल होना ही चाहिये? विधान सभा में आये हुए सदस्य को न तो सस्पेन्ड किया जा सकता है सरकार के अधिकारों से और न ही उसको निकाला जा सकता है, लेकिन नगरपालिका ने सस्पेन्शन के पॉवर्स लिये हैं, उनमें एक राहत है कि ज्युडिशियल ट्रिब्युनल्स के सामने जाकर एप्रोच कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण और नगरीय जनता के साथ यह भेद-भाव क्यों किया? यदि नगर में रहने वाली जनता है और उसको कोई दिक्कत है तो वह तो ज्युडिशियल ट्रिब्युनल्स में जावेगी लेकिन इस कानून में जिस प्रकार से नगर के लोगों को राहत मिली है आप उसी प्रकार की राहत ग्रामीण जनता को देना नहीं चाहते। सरकार कहती है कि हम डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन में विश्वास करते हैं। सरकार कहती है कि स्वायत्त शासन संस्थायें पनपें इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार को रिवीज़न के पॉवर्स देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को जो सस्पेन्ड करने के पॉवर्स हैं उनको उससे वापिस लिया जाय। सस्पेन्शन के, डिस्मिसल के, एन्क्वायरी के मामले किसी ट्रिब्युनल के पास जांय, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये और नहीं जाते हैं तो मंत्रीजी आप शहरी नहीं हैं, आप शहर से नहीं आते हैं, जयपुर शहर में अभी तक

Page No.84

(श्री भैरोंसिंह)

आपको कोई बंगला नहीं बना है, डूंगरपुर के आप निवासी नहीं है, किन्तु आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने से आप उनका मंत्रीमंडल में प्रतिनिधित्व करते हो, उस प्रतिनिधित्व के लिए शहर के लोगों को जो अधिकार प्राप्त हैं, जो उनको सुविधायें प्राप्त हैं वे मिलती रहें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि शहरके मुकाबले में, ग्रामीणों का अपमान करें, सरकार का उन पर अंकुश रहे, इसको स्वीकार करके चले, मैं समझता हूं यह एक डिस्क्रिमिनेशन है, इसको अवोइड करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी सरकार अधिकारियों को पूछती है, सरकार को चिन्ता नहीं, सरकार किस बात के लिए ऑर्डिनेन्स इश्यू कर रही है। सरकार तो एक ही बात देख कर चल रही है कि दिसम्बर के महीने में पंचायतों के चुनाव किस प्रकार से जीते जांय। आप जीतने वाले नहीं हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि यदि सितम्बर के महीने में अच्छी बरसात नहीं हुई और फसल अच्छी नहीं हुई आप यह मान कर चलें कि आप चुनाव कराने वाले भी नहीं हैं। आपने नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया। पंचायतों की मियाद आपने दिसम्बर तक बढ़ा दी। योजना बनाई हो, वोटर्स लिस्ट तैयार करा रहे हो यह बता रहे हो, लेकिन मन के अन्दर यह है कि यदि अनाज के भाव और बाकी चीजों के भाव इसी प्रकार से बढ़ते रहे, कम नहीं हुए, आप उन भावों पर कन्ट्रोल नहीं कर सके, भाव कम न हुए और सितम्बर में पैदावार अच्छी नहीं हुई तो गांवों में किस मुंह से जावेंगे, स्वागत हमारा कैसा होगा, लोग हमारे साथ कैसे होंगे ? यदि आप यह कर रहे हैं और सितम्बर के महीने में कर रहे हैं तो पहले आप यह अन्तिम रूप से तय कर लो कि इलेक्शन दिसम्बर में ही होंगे। तो जो माननीय उप-मंत्री, जो शिक्षा उप-मंत्रीजी हैं वे कहते हैं कि गांवों में हमारा काला मुंह किया जावेगा, खैर, मैं यह नहीं कहना चाहता....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : चेयरमेन महोदय, आप (श्री भैरोंसिंह) जैसे व्यक्तित्व के लिये ऐसा नीचा स्तर उपयुक्त नहीं है।

श्री सभापति : जिनका नहीं है उसके लिये कह रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको राहत दी है, आपका गला बैठा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आप शायद यह कहें कि जिनका काला मुंह है उनका और काला न करने की कोशिश करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गौरे मुंह पर घमंड मत करिये।

श्री भैरोंसिंह : काला मुंह का काला कैसे होगा तो काले मुंह पर सफेदी पोत देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गौरे मुंह की बड़ी चिन्ता है। काले को वाइट कर लिया है।

श्री भैरोंसिंह : गौरे और काले के बीच में जो है उसकी चिन्ता है। तो, सभापति महोदय, ऐसे प्रश्न पर

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार को ज्यादा गम्भीर होना चाहिये। पंचायत के सरपंच, प्रधान, पंच इन सब के बारे में सादिक अली कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के आधार पर इस कानून में परिवर्तन होता, इलेक्शन की व्यवस्था में परिवर्तन होता, पंचायत के अधिकारों में परिवर्तन होता। वह रिपोर्ट सरकार को मिल गई, सरकार उस पर विचार कर रही है, उसके आधार पर अमेन्डमेन्ट सदन में आवेंगे। अमेन्डिंग बिल सदन में पेश होगा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह व्यवस्था उस कानून को हाथ में लेने के बाद करते तो क्या होगा ? लेकिन सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट में सरकार को जो अधिकार मिले हैं उसका क्या किया, इस रिव्यू के नाम पर कुछ नहीं किया, सरकार की जो कन्ट्रोलिंग आँथोरिटी है वह एक डिक्टेटर टाइप आँथोरिटी बनती जा रही है। उसको उस कमेटी ने कभी एप्रूव नहीं किया है, उसको उस कमेटी ने कन्डेम किया है और आँल्टरनेटिव सजेशन दिये हैं, उनको हमारी सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है_

सभापति महोदय, यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन का नाम है और राजस्थान की हुकुमत, इस हुकुमत को सन् १९५९ में यह श्रेय मिला था कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद राजस्थान में सबसे पहले डिसेन्ट्रेलाइजेशन की स्कीम को लागू किया। राजस्थान के मुख्य मन्त्री और राजस्थान के मुख्य सचिव ये दोनों इसके मसीहा बन कर हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध हुए कि राजस्थान में सबसे पहले डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की स्कीम को लागू कर वह श्रेय प्राप्त किया है जो अन्य राज्यों को नहीं मिल पाया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने नाम कमाया है, यदि उसको कायम रखना है तो यह अधिकार लेने की प्रवृत्ति छोड़ों, पंचायतों के काम में दखल करने की प्रवृत्ति छोड़ो, पंच, सरपंच के स्वायत्त अधिकारियों पर कुठाराघात करने की प्रवृत्ति छोड़ो, और यदि उसको नहीं छोड़ोगे तो जो आपने सन् १९५९ में नाम कमाया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज आपके लूज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर इनएफिशियेन्सी के कारण, पोलिटिकल एडवान्टेज उठाने के गलत कार्यवाही करने के कारण ये पंचायत इन्स्टीट्यूशन्स हम सबके लिए जहां एक अभिशाप की दृष्टि से निकल रही हैं वहां राजस्थान की हुकुमत इस बात के लिए बदनाम होगी कि सबसे पहले एक्सपेरीमेंट राजराजस्थान सरकार ने किया और सबसे पहले वही फेल हुई और सबसे पहले राजस्थान सरकार ने डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की हत्या की। मैं समझता हूं इन दोनों दृष्टिकोण के बीच राजस्थान सरकार किसी मसले पर विचार करे, तो उचित हो सकता है।

सभापति महोदय, आज ऐसे भी प्रधान हैं जिनको डी. आई. आर. में गिरफ्तार किया लेकिन उनको सस्पेन्ड नहीं किया। मैं समझता हूं उप-मंत्रीजी, गृह जानते हैं कि ऐसे प्रधान हैं जिनको डी. आई आर. के अन्तर्गत गिरफ्तार किया लेकिन उनको सस्पेन्ड नहीं किया, कोर्ट में जिनके खिलाफ गबन के मुकदमे चले हैं, उनको सस्पेन्ड नहीं किया, चोरियों और डकैतियों में जिनका प्रोसीक्यूशन हो चुका है उनको भी आप सस्पेन्ड नहीं कर

(श्री भैरोंसिंह)

पाये हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को हटाया है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आपकी हुक्म की तामील में मसूरी और नैनीताल नहीं गये। प्रधान और सरपंच, पंच, उनको ऊपर से जो आदेश मिलें हैं नैनीताल जाओ और मसूरी जाओ। आपकी पार्टी के आदमी चाहे वे डी० आई० आर० में गिरफ्तार किये गये हों, चाहे गबन के आरोप में गिरफ्तार किये गये हों, लेकिन उनको सस्पेन्ड नहीं किया जायगा। यह तो एक तरह से वे अपना काम मानकर चलते हैं। अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति गबन नहीं करें तो कांग्रेस के घोषणा-पत्र का पालन नहीं हो सकता। कांग्रेस का कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध नहीं करता है तो वह कांग्रेस के घोषणा-पत्र की अवहेलना करता है। यह तो अधिकार उनको प्रवेश पाते ही कांग्रेस में मिल गया है........

श्री भीखाभाई : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि वे जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं उससे तो यह मालूम होता है कि वे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिये कोई पंच, सरपंच मुकर्रर हो गया और वह प्रशिक्षण के लिये नहीं जाता है तो स्टेट्यूटरी पॉवर्स हैं वह सीज़ होते हैं। उन्हीं को रिव्यू करने के लिये यह बेसिक ग्राउन्ड बनाया है....

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कांकरोली से आने वाले माननीय सदस्य जरूरत से ज्यादा होशियार हैं!

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं राजसमन्द से आता हूं।

श्री भैरोंसिंह : कांकरोली और राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य जरूरत से ज्यादा अपने आपको होशियार समझते हैं। खुद अपनी तरफ से कोई बेअक्ली की बात नहीं कहेंगे, दूसरों को बहकाकर खड़ा कर सकते हैं। मैं उनकी इस होशियारी की दाद देता हूं और किसी के ऊपर हाथ सफाई नहीं हो सकती है तो अपने मिनिस्टर के ऊपर तो हाथ सफा किया ही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई प्रश्न पूछा होता तो बात भी थी, आपने यह नया ही शब्द इस्तेमाल किया है "हाथ सफा करने का", ऐसी बात आप करते नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, श्रीमानजी हाथ साफ करने की बात के लिये कहते हैं, अगर दा' साहब होते तो उन पर हाथ साफ करते, आज दा' साहब हैं नहीं तो उन्होंने समझा बेअक्ली की बात कहलानी है किससे कहलवायें, तो भगवान की कृपा से उनको मिल गये।

सभापति महोदय, आप कहते हैं कि हम जो इस प्रकार की गलतियां करते हैं उन गलितयों को दुरुस्त करने का अधिकार क्यों न हमें दिया जाये। आपको कहा किसने था कि गलती करने का अधिकार आपको कानून से मिला हुआ है, इस कानून में नहीं लिखा है। कानून की जानकारी आपको नहीं है, तो आप गलती कर सकते हैं, फेक्ट्स की जानकारी नहीं है इसीलिये गलती कर सकते है, इस प्रकार का पट्टा राजस्थान विधान सभा ने आपको नहीं दिया।

(श्री भैरोंसिंह)

आपको जो बहकाकर बात कहलवाने की प्रवृत्ति अपनायी गई है उसके लिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो कुछ बातें कहें अपनी समझ के अनुसार कहें, किसी के बहकावे में आकर नहीं कहें। नहीं तो बहकाने वाले ही बाहर जाकर मजाक उड़ायेंगे कि देखो मैंने भीखाभाई को खड़ा करवा दिया....

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is an extraneous matter. इसको कार्यवाही से एक्सपन्ज किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : किसको, भीखाभाई को एक्सपन्ज किया जाय। मैं उनसे बराबर हमदर्दी रखता हूं, ऐसे मंत्री तो मंत्रि-मंडल में रखे जांय। ऐसे मंत्री राजस्थान के मंत्रि-मंडल में नही रहेंगे तो कांग्रेस का खात्मा कैसे होगा ? इसलिये ऐसे मंत्रियों की आवश्यकता है। सुखाड़िया मंत्रि-मंडल में मंत्रियों की जो क्वालिफिकेशन्स हैं वह अयोग्यता ही मुख्य रूप से है। जो व्यक्ति अयोग्यता में सबसे ज्यादा योग्य होगा उसी को मंत्रि-मंडल में लिया जायगा, ताकि अयोग्य मंत्री उनकी जी-हजूरी करते रहें, ताकि उनका मन चाहा काम होता रहे। आज कांग्रेस में बहुत योग्य व्यक्ति बैठे हैं लेकिन उसमें देखा जाता है कि अयोग्यता प्रूफ कौन है; उसी को लेकर शामिल करेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आपकी योग्यता की डेफिनिशन ही गलत है।

श्री भैरोंसिंह : आप मेरी इस डेफीनेशन के अनुसार होते तो कभी के सामने बैठे हुए दिखाई देते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं अपने आपको इसके लिये अयोग्य समझता हूं, आप देखते नहीं सात साल से मैं इधर बैठा हुआ हूं, आपकी डेफिनिशन और हमारी डेफिनिशन में फर्क है।

श्री भैरोंसिंह : बाकी की पार्टियों के अन्दर चुनाव होते हैं, लीडर बनाये जाते हैं उसमें देखा जाता है कि जिसको सबसे ज्यादा विश्वास प्राप्त है, कौन सही प्रकार का नेतृत्व दे सकता है, वहां हम देखते हैं कांग्रेस में उसके विपरीत है, जो अयोग्य से अयोग्य होगा उसको मंत्रि-मंडल में लिया जायगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Irrelevant.

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी मिनिस्टर्स को छोड़ करके....

अब ऐसी स्थिति के अन्दर, सभापति महोदय, इस कानून को जरूरी मानकर हमारी सरकार इसको ऑर्डिनेन्स के रूप में लायी। मंत्रीजी तो कभी इस बात को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, अगर इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चलते हैं तो विधान सभा के जरिये सरकारी बैन्चेन्ज पर बैठने वालों को और सरकारी अधिकारियों को अपील नहीं करने वाला, लेकिन सरकारी अधिकारियों को यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के अयोग्य मन्त्रियों का नाजायज

(श्री भैरोंसिंह)

लाभ उठाने की वे चेष्टा न करें, वे इस तरह एक्सप्लोइटेशन न करें। आपके इस प्रकार के कारनामों का प्रतिफल मंत्रियों को नहीं जनता को भुगतना पड़ता है, जनता इनसे परेशान होती है। आप अपनी इन्टेलिजेन्शिया का उपयोग दुरुपयोग अयोग्य मंत्रियों से गलत काम करवाने में न करें। राजस्थान विधान सभा के लिये भी यह शर्म की बात है कि राजस्थान के अन्दर जो चुनी हुई व्यवस्था है उसके अन्दर इस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं, सरकारी अधिकारी इस प्रकार का अंकुश लगाने की चेष्टा करते हैं। उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वे मंत्रियों की स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश न करें। जनता सारी स्थिति को सोच कर, समझ कर इसको किस प्रकार रोक सकते हैं, इस पर विचार करेगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

केवल दो मिनिट में ही समाप्त करता हूं। उदाहरण के रूप में, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहरोड़ का प्रश्न उठाया, उप-मन्त्री, गृह, वहां जाकर आये हैं, उन्होंने उस सारी चीज को देखा है। मुझे जिस प्रकार की जानकारी मिली है वे उस स्थिति की जांच करके भी आये हैं। उस आधार पर कहना चाहता हूं कि सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारों का किस प्रकार दुरुपयोग करती है। एक सरपंच के रिश्तेदार ने एक बोरी चीनी का ब्लेक मार्केट किया, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और उस बोरी को जब्त कर लिया। छात्रों का जुलूस निकला उस जुलूस को पिटवाया गया, इस प्रकार की सारी कार्यवाही हो सकती है केवल एक बात के लिए कि कांग्रेस के प्रधान के रिश्तेदार को, जिसको इन्हैरेन्ट अधिकार हैं इस प्रकार ब्लेक मार्केट करने के, सरकारी अधिकारी उनके इस पॉवर को छीनना चाहे, उनमें हस्तक्षेप करना चाहे, यह सरकार उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है। एक तरफ तो कांग्रेस वालों को ब्लेक करने की छूट है दूसरी ओर वहां की जनता एक किलो चीनी के लिए त्राहि त्राहि करती रहे। आपको चिन्ता नहीं, बहरोड़ के प्रधान और उनके रिश्तेदार कितनी ही बोरियों का ब्लेक करते रहें, आपको फिक्र नहीं। उन्हें चिन्ता इस बात की है कि कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज के व्यापार में सरकार के पोषण में आने वाले व्यक्ति कितना नाजायज लाभ उठा सकते हैं।

(१२ मध्यान्ह)

हमारी सरकार के सामने जब यह मसला आया तो हमारी सरकार ने उस थानेदार को जिसने अपने पद का सही उपयोग किया, कोई इनाम नहीं दिया। जिस मजिस्ट्रेट ने शान्ति पैदा करने की चेष्टा की उसे इनाम नहीं दिया। एक आदेश सरकार का निकलता है, नादिरशाही, कि उस मजिस्ट्रेट का, सर्किल इन्सपेक्टर का और बी. डी. ओ. का ट्रान्सफर होगा। डाक्टर का ट्रान्सफर होगा; थानेदार, असिस्टेन्ट थानेदार और हैड कॉन्स्टेबल का ट्रान्सफर होगा।

(श्री भैरोंसिंह)

आप कह दीजिये स्पष्ट तौर से, कानून पास कर दीजिये कि कांग्रेस का कार्यकर्त्ता अगर ब्लेक मार्केट करता है तो वह कानून के दायरे में नहीं आवेगा या कानून में प्रोवीजन ऐसा कर दीजिये कानून में कि उनको तो एग्जेम्पशन मिला हुआ है।

मैं कहता हूं कि वहां कितनी गड़बड़ी हो रही है, इसकी कोई चिन्ता नहीं करते। चिन्ता आपको यह है कि जिन अधिकारियों ने आपके चहेतों को ब्लेक मार्केट करने से रोका उन अधिकारियों का तबादिला कर दूसरी जगह पर ले गये। जनता त्राहि–त्राहि करती है तो करने दो, पर त्रस्त जनता को जिन्होंने संरक्षण देने की जुर्रत को उनका ट्रान्सफर हो गया आपके राज्य में। जनता आज वहां की आंतकित है कि अब जो अधिकारी वहां आवेंगे वे बदला लेंगे। उनकी सारी कार्यवाहियों पर रोक लगाने की वे कोशिश करेंगे। मैंने राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रशासनिक और जनहित में भी ठीक नहीं है। उनका उत्तर जिस प्रकार का मेरे पास आया उससे मुझे सन्तोष नहीं है, किसी प्रकार का। उनको यदि उन अधिकारियों के स्थानान्तरण के मामले में उन केसों के मामले में इतनी जरूरत पड़ गई कि तुरन्त ट्रान्सफर करना है तो मैं बताऊं राजगढ़ के एस० पी० के स्थानान्तरण को लेकर विधान सभा में कितनी बात कही गई, पर उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से जब लोगों ने उनकी पिटाई की तो सरकार ने देखा अब बदलो जब, पुष्प हार जनता ने पहनाया तो स्थानान्तरण किया। फिर भी स्थानान्तरण से उनको दण्ड मिला हो, ऐसी बात नहीं। सरकार सोच रही है कि अब उनका दिल्ली में ट्रान्सफर किया जावे। राजगढ़ तो छोटी जगह है, दिल्ली जाओ और स्टेट के वेल्यूएशन ऑफीसर बन कर वहां मौज से रहो, ठाठ से रहो। यह सरकार जब तक जिन्दा है तुम्हें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। राजस्थान में एक नहीं, अनेकों ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जनता की एक नहीं, हजारों शिकायतें हैं पर उनका सरकार ट्रान्सफर नहीं करती। पर बहरोड से सबका ट्रान्सफर किया है।

मैं माननीय उप मन्त्रीजी से और माननीय मन्त्री महोदय से, दोनों से, कहना चाहूंगा कि इस मसले पर वे विचार करें। पंचायतों और पंचायत समितियों के प्रधानों को इस प्रकार की छूट देकर सरकारी अधिकारियों को डिमोरेलाइज़ करने की इस प्रकार कोशिश न करें कि वे कोई भी ब्लेक मार्केट की रोकथाम की कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ब्लेक मार्केट रुकेगा नहीं। उपभोक्ता को वस्तुएं मिलने वाली नहीं हैं। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि, खास तोर से उप-मन्त्रीजी से की आपकी इज्जत का तो कोई सवाल नहीं है, आप खुद भी कहते हैं कि मेरी इज्जत का कोई सवाल नहीं है। आप यह भी मानते हैं कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, तो फिर किसी की इज्जत का सवाल नहीं हो तो आप बेइज्जती इन्वाइट क्यों करते हैं? और बेइज्जती इन्वाइट करते है और अधिक अधिकार लेने की इच्छा है, अगर अधिकार ही चाहिये

(श्री भैरोंसिंह)

और कुछ नहीं चाहिये तो अधिकार तो आपको बहुत मिले हुए हैं। अभी जैसे ज्वालाप्रसादजी ने कहा कि भीखाभाई को नही होना चाहिए इसका अधिकार। यह तो राजस्थान के और किसी मन्त्री को या चीफ मिनिस्टर को होना चाहिये। मुझे आज पहली बार ज्वालाप्रसादजी की एक प्रेम पूर्ण बात बाकी के केबिनेट मेम्बरों के लिये सुनने को मिली। उनका बाकी के केबिनेट मेम्बरों में तो विश्वास है, केवल भीखाभाई में नहीं है। क्या आप यह चाहते हैं कि उनके अधिकार कौल साहब को दे दिये जावें, या हरिभाऊजी को दे दिये जावें और फिर आप खुश होंगे? वे उनसे ज्यादा योग्य हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैंने तो उस जुलूस की बात कही। कोई आदमी गलती करता है तो दूसरा व्यक्ति होना चाहिये। उस व्यक्ति के लिये मिसाल की तौर पर बात मैंने तो कही थी। आप किस तरह से अपना भाषण कर रेहें हैं यह तो एक पहलू था। अब खुद ने कार्य किया और खुद ने ही फेक्ट्स के अलावा फैसला कर दिया हो और उस पर कहें कि मैं तो अयोग्य समझता हूं। माना है मैं अयोग्य हूं। गलत फैसला किया है, डिक्लेरेशन किया है इसका। उसे ठीक करने के लिए ऑर्डिनेन्स जारी करते हैं और इसका इतना प्रायश्चित होता है तो सरकार को इन्हेरेन्ट पॉवर है करेक्ट करने का। पर ये तो अपने में ही अधिकार चाहते हैं केबिनेट यह तय कर दे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंठ में जैसी है वैसी एक ज्युडिशियरी बॉडी बना दे। तो मैंने तो इस पहलू पर कहा। उन्हीं को इस तरह रेफर नहीं करना चाहिये। यह क्या तमाशा लगा दिया। ये सारे ही हम एक लोग हैं।

श्री भैरोंसिंह: यह बात आपने बहुत बड़ी बताई कि हम सब एक ही चट्टे-बट्टे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: हम सभी कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है।

श्री भैरोंसिह: बिल्कुल चट्टे-बट्टे हैं।

श्री ज्वलाप्रसाद शर्मा: हां, बिल्कुल चट्टे-बट्टे हैं।

श्री भैरोंसिह: ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े माननीय सदस्य, जिनकी एसेम्बली में धाक, एसेम्बली के बाहर धाक........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपकी तारीफ मुझे मरवा देगी।

एक तो आपने जोशीजी की तारीफ की।

श्री भैरोंसिह: मेरे सामने एक यह समस्या है कि कांग्रेस के लोगों की आलोचना करूं तो वे नाराज और तारीफ करूं तो नाराज। अब यदि माननीय सदस्य को तारीफ कर दी कि इनकी धाक बहुत है, बहुत ही

(श्री भैरोंसिंह)

होशियार हैं ऐसे सदस्य अगर केबिनेट के मन्त्रीजी के लिये कहें कि ये अयोग्य हैं तो यह अयोग्यता सरकार की है। आपने गलत बात कही। मन्त्रीजी ने अयोग्यता स्वीकार नहीं की। कहां कहा कि मैं अयोग्य हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उनके स्टेट-मेंट की पंक्तियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनसे ऐसे कर्म हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, कौन से कर्म उनसे हो गये जिसके लिये उनको पश्चाताप हो रहा है। आप उनको कहकर एक मिनिट खड़ा तो कर दें कि जो कुछ गलतियां की हैं, कर्म किये हैं, उसके लिये वे पश्चाताप कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रोज करते हैं। जो करते हैं सो करते हैं, विश्वकर्मा हैं हम

श्री भैरोंसिंह : विश्वकर्मा हैं। यह बहुत अच्छी बात कही आपने। विश्व का सत्यानाश करने वाली एजेन्सी यह न हो जावे। उनकी निगाह में नहीं है यह बात। वह मैं कह रहा हूं और वही आप भी कहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

ऐसी स्थिति में ज्यादा समय न लेकर मैं यह कहना चाहूंगा सरकार से कि वह पंचायत समितियों के मामलों में दखल करने की प्रवृति बन्द करे। इस ऑर्डिनेन्स को अनावश्यक रूप से आप ने लागू किया। इस अपनी गलती को स्वीकार करें। ऑर्डिनेन्स की पुर्नरावृंति करने वाले इस बिल को वापिस लें डिवीज़न के अधिकार, सस्पेन्शन के अधिकार, मेम्बर के खिलाफ कार्यवाही करने के अधिकार किस कानून से अपने हाथ में सरकार ने ले रक्खे हैं, इस कानून में संशोधन करें। इस सब की व्यवस्था करने के लिये ज्यूडीशियल ट्रिब्यूनल बनाया जावे, संशोधन पेश किया जावे इस प्रकार का। इसकी भी आवश्यकता नहीं।

जो पंचायत समिति के कानून में सादिकअली रिपोर्ट के आधार पर इलोबोरेट अमेन्डमेन्ट बिल आ रहा है उसमें इस प्रकार का प्रावधान रख दिया जावे।

और अन्त में यह बात कहूंगा कि यदि वे अयोग्य नहीं हैं और अयोग्यता के आधार पर सरकारी अधिकारियों से एक्सप्लोइट नहीं होते हैं तो अपनी योग्यता का परिचय इस रूप में वे दें कि इसे वापिस ले लें। तो निश्चित रूप से मैं ज्वालाप्रसाद जी से सर्टिफिकेट दिलवाऊंगा कि आप योग्य हैं।

श्री सभापति : श्री हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल जब्बार ।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : चेयरमेन महोदय, सदन के समक्ष आज विकेन्द्रीकरण में पूर्ण विश्वास रखने वाले और विकेन्द्रीकरण के एक प्रकार से सबसे बड़े स्तम्भ हमारे मन्त्री श्री भीखाभाई का सही स्वरूप उपस्थित हुआ है।

बहुत दयालु हैं वे। किसी महिला के करुण क्रन्दन को सुन कर उनका हृदय गद्‌गद् हो गया है। उस हृदय की गद्‌-गदाहट को या 'गुद-गुदाहट' को, क्या कहूं, उसको लेकर उन्होंने आव देखा न ताव और एक ऑर्डिनेन्स रख दिया।

श्री भैरोंसिंह : आप इसे गुण मानते हैं या अवगुण ?

श्री मानसिंह महार : बहुत भारी गुण है उनका।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य दूसरों की आड़ में खुद आनन्द ले रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : यह तो मेरी खूबी है। और उस ऑर्डिनेन्स को क्रियान्वित करने के लिये आज इस सदन में एक बिल प्रस्तुत है।

हम मानते हैं कि सरकार को जितनी पॉवर्स दी जायें वह थोड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं लेकिन सवाल पात्र और कुपात्र का है। देखना यह है कि हमारे मंत्रीजी इस योग्य भी हैं या नहीं। चेयरमेन महोदय, उन्हीं की पार्टी के एक सम्माननीय और बहुत ही वरिष्ट सदस्य ने कहा कि यह पॉवर्स अगर दिये भी जायें तो माननीय भीखाभाई को न दिये जायें। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने उनमें क्या खामियां देखीं जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। मैं समझता हूं कि श्री भीखाभाईजी राजस्थान मंत्री मंडल के और मंत्रियों के मुकाबिले में काफी योग्य हैं, बहुत सत्यवादी हैं और वह गलत बात कहने के आदी नहीं हैं, चाहे उसके कॉन्सीक्वेन्सेज कुछ भी हों। उन्होंने पिछले सदन में इस हाउस के फ्लोर पर कहा था कि अगर मेरा बेटा या बेटी रामपुरा रूपा में कोई जमीन लेते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। मैं उनके सत्यवादी होने की तारीफ करता हूं, लेकिन शायद उस समय सुरेन्द्रसिंह कैरों का किस्सा सामने नहीं आया था, दास कमीशन का फैसला सामने नहीं आया था। फिर भी मैं उनके सत्यवादी होने की तारीफ करता हूं, कि उन्होंने छुपाया नहीं। उन्होंने कहा कि मंत्री का बेटा या बेटी जमीन लेता है तो कोई गुनाह नहीं है। मैं तारीफ करता हूं चाहे उनकी नासमझी से इसके कुछ कॉन्सीक्वेन्सेज़ खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन कहीं उन्होंने बिल्कुल सत्य बताया उसके लिए मैं उनको मुबारकबादी देता हूं और इसीलिए मैं कहता हूं कि उनको पॉवर्स देनी चाहिए। और कोई कह दे कि राजस्थान मंत्रि मण्डल में दो साहब को पॉवर्स दे दी जायें तो मैं इसके बिलकुल खिलाफ हूं क्योंकि वह बिलकुल पंगु हैं। साल में दो-तीन बार तो बीमार पड़ते

(श्री मानसिंह महार)

हैं। शिक्षा विभाग उनके पास था उसका उन्होंने बंटाधार कर दिया और अगर यह पॉवर्स भी दे दी जायें तो मामला ही सारा चौपट हो जाये। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे भीखाभाई कुछ कमजोर थे, जैसा अभी कहा गया। उनकी खुद की नीयत भले ही साफ हो लेकिन जब सूरजमल का मामला सामने आया तो उनके आदमी ने गवाही नहीं दी कि इसको सही किया जाये। और अगर गवाही दी तो कह दें कि मानसिंह महार गलत है। लेकिन उनकी कमजोरी थी कि श्री बृजसुन्दरजी के दबाव से उन्होंने ऐसा किया। मैं सही कहता हूं कि लोगों के कहने से उन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया। पर क्या करें उनकी कमजोरी है, आत्मा जरूर उनकी सुदृढ़ है। एक रोज मेरा वास्ता पड़ गया दो-तीन घन्टे बातचीत करने का तो मैं भी बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं कहता हूं कि वह बहुत ही ऊंचे दर्जे के आदमी हैं। लेकिन क्या करें यह दबाव मार देता है और इस खातिर ही शायद मेरे उधर बैठने वाले मित्रों ने यह बात कही। सवाल यह है कि हम लोग एतराज नहीं करते हैं। सरकार को अगर पॉवर्स नहीं दी जायें तो काम नहीं चले। जो हमारे फेल्योर्स होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण हम यही मानते हैं कि पंगु हैं। पॉवर्स देने की बात तो करते हैं लेकिन दूसरा पहलू हम यह देखते हैं कि आप इन पॉवर्स को लेकर मिस-यूज़ तो नहीं करते हैं।

मैं आपको एक अच्छी मिसाल दूं। मैं कहता हूं कि आज विकेन्द्रीकरण के बाद विकास अधिकारियों के तबादले हुए। सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं तीन तरीकों के तबादले होते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव तबादले होते हैं: उसके लिये मुझे कोई शिकायत नहीं है। दूसरे ट्रान्सफर्स होते है प्रधानों के कहने पर कि इस विकास अधिकारी को हटा दिया जाये। तीसरे ट्रान्सफर्स होते हैं इस कारण कि प्रधान तो होता है दूसरी पार्टी का और विकास अधिकारी जब प्रधान से मिलकर काम करता है तो यह होता है कि प्रधान सक्सेसफुल हो जायेगा तो फिर उस विकास अधिकारी को हटा दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इसके अलावा यही सिर्फ नहीं होता है। यह होता है कि तबादले अगर कर भी दिये जाते है तो उसको रोका जाता है। मैं इसका भी एतराज नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि आप सबको एक ही डंडे से हांकिये। किसी बी० डी० ओ० के लिये पंचायत समिति कह देती है कि इसका तबादला किया जाये, प्रस्ताव आ जाता है फिर भी उसका ट्रांसफर नहीं करते हैं। किसी बी० डी० ओ० के लिए पंचायत समिति यह कहती है इसका तबादला नहीं किया जाय तो उसका तबादला कर देते हैं; यह गलत है। आप एक सिद्धान्त बना लीजिये। अगर आप सिद्धान्त पर चलते हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं है। मैं मिसाल दे सकता हूं। मैं सदन का समय इन बातों में नहीं लूंगा। हमारा विश्वास आपने खोया है इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आप इन बातों का ध्यान रखिये कि यह आप बहुत अनियमिततायें करते हैं: यह मत कीजिए।

इसके अलावा मैं कहूं कि आपका जो पंच, सरपंच और प्रधानों को सस्पेन्ड करने

(श्री मानसिंह महार)

का तरीका है वह भी बड़ा ही एक प्रकार से क्या कहें अपना निराला ढंग है। आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक आदमी हजारों लाखों रुपयों का गबन कर ले उसको आप केवल नोटिस देते हैं कि, क्यों नहीं आपको सस्पेन्ड किया जाये। शो कॉज़ नोटिस देते हैं और उसके तहत वह तीन-तीन वर्ष तक चलता रहता है। क्यों चलते रहते हैं वह भी मैं बताऊंगा; नाम लेकर बताऊंगा। एक तरफ आपकी खिलाफ पार्टी का प्रधान होता है तो बिना नोटिस दिये फौरन सस्पेन्ड कर देते हैं। आप कहेंगे कि चार्जेज़ बड़े सीरियस थे। फिर मैं कहूंगा कि जरा सरकार बताये कि चार्जेज़ किसके खिलाफ सीरियस हैं।

(१२.१८ म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

मैं आपको बताता हूं, भोटवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान को सस्पेन्ड किया। क्या चार्जेज़ थे आप बताइये। लेकिन सस्पेन्ड किया गया उनको। क्यों किया गया ? एक पोलिटिकल बैकग्राउन्ड को लेकर किया कि उस प्रधान ने मानसिंह महार का चुनावों में साथ दिया। मैं आपके काले कारनामें सदन में बताता हूँ। उस प्रधान के लिए मैंने आज तक किसी को जाकर नहीं कहा कि उसे री-इन्सटेट कर दीजिए। मैं कहता हूं कि उसने गलत काम किया हो तो उसको फांसी दो। लेकिन हीरापुरा का सरपंच उसी पंचायत समिति का लीजिये। अब मंत्रीजी बतायें कि हीरापुरा पुरानी पंचायत थी उस समय के ऐसे ऐसे सीरियस आरोप उस आदमी के खिलाफ थे कि उसने जयपुर म्युनिसिपेलिटी की जमीन बेच दी, उसने जयपुर तहसील की जमीन बेच दी। उस सुन्दरलाल सरपंच ने सरकार की काम की अवहेलना करके कि १० मील के एरिया में जमीन नहीं बेची जाये, उसने पंचायत की जमीन बेची। लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। उसका सस्पेशन नहीं हो सकता। नन्दाजी ने सदाचार समिति बना दी। सदाचार समिति क्या देखेगी। आप घबराइये मत। भैंस आप ही नहीं चूंखते हैं। आप मत समझिये कि मंत्रीजी से कहता हूं। उनके घर पर ही भैंस बंधी हुई हो, भीखाभाईजी भैंस आपके ही घर नहीं बंधती है ....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप बंधा लो।

श्री मानसिंह महार : आप जैसे कई बांधते हैं। लेकिन हम इन चीजों से बहुत दूर हैं। हमने तो रामपुरा रूपा थी जमीन के लिए कहा था वहां के चेयरमेन ने कहा था कि मैं अपना सस्पेशन रुकवा दूंगा १८ हजार रुपये में। लेकिन हम इन चीजों पर थूकते हैं। इसी तरह से हीरापुरा के सरपंच ने के किया। आप कहेंगे कि मंत्रीजी के खिलाफ सदाचार लगता हैं। पी० सी० सी० के एक बहुत बड़े आदमी के यहां भैंस बंधती है। जब तक भैंस दूध देती है तो दूहते है और जब नहीं देती है तो उसको तो भिजवा देते हैं और दूसरी ब्याही हुई भैंस आ जाती है। फिर कैसे वह सुन्दर-लाल सस्पेन्ड हो जायेगा। हां, मानसिंह महार के सदन में कहने का कोई असर पड़े तो बात दूसरी है। क्योंकि सरकार को कुछ तो शर्म रखनी ही पड़ती हैं नकटे तो बहुत हैं; सभापति महोदय लेकिन कटे बाद भी प्लास्टिक की नाक तो लगानी ही पड़ती है मैं मंत्रीजी से पूछूंगा कि

(श्री मानसिंह महार)

उस सुन्दरलाल के खिलाफ इतने सीरियस आरोप कब से लगे हुए हैं और जब आपके सामने रामपुरा रूपा का केस आ गया वहां सरपंच ने खुले आम कहा कि सरकार तो हीरापुरा सरपंच के पद चिन्हों पर चलती है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जो कार्यवाही ३ वर्ष तक सरपंच हीरापुरा ने की है तो तीन वर्ष के बाद जब हीरापुरा की पंचायत जब छोटी हुई और रामपुरा-रूप की पंचायत अलग हुई तो उन्होंने जिन जमीनों को बेचा था मैंने भी बेची। क्योंकि यहां मामला फंस गया यानी मंत्रीजी भी चक्कर में आ गये। क्रय-विक्रय संघ के श्री श्री १०८ कुम्भारामजी भी चक्कर में आजायं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे और दामाद के नाम से जमीनें ली हैं, तो उसको सस्पेण्ड कर दिया गया, लेकिन हीरापुरा के सरपंच सुन्दरलाल को आज तक नहीं किया। यह एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं कहता हूँ कि जिन अफसरों ने सुन्दरलाल के केस को तीन वर्ष तक दबाया एस० डी० ओ० जयपुर और तहसीलदार, जयपुर की रिपोर्ट होने के बाद, उनको फौरन मोअत्तिल किया जाय और इस बात को इन्क्वायरी की जाय कि इस मामले की तीन वर्ष तक कैसे खत्ते में डाला है। आप लोग कानून बनाना चाहते हैं। आप पॉवर लेना जानते हैं पर उस पॉवर को युटिलाइज़ करना नहीं जानते हैं। यह हमारी शिकायत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप हीरापुरा के केस को ले लें। आप इस सदन को कॉन्फीडेन्स में लें। अगर मैं हीरापुरा का गलत केस इस सदन में उठाता हूँ तो मुझको रिब्यूक किया जाय। मैं इस सदन के फ्लोर पर आप से माफी मांगूंगा, मैं आप से क्षमायाचना करूंगा, लेकिन जो बात मैं कहता हूँ वह सत्य है। लेकिन आप में गट्स नहीं है कि आज आप हीरापुरा के सरपंच के मामले में सरपंच को ही सस्पेण्ड नहीं करेंगे, जिन अफसरों ने इस मामले को खत्ते में डाला है उनको सस्पेन्ड नहीं करते, क्योंकि उन पर दबाव है और दबाव से दबकर उन्होंने इस मामले को दबाया है। अगर आप सस्पेण्ड करते हैं तो सारी पोल खोल दें, इस लिए आप कर नहीं सकते।

इसी प्रकार से पंचायत समिति गोविन्दगढ़ का एक केस महादेव सरपंच उदयपुरिया का है। उसने गलत तरीके से जमीन ले ली, खुद ने ले ली। आप सोचिये, उसके खिलाफ एन्क्वायरी पंचायत इन्सपेक्टर ने की और एक दो अधिकारियों ने की। वह साबित हो गया, लेकिन फिर रिव्यू के नाते आपने चौथी बार फिर एन्क्वायरी भेज दी कि जब तक नये चुनाव हों तब तक उसमें कोई कार्यवाही न हो। वह अपने पैसे के बूते से तीसरी बार सरपंच आ जाय उसके बाद आप विचार करेंगे। यह हालत है। यह बहुत ही दयनीय दशा है, बहुत ही दयनीय मैं आपको सही कहता हूं।

इन चीजों का दुःख हमें क्यों होता है? हम पहले भ्रष्टाचार की बातें जयपुर के सेक्रेटेरियेट और कोर्ट्स में ही सुनते थे, लेकिन आज, चेयरमेन महोदय, हमारे विकेन्द्रीकरण के सरताजों की वजह से आज यह जो भ्रष्टाचार है वह गांव-गांव में फैल गया है। इसका सारा श्रेय डवलपमेंट डिपार्टमेंट को है। राजस्थान का डवलपमेंट डिपार्टमेंट मैं कहता हूँ चाहे कृषि की पैदावार बढ़ाने में असफल रहा हो, राजस्थान का डवलपमेंट डिपार्टमेंट

(श्री मानसिंह महार)

विकेन्द्रीकरण के और मामले में चाहे पीछे रह गया हो, लेकिन गांव-गांव में करप्शन का डवलपमेंट करने में उसने वह योगदान दिया है कि उनको शील्ड मिलनी चाहिए कि भारत में ऐसे मामलों में वह फर्स्ट है। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं कहता हूँ आप सोचिये आपने गांव-गांव में भ्रष्टाचार फैला दिया। मैं यह कहता हूं, हम क्या कहते हैं, कहना पड़ता है मजबूरी से मैं कह रहा हूं कि आप और ले लीजिये। पंचायत समिति झोटवाड़ा के, हरेक केस को लेलें। हर कोई जानता है कि वहां पर घोटाले आपकी आंखों के नीचे होते हैं। वह एक ऐसी घृणित पंचायत समिति है कि एज़ एम० एल० ए० में वहां एक बार के सिवाय नहीं गया हूँ, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा दूषित है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन डवलपमेंट की निगाहों में उसमें कोई चीज नहीं है। आज तक कोई एक्शन वहां पर नहीं लिया गया, क्योंकि विकास अधिकारी वहां पर एक ऊंचे अधिकारी के सुपुत्र को लगा दिया गया है। दुर्भाग्य हमारा यही है कि हमारे जयपुर के नजदीक होने से जितने भी आते हैं विकास अधिकारी वह ऊंचे से ऊंचे सिफारिशी आते हैं। मैंने दो वर्ष तक पहले गोविन्दगढ़ के विकास अधिकारी का जिक्र किया। वह हमारे बहुत ऊंचे आदमी थे जो कि नन्दवानाजी के क्षेत्र में ले जाये गये हैं। कोई हर्ज नहीं हमारा तो पिण्ड छूटा। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। वह अनियमितताएं हमारे यहां करते वह नन्दवानाजी से सांठ-गांठ करके उधर करते हैं। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार को किस प्रकार से आप प्रोत्साहन देते हैं उसकी बात करता हूँ। इस सदन में मैंने उनका एक केस रेफर किया था, लेकिन आज तक विकास विभाग के बड़े-बड़े उच्च अधिकारी बैठे हैं वे बहुत योग्य है। मैं उनकी योग्यता को चैलेन्ज नहीं करता हूं, योग्य जरूर हैं, मगर योग्य किस में हैं? जो भ्रष्ट उनके मातहत हैं उनके भ्रष्टाचार को छिपाने में। उस विकास अधिकारी के लिए मैंने यह कहा कि एक हाउसिंग सोसाइटी बनी उसके रजिस्ट्रेशन के पहले ही ब्लॉक की जो बिल्डिंग गोविन्दगढ़ में बनी उसका उसको ठेका दे दिया, यानी जो सोसाइटी एग्ज़िस्ट नहीं करती थीं उसको ठेका दे दिया। इसके ऊपर इस आदरणीय आसन से हमारे अध्यक्ष महोदय ने मालूम किया इसी सदन में। यह बात सही है कि उस समय नाथूरामजी कोऑपरेटिव के मंत्री थे उन्होंने कहा कि क्या हुआ अगर दे दिया तो; उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात हुई तो बहुत गलत है। इतनी बात हुए होते भी कानों में रूई लगी हुई है क्योंकि वह विकास अधिकारी एक उच्च अधिकारी का सुपुत्र है। उनके काका आज भी इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड में ऊंचे ओहदे पर है। तो यह हालत है आज के विकास विभाग की जब कि हमारे मंत्रीजी हृदय से बहुत ही वह होते हुए भी, मैं आप से निवेदन करूंगा वर्ना क्या होता है कि वे तो है, लेकिन वह इर्द-गिर्द के लोग उनको दबा जाते हैं, जैसे सूरजमल का केस ले लें। वह जानते हैं कि अनियमितताएं हुई हैं। वह मान गये, क्योंकि वह निष्ठा के आदमी हैं जैसा कि उन्होंने गोविन्दगढ़ के अध्यापक सम्मेलन में कहा था और मोटर में मुझेभी लम्बा-चौड़ा लेक्चर दे डाला था। उन्होंने

(श्री मानसिंह महार)

कहा था। उन्होंने कहा था कि उनकी गलती होगी तो मान लेंगे। तो यह हालत जब है तो यह कहा जाय कि इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स और एमेंडिंग बिल लाकर यह अख्तयारात सरकार को दिये जायं और ऐसा भी कब जब कि हम जानते हैं कि चुनावों के दो-तीन महीने हैं? वह चाहते हैं कि उनके साथी जिन्होंने कुकर्म किये हैं और जिनको बर्खास्त कर दिया है.......

श्री भीखाभाई : सब के लिए है।

श्री मानसिंह महार : हमारे वालों के लिए करने की क्षमता नहीं है। हम उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारे वालों के लिए कर सकते हैं। आप यह कहते हैं कि सब के लिए है, वह तो आपके ही ग्रुप के लोगों के लिए है। आप सारे कांग्रेस वालों के लिए भी नहीं करेंगे, यह मैं और कह देता हूं। आप यह समझते होंगे कि कांग्रेस वालों को राहत दे देगें तो नहीं देंगे।

इसी प्रकार से झुन्झुनू के अन्दर क्या क्या हुआ वह, मेरी एक मित्र महिला हैं जो इस सदन की बहुत ही प्रमुख बोलने वाली हैं, उन्होंने सदन में रखे थे आपके कारनामे। इसके अलावा एक न्याय पंचायत के चुनाव को पांच बार स्थगित किया गया, मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सो आमेर में पांच बार स्थगित किया गया। कोई इन्क्वायरी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, किसको कहें। यह तो अन्धेरी नगरी अनबूझ राजा है, जहां टके सेर भाजी टके सेर खाजा है। आज डेढ़ सेर का गेहूँ और २ सेर का जौ मिलता है इससे बढ़ कर योग्य सरकार क्या हो सकती है? मैं उधर बैठने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि यह ऑर्डिनेन्स बहुत खतरनाक है, इस का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। यह तो उनको मिलने वाला है जो भैंस पहुंचेंगे या बढ़िया जमीन देंगे। भाई आप और हम बराबर हैं। बीच में जो एक खाई थी वह भी आज हट गई है, उससे आप भी घबराते हैं और हम भी घबराते हैं। इसको आप ठंडे दिल से सोचकर पार्टी में लावें, लेकिन पास मत होने देना, यह खतरनाक है।

विकेन्द्रीकरण की तारीफ होती है, डवलपमेन्ट की डींग हांकी जाती है। मैं एक सरपंच के नाते कहता हूँ कि यह विकेन्द्रीकरण, डवलपमेन्ट और मन्त्रीजी के हृदय में पंचों और सरपंचों के लिए जो गुदगुदी है वह केवल मात्र विडंबना है।

अन्तिम मेरा सुझाव यह हैं कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। उसमें एक ट्रिब्युनल का सुझाव है। जितनी अनियमितताएं हैं उनको ट्रिब्यूनल के सुपुर्द किया जाय। मेरा सुझाव हैं कि उनके माफिक ट्रिब्यूनल के पॉवर्स दीजिये। उनके माफिक नहीं दें तो कलेक्टर्स का दे दीजिये हमें ऐतराज नहो। जोइन्ट डवलपमेन्ट कमिश्नर को दे दीजिये उसको भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई ज्वालाप्रसादजी ने कहा कि भीखाभाई को नहीं, हरिभाऊजी या माथुरसाहब को दे दें, यह कामित बर्दाश्त नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिये मंत्रीजी। आप तो एक ही चट्टे-बट्टे हैं। आप कह देना कि

(श्री मानसिंह महार)

पॉवर्स लूंगा तब तो मैं ही लूंगा वर्ना यह तीसरे को जायगा। हम सबको आजमा चुके हैं। पान दबा कर बोलने वाले मोहनलाल-जी, वे सब के गुरु हैं। उनको पॉवर्स दे दिये तो राजस्थान रसातल में चला जायगा। ये शब्द कह कर कांग्रेस बैन्चेज के सदस्यों से अपील करता हूँ कि आप सवाल उटाइये पार्टी की मीटिंग में और इनको बाध्य करें कि इसको विदड्रॉ करें। यदि यह कर सके तब तो हम मानेंगे कि कांग्रेस में भी नवयुवक हैं और नई धारा के आदिमी बैठते हैं जो दकियानूसी नहीं हैं।

श्री सभापति : श्री जोधसिंह।

["प्रस्ताव इस प्रकार है:—

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : "राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामा-वली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी)।"]

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अभी हमारे सामने स्पष्टीकरण किया कि यह बिल लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। वे चाहते हैं कि पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं उनमें पंचों को अधिकार मिल जाय, जिसको चाहें उसको खड़ा कर सकें इसके लिये जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा यह होता कि सादिकअली रिपोर्ट सामने आ रही है उस पर डिस्कशन होने के बाद सारी बातें लाई जा सकती हैं, आज क्या है ? सरकार ने विकेन्द्रीकरण किया है, पंचायत राज लाये हैं। लेकिन इससे सम्बन्धित जो कानून हैं उनसे पता चलता है कि पंचायतों पर पंचायत समिति हावी है और पंचायत समितियों पर जिला परिषद् हावी है और जिला परिषदों पर सरकार हावी होना चाहती है। सरकार की मंशा यह कानून लाने में यह है कि मर्जी चाहे जिसको खड़ा करदें, मर्जी चाहे जिसको गिरा दें, जेल में डाल दें या हटा दें। इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। मैं आपके सामने पंचायतों का उदाहरण देना चाहता हूँ।

रामा पंचायत में कांग्रेस का सरपंच है। वहां के उप-सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव सरपंच लाया और वह मंजूर हो गया। मैं समझता हूँ इस प्रकार का प्रस्ताव लाने के बाद उप-सरपंच मेम्बरशिप से समाप्त नहीं होता फिर भी इस कानून के द्वारा यदि कांग्रेस मनमानी करके चुनाव वापिस करावे तो यह कानून की अवहेलना है या नहीं। जब उप-सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव मंजूर होता है तो वह पंच कैसे नहीं रह सकता। इस तरह से ये मनमानी करते हैं।

पंचायत समिति बड़गांव के प्रधान ने प्रस्ताव पास कराया कि गर्मी की छुट्टियां स्कूलों में करेंगे यानी सब जगह होती हैं उसी के अनुसार करेंगे। उसके विपरीत हमारे जिला प्रमुख ने उनकी बात नहीं मानी, जनता की आवाज की कद्र नहीं की और उसके खिलाफ

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली के नियम २९७ तथा ३०० के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित करवाया गया तथा महावीर प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर में मुद्रित हुआ।

(श्री जोधसिंह चौहान)

हमारे यहां छुट्टियां करते है। २५ जून से २५ जुलाई तक। सारे राजस्थान की स्कूलों में छुट्टियां गर्मियों में होती हैं लेकिन हमारे उदयपुर जिले में नया तरीका अपना कर गर्मियों में छुट्टियां नहीं कीं, सारी पंचायत समिति की राय को नहीं माना। जनता की आवाज की सुनवाई नहीं होती और जिला प्रमुख पंचायत समिति के प्रस्ताव के खिलाफ २५ जून से २५ जुलाई तक छुट्टी करता है जो बिल्कुल विपरीत है। इससे साफ जाहिर होता है कि वह मनमानी करता है।

इसी प्रकार मिनिस्टर महोदय ने कहा कि चुनावों में भाग लेने के लिये इस प्रकार का प्रावधान रख सकते हैं। आज तीन तीन वर्ष हो गये बंबोरा सरपंच निलंबित हैं, उनको हटाया गया लेकिन उनके खिलाफ सरकार ने जो आरोप लगाये उनका फैसला नहीं किया। अगर फैसला हो जाता तो वे खड़े हो सकते थे। उसके बजाय जो दूसरा सरपंच रखा वह मनमानी कार्यवाही कर रहा है। एक सरपंच के खिलाफ गबन का केस है, आदिवासियों के मकान की रकम थी, पहले मकान बना हुआ था फिर भी उनको डरा कर धमका कर, मकान की रकम ली, पैसा लिया, लेकिन पंचायत में वह रकम जमा नहीं की और सब रकम वह कांग्रेसी सरपंच डकार गया। आज कई वर्ष हो गये, मैंने प्रस्ताव भी रखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैं विधान सभा में पहले भी अर्ज कर चुका हूं, हमारे गिरवा पंचायत समिति में एक महिला सदस्य को कोऑप्ट किया गया जो एक स्कूल में चपरासिन है। उसको अब तक नहीं हटाया गया और आज भी वह मेम्बर है और चपरासिन भी है, इसका क्या कारण है? इन सब बातों से पता चलता है कि हमारा यह पंचायती राज समाप्त होकर रहेगा। यह भ्रष्ट सरकार हमारे पंचायती राज को भी भ्रष्ट करना चाहती है। एक तरफ यह दलील देना चाहती है कि राजस्थान में हमने विकेन्द्रीकरण किया है, पंचायती राज कायम किया है और दूसरी ओर भ्रष्ट होना चाहते हैं। अंग्रेजों से सीख लिया है दुनिया को लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो। आज क्या हो रहा है? पंचायती राज आने से, भ्रष्ट राज्य आने से गांवों में लड़ाइयां होने लगी हैं। पहले किसान आपस में मिल-जुल कर खेती करते थे, एक जगह बैठ कर पंचायत करते थे, लेकिन आज उनमें बड़ी बड़ी पार्टियां हो गई हैं, वे आपस में लड़ने लगे। यह सारा किस कारण हुआ है? यह सारा भ्रष्ट सरकार के कारण हुआ है, क्योंकि यह कानून क्यों बनाना चाहते हैं, इसलिये कि कानून के अन्तर्गत अपनी मनमानी करलें। इन सबके बड़े नेता ढेबर ने रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि पंचायती राज समाप्त होगा, इसने किसानों को लड़ा दिया है। विकेन्द्रीकरण के बजाय सारे किसान आपस में लड़ने लगते हैं; लड़ने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं है।

इससे साफ जाहिर है, हमारी सरकार की मन्शा बदनियती की मन्शा है। इस मन्शा के पीछे क्या है? इसके पीछे यह बात है कि जिस सरपंच को चाहेंगे उसको खड़ा करेंगे, जिस सर-

Page No.101

(श्री जोधसिंह चौहान)

पंच को चाहेंगे उसको निलम्बित कर देगें। इस मन्शा से हमारे मिनिस्टर महोदय जनता को बताना चाहते हैं कि मैं मिनिस्टर बना हूँ और यह कानून बना है उसके मुताबिक उस आदमी को टिकट मिलेगा जो कांग्रेसी हो, वह भ्रष्टाचारी हो तो भी टिकट मिलेगा, और जो भ्रष्टाचारी नहीं हो और कांग्रेस का मेम्बर नहीं हो तो उसे टिकट नहीं मिलेगा। इस प्रकार का रुआब कानून लाकर पैदा करना चाहते हैं।

मैं आपके सामने जिला परिषद् का उदाहरण पेश करता हूँ, उदयपुर में क्या हुआ कि बड़गांव के उप-प्रधान जनसंघ के प्रधान हैं। जब प्रधान उपस्थित नहीं होता तो जिला परिषद् में उन्हें बैठने की इजाजत नहीं मिलती। जब बड़गांव का प्रधान तीन महीने की छुट्टी चला गया तो हमने उनको कहा, आप आओ। हम उन्हें लेकर गये। तो वहां जिला प्रमुख ने अलाऊ नहीं किया और कहा कि कानून है वह अलाऊ नहीं करता है। हमने कहा किस कानून से आप अलाऊ नहीं करते हैं तो कानून का पोथा पढ़ा गया, माहिर लोग लगे। लेकिन क्या निकला? एक प्रावधान निकला कि उप-प्रधान जिला परिषद् के अन्दर भाग नहीं ले सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, देवगढ़ के उप-प्रधान, सलूम्बर के उप-प्रधान, राजसमन्द के उप-प्रधान ने भत्ता लिया है, उन्होंने खर्चा लिया है वह किस कानून के अन्तर्गत लिया है उप-प्रधान होने पर? इसका प्रावधान नहीं है कि जिला परिषद् की बैठक में बैठ सकें तो भत्ता किस प्रकार लिया; तीन मीटिंग में जाने के लिए लिया? और उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया? इससे साफ स्पष्ट होता है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir. The speech is not relevant to the provisions of the Bill, Sir. यह तो प्रोसिडिंग्स की बात करते हैं। जिला परिषद् का प्रोसिडिंग्स का एनेलेसिस करते हैं। मैं आपसे रूलिंग चाहता हूँ the hon. Member may be requested to be relevant to the debate.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : आपकी नॉलेज में लाना चाहते हैं कि इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। रेलेवेन्सी का मामला है। रेलेवेन्सी भ्रष्टाचार से दूर रह जाती है। आपको तो भ्रष्टाचार चिपक गया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : रेलेवेन्ट हैं। मिसयूज़ ऑफ पॉवर इसमें डील हो सकता है। यह आपके हित के लिए है।

श्री जोधसिंह चौहान : यहां बोलना मेरा अधिकार है। इसको आप छीन नहीं सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रेलेवेन्सी पर बोलें। प्रोसिडिंग्स पर पॉइन्ट रेज़ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार उसमें नहीं है।

श्री सम्पत्ति लाल बहोरा : यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप सत्ता को हाथ में लेकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। उसका उदाहरण है।

श्री सभापति : Let him continue

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह रूलिंग आ गई।

श्री जौधसिंह चौहान : मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भ्रष्टचारी कांग्रेस सरकार इस प्रकार हमारी पंचायतों को भ्रष्ट करती आ रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चेअरमेन महोदय, I take serious objection, "भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार," It may be his opinion.

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसमें शक है क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Let me have my say.

इस तरह से अलाऊ किया गया तो सही ढंग से पोसीड नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : गलत स्टेटमेंट है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते हैं। कांग्रेस में आपके बाप-दादा थे, तब आप यहां आये हैं। इस लिए कहता हूं कि आप कांग्रेस का नाम लें जो भ्रष्टाचारी है उसको साबित करके उसका नाम काम में लें।

श्री जौधसिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं क्या कहूं। अभी कांग्रेसी भाईयों ने ये शब्द काम में लिये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कांग्रेस के लिए आप नहीं कहें। जो करता है उसकी बात करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सरकार में शामिल नहीं हुए हैं।

श्री जौधसिंह चौहान : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप विषय पर रहें।

श्री जौधसिंह चौहान : सबके सब आदमी इस कानून का विरोध, बिल का विरोध कर रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार हम पर छा जाना चाहती है, जनता पर छा जाना चाहती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार हमारी इस कांग्रेस ने, बिच्छू की मां ने, हजारों बिच्छू पैदा किए हैं। ये भ्रष्टाचारी बिच्छू अपनी मां को खायेंगे। बिच्छू के बच्चे बिच्छू की मां को खाते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि मेरी मान्यता है कि इस प्रकार भ्रष्टाचार पंचायतों में फैलाते रहे, पंचायतों में भ्रष्टाचार होता रहेगा तो एक दिन आयेगा कि भ्रष्टाचारी बच्चे अपनी मां को अवश्य खायेंगे और बिना खाये जीवित नहीं रह सकते।

(श्री जोधसिंह चौहान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून लाया गया है, इसको इस तरह जल्दबाजी में पास करने से काम नहीं चलेगा। इसमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। इसलिए मेरा इस प्रकार का प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक महीने में दे, जिससे हम ठीक प्रकार से कानून पास कर सकें और जनता को राहत दे सकें और जनतन्त्र को ठीक तरह से चला सकें।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी....।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : हम दोनों एक क्लास के हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक क्लास के तो हैं लेकिन इससे क्या। यह चाहते हैं हम हम ही बोलें।

श्री सभापति : आप भी बोलेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ज्यादा ही बोले हैं। उधर के चार-पांच बोल चुके हैं, इधर एक बोला है।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ।

[प्रस्ताव इस प्रकार है:—। . .

श्री केदारनाथ : "राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

सभापतिजी, हमारी सरकार समाजवाद में विश्वास रखती है। साथ ही साथ जनतंत्र और पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में भी और इस उसूल को मानकर कुछ कानून बनाये और इस तरह के कुछ कदम उठाये जिससे देश में ऐसी शक्ति पैदा होगी। यह चाहते हैं कि यह उसूल हमारे देश में, देश की भूमि में पनपे, लेकिन समाजवादी सरकार कभी ऐसा एमेंडमेंट पेश नहीं करती जो सोशियो-इकोनोमिक कन्डीशन हैं देश की उनके साथ मेल नहीं खाये या जो इनका मेनीफेस्टो है या जो संविधान में डाइरेक्टिव प्रिन्सपल्स हैं या जो सबसे बड़ी सुप्रीम बॉडी है उसके फंडामेन्टल प्रिन्सिपल्स से मेल नहीं खाये। अगर ऐसा अमेंडमेंट पेश किया गया तो मैं सोचूंगा, सरकार के मन्त्री महोदय जब भी ऐसा मोटिव करते हैं, महसूस करते हैं, जब भी इस तरह का अमेंडमेंट लाने की समझदारी की बात करते हैं और नहीं ला पाते हैं तो वह नौकरशाही के हाथ में खेलते हैं। वह अपना मकसद पूरा करने के लिए इनको गुमराह करके और इनकी इग्नोरेन्स का फायदा उठा कर ऐसा अमेंडट पेश कराती है। मैं उदाहरण पेश करता हूँ, ऑर्डिनेन्स लाने के लिए विशेष हालात होने चाहिए। इंग्लैंड की हिस्ट्री के सौ साल की हिस्ट्री के अन्दर

Page No.104

(श्री केदारनाथ)

बहुत कम मौके आये जब ऑर्डिनेन्स प्रामुलगेट किये। लेकिन हमारे यहां एक सेशन निकलता है, दूसरा सेशन शुरू होता है तो तीन-चार ऑर्डिनेन्स सामने आ जाते हैं और उनके द्वारा ऐसा अमेंडमेंट किया जाता है जो पंचायती राज्य या कोऑपरेटिव मूवमेंट में आप लाते हैं जिनका होलसम असर पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स, जो हमारे बुनियादी उसूल की इन्स्टीट्यूशन्स हैं, के खिलाफ में होगा। आपका अमेंडमेंट होता नियमानुसार तो हमें गुरेज नहीं होती। लेकिन यह नौकरशाही अपने को मजबूत करने के लिए रखती है। एक तरफ आप कहें, पंचायतों में जाकर पार्टी पोलिटिक्स न लायें, पार्टी बेसिस पर चुनाव न लड़ें। आप रूरल एरिया में जाते हैं तो आपका डेमोक्रेसी का कन्सेप्शन बदल जाता है और शहरों में जाते हैं और म्यूनिसिपेलटी से डीलिंग शुरू होता है और रूरल एरिया में डेमोक्रेसी का कन्सेप्शन जो कानून बनाते हैं तो उसका अलग कन्सेशन होता है और अलग होता है। इस प्रकार आपके कन्सेप्शन की शक्ल बदल जाती है, करेक्टर बदल जाता है, तो मैं सोचूंगा कि पंचायती राज्य कभी मजबूत नहीं करना चाहते हैं। जब, सभापति जी, सरकार अमेंडमेंट लाती है तो सरकार का फर्ज है कि जिस कानून में अमेंडमेंट लाना चाहती है उसके बारे में देखे कि दूसरे स्टेट्स में इसके बारे में क्या हुआ। आज महाराष्ट्र के बारे में स्टडी टीम ने क्या रिपोर्ट दी, हमारे स्टेट में सादिकअली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्ज़ दीं, कमेटीज़ की रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, सेमिनार्स में जो फैसले हुए वे हमारे सामने हैं, बड़ी बड़ी कोन्फ्रेन्सेज हुईं उनके फैसले हमारे सामने हैं। ए० आई० सी० सी० व भुवनेश्वर से बम्बई तक की हिस्ट्री में जो सब-कमेटी बनी इस बात को देखने के लिए और जो ढेबर कमेटी ने रिपोर्ट दी—उन सबसे इन अमेंडमेंट्स का मेल बैठायें तो मेल नहीं खाता है। आज सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेन्ट्रेलाइज़ है, एक शक्ल है कि होल एडमिनिस्ट्रेशन सेन्ट्रेलाइज़ है, वहां दूसरी शक्ल यह हो सकती है कि आहिस्ता आहिस्ता उस कंट्रोल को मिनिमाइज़ किया जाय, आहिस्ता आहिस्ता सुपरवीज़न और कंट्रोल को मिनिमाइज़ करके लोकल सेल्फ संस्थाओं को मजबूत किया जाय, तो लोगों में एक इनिशियेटिव पैदा होगा और एक टेन्डेन्सी और इन्सेटिव पैदा होगा। लोग अपने इन्शियेटिव पर काम करते हैं तो उनके फंक्शन्स, उनकी पॉवर, उनकी ऑथोरिटीज़ को आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन किया जाय, उसकी डेफीनेशन्स हों कि सेन्ट्रेलाइज़ेशन में ये चीजें होंगी और डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन में फलां फलां। आज जो आप सेन्ट्रेलाइज़ेशन और सेन्ट्रेलाइज़ेशन की बात करते हैं मगर यह तो कॉम्बाइन्ड सा है इसमें आपस में फर्क कहां है। आज मैं इस बात को मानता हूं कि सेन्टर भी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता पॉवर जो सेन्ट्रेलाइज़्ड है उसको डिसेन्ट्रेलाइज कर रही है, आप अपने कृषि के टारगेटों को पूरा नहीं कर सकते तो आप कहेंगे कि ऑल इन्डिया लेवल पर कर दे। आज आप एजूकेशन के मामलों में भी ऑल इन्डिया लेवल पर आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि नेशनेलिज़्म को कोई

(श्री केदारनाथ)

खतरा पहुंचता हो तो सेन्टर पॉवर अपने हाथ में लेती है, तो हमें कोई खतरा नहीं है और न कुछ कहने की आवश्यकता है और न हमें इसमें कोई एतराज है । मगर हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में सोशियल एजूकेशन बढ़े, इकॉनोमी हमारी ऐसी हो जिससे हमारी माली हालत ठीक हो, जिससे डेमोक्रेसी नीचे से पनपे । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह पॉवर सरकार को अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिये । अगर सरकार इस पॉवर को अपने हाथ में लेती है तो ये संस्थाएं समाप्त हो जावेंगी । हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि पंचायती राज्य फले-फूले । अगर आप यह चाहते हैं कि पंचायती राज्य ठीक तरह से चलता रहे तो वहां पर पार्टी पोलिटिक्स पर काम नहीं हो । अगर आप पंचायतों के पॉवर को सेन्ट्रेलाइज़ करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि आप उनको पंगु बना देंगे । इसलिये आप उनको पंगु न बनावें । अगर आप यह चाहते हैं कि सरकार को पॉवर अपील और रिवीजन के दिये जाएं तो मैं यह कहूंगा कि सरकार को पॉवर नहीं देकर रिव्यू व अपील आदि, उनकी जांच और उनके सस्पेन्शन के पॉवर्स ज्युडिशियरी को दे दें और हाई कोर्ट को दे दीजिये । आज आप पंचायतों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हालत को देखिये । पंचायतों और कोऑपरेटिवज़ को साथ साथ रखिये । अगर ये दोनों साथ साथ चले तो फायदा है और अगर ये दोनों साथ साथ नहीं चलती हैं तो इनसे कोई फायदा नहीं है । यदि आप इनको सेन्ट्रेलाइज़ करना चाहते हैं तो आप साफ साफ शब्दों में कह दें कि आप इनको सेन्ट्रेलाइज़ करना चाहते हैं । यदि हमें आपसे इनके लिये लड़ना होगा तो लड़ लेंगे और अगर नहीं लड़ना होगा और इसको मानना होगा तो आपकी बात मान लेंगे ।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सी. पी. सी. में भी यही है । लेकिन लीगल बात के बारे में यदि कोई मिस्टेक होती है तो on mistake of law फेक्ट्स के बारे में सरकार के प्रति जिस केस की चाहें रिव्यू कर लें कि किस तरह से, किस ढंग से मौअत्तिल किया गया है । लेकिन पंचायतों को पोलिटिक्ल पार्टीज़ से दूर रखें । इलेक्शन पोलिटिक्ल पार्टी से इनको दूर रखना चाहिये ।

आप एक तरफ यह चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी पनपे और दूसरी ओर हम यह चाहते है कि नौकरशाही उन पर हावी रहे, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं । अगर आप यह चाहते हैं कि उन लोगों पर नौकरशाही हावी रहे और वे लोग अपनी इन्डिपेन्डेन्स को खो बैठें तो मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेसी के लिये एक प्रकार का कलंक है । अगर आपको पंचायती राज्य को फेल होने से बचाना है, समाज में व्यवस्था कायम रखनी है, डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना है, तो आप नौकरशाही को बढ़ावा न दें । आप इसके लिये कोई होल-सम एमेन्डमेंट लायें । एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी को पनपाने के लिये लोगों का नारा देते हैं और दूसरी ओर उसके साथ साथ नौकरशाही को बढ़ावा देते हैं, ये दोनों चीजें मैं समझता हूं कि आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं । जब दो चीजें आपस में मेल नहीं खाती हैं तभी तो रिएक्शन पैदा होता है और रेवोल्यूशन पैदा

(श्री केदारनाथ)

हुआ करती है। लेकिन अभी यह रेवोल्यूशन की स्टेज हमारे यहां पैदा नहीं हुई है। हो रही है, धीरे धीरे शायद दो-तीन महिनों में हो जावेगी। अभी पोलिटिकल पार्टिज् का इस संबन्ध में कोई रिएक्शन नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पंचायती राज्य असफल होगा और अगर वह असफल होगा तो महेज आपकी गलत नतियों के कारण। आपके इस प्रकार से गलत कानून लाने के कारण होगा। अगर आप यह चाहते हैं कि पंचायती राज्य पनपे और अगर आप यह चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपील करने का हक हो और इन्डिपेन्डन्टली मूव करने का हक हो, तो आपको इस बिल को वापिस ले लेना चाहिये और मैं समझता हूं कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉवर्स, फंक्शन्स आदि सब पहले ही डिफाईन्ड हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको वापिस ले लें और सादिक अली कि रिपोर्ट को आप देखें उसको देखने के बाद आपको मालूम होगा कि उसमें किस तरह से पंचायती राज्य को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। चैयरमैन महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल २१३ के अन्दर ऑर्डिनेन्स निकालने का अधिकार दिया गया है उसमें यह भी है कि उन कारणों पर प्रकाश डाला जाता है कि जिन कारणों से ऑर्डिनेन्स बनाना जरूरी हो। उसको इस बिल को पेश करते समय सम्मानीय मंत्री महोदय ने सदन की मेज पर रखा और मैं उसको पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूँ। इसमें क्या लिखा है और उसके बाद आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि आर्टिकल २१३ में एमर्जेन्सी की स्थिति है और स्टेटमेंट दिया है उसमें वह स्थिति है या नहीं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि अपने यहां वे कारण नहीं हैं। मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़ कर सुनाता हूँ। यह कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखा गया है, इसलिये मैंने सदन की निगाह इस ओर खींची है।

विधि एवं न्याय का यह मूलमूल सिद्धान्त है कि आप जब सदन चलता है तभी सिद्धान्त की बातें करते हैं। विधि एवं न्याय का यह मूलमूल सिद्धान्त है कि प्राधिकारी, जिसने किसी व्यक्ति के अधिकारों और हितों पर प्रभाव डालने वाली आज्ञा पारित की है तो उसका शीघ्र पुनर्विलोकन करना चाहिये, यदि उक्त आज्ञा तथ्य या विधि संबन्धी किसी त्रुटि के अधीन अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य की अनभिज्ञता के कारण जारी की गई थी। राजस्थान पंचायत समीति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९५९ में उक्त प्रावधान नहीं थे और उक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने की तीव्र आवश्यकता समझी गई। अतः यह कमी उपर्युक्त अध्यादेश जारी करके दूर की गई। यह स्टेटमेंट कारणों का दिया है। कारण नहीं दिये। केवल यही

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कहते हैं कि इस सिद्धान्त के माफिक होना चाहिये, इसलिये अन्त में कहा है कि यह कभी उपर्युक्त अध्यादेश जारी करके दूर की गई। मैं इस संबन्ध में आपसे व्यवस्था चाहता हूँ। आप अपना डिसिज़न आज नहीं, कल दें आप अपने डिसिज़न को पोस्टपोन रखें। क्योंकि यह तो अभी चलेगा। क्योंकि आपकी व्यवस्था सरकार में लगाम लगा देगी हमेशा के लिये। मुझे जल्दी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि क्या इस तरह के कारण ऑर्डिनेन्स निकलने के लिये काफी हैं। इतना लाइटली इस महत्वपूर्ण आर्टिकल का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करने के लिये क्या स्टेटमेंट रखा है वह काफी है, इसकी जांच स्टेटमेंट ऑफ फेक्ट्स से होनी चाहिये, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय कुछ प्रकाश डालेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मेरा स्पेशल प्रस्ताव है कि इससे आर्टीकल २१३ की पूर्ति नहीं होती और ऐसी हालत में यह प्रस्तुत होने योग्य नहीं है।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है कार्यवाही ५, १० मिनट के लिये और बढ़ा दी जाए।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री भीखाभाई (पंचायतमंत्री): इस सम्बन्ध में सारे माननीय सदस्यों के विचार और बातों के होने के बाद ही जवाब होना चाहिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सभापति महोदय, अभी फन्डामेन्टल प्रश्न यह है कि आया यह ऑर्डिनेंस निकाला है वह संविधान के आर्टिकल २१३ के अन्तर्गत निकाला गया है या नहीं और अगर यह इस आर्टिकल के अनुसार तैयार नहीं किया गया है तो वह ऑर्डिनेंस की तारीफ में नहीं आता और सदन में प्रस्तुत करने के काबिल नहीं है और ऐसा मान कर उस पर हमें विचार करने का अधिकार नहीं है। इसलिये पहले माननीय मंत्री इसका जवाब दें उसके बाद इसकी योग्यता पर विचार किया जावे। ऐसी स्थिति में मैं, सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि जो अध्यादेश सरकार ने जारी कराया है वह किन परिस्थितियों के कारण कराया है, उन परिस्थितियों को बतावें कि वे योग्य हैं और उसके अन्दर यह सक्षम हैं और अगर संविधान के आर्टिकल के विपरीत किया है तो वह इसकी तारीफ में नहीं आता।

(१.०० म० प०)

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, इसका उत्तर तो मैं पहले दे चुका हूं। आसन की ओर से व्यवस्था हो चुकी है। आसन ने सबसे पहले राज्य सरकार को इस बात की इजाजत दे दी कि विधेयक को पुरःस्थापित करें, सारे सदन की अनुमति उसके पीछे थी। फिर दूसरा अमेंडिंग बिल रखा तो मुझे इजाजत दे दी कि दोनों को साथ रखा जाय और साथ रख कर विचार किया जाय। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जो यहां इस समय मौजूद नहीं हैं, उन्होंने इस बात को पसन्द किया और विधेयक विचारार्थ

Page No.108

(श्री भीखाभाई)

लिया गया। तो इसको एड्मिट किया गया है। तो इस सम्बन्ध में सरकार पर और नया प्रश्न कोई नहीं उठाया जाय।

ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो आपने इसके साथ स्टेटमेंट दिया है उसके सम्बन्ध में सदन को पूरा अधिकार है यह देखने का कि वह इसकी तमाम मंशाओं को फुलफिल करता है या नहीं। इसलिये सभापति महोदय, इसमें कोई जल्दी की बात नहीं इसके लिये निर्णय को पोस्टपोन किया जाय और इस पॉइन्ट को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करके निर्णय दिया जाय।

श्री सभापति : अगर सरकार चाहे तो इस पर कल जवाब दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : On a point of information, Sir, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : समय समाप्त हो चुका है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कल भाषण कन्टिन्यू रखेंगे।

कल प्रातः ८ बजे तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १ बजे कर ४ मिनिट पर ६. अगस्त १९६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७ का उत्तर देखिये)

Statement showing the Assets and liabilities of formar Jhalawar State Bank from 30.6.53 to 31.3.64 office of the Collector (Recovery) Jhalawar.

S.No.	Particulars of account.	Liabilities: Position as on 30.6.53	Liabilities: Transaction Payment	Liabilities: Transaction Receipt	Liabilities: Position as on 31.3.64	Particulars of accounts	Assets: Position as on 30.6.53	Assets: Transaction Payment	Assets: Transaction Receipt	Position as on 30.6.53	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10	11	12
1.	Fixed Deposits	52960.05	...	...	52960.05	loan	1570967.07	...	729588.78	841378.34	...
2.	Current Deposit	951307.42	...	...	951307.45	Bank of Raj. Ltd.	535025.33	36784.09	300000.00	271809.42	...
3.	Govt. of Raj.	685924.56	300000.00	39741.80	425666.36	Punjab National Bank Ltd.	551.74	...	551.74	...	...
4.	Amanat.	22527.11	8.38	...	22518.73	Imperial Bank of India, Bombay, Ratlam,	43.37 30.00	...	43.37 30.00	...	...

परिशिष्ट

5.	Reserve Fund	5000.00	...	...	5000.00	Hawalgi	4058.66	...	128.47	3930.19	...
6.	Provident fuud	40771.77	36877.78	...	3893.99	Q. Loans & Advances etc.	...	681903.10	...	681903.10	...
7.	Bank of Raj. Ltd.	225609.81	...	...	225609.81	16 Int. on debt	...	2864.01	...	2864.01	...
8.	Profit	126746.49	11722.94	...	115023.55	16 Int. on other loans	...	24.85	...	24.85	...
						Blance				70.00	...
9.	Total				1801979.91	Total				1801979.91	

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ कोरपोरेशन को आयरन एन्ड स्टील का अलॉटमेंट

५२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान उद्योग विभाग की ओर से गत तीन वर्षों में राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ कोरपोरेशन को आयरन एन्ड स्टील में किन-किन चीजों के कितने-कितने अलॉटमेन्ट्स (कोटा सर्टिफिकेट्स) दिये गये ?

(२) इनमें से कितने सर्टिफिकेट्स का माल आ चुका है तथा कितना कब से बाकी है तथा बाकी माल मंगाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किये गये ?

(३) क्या यह बात सही है कि यह कुल टीनें श्री कुल्डाराम के गांव छाजा की नांगल में लगी हुई हैं ?

उत्तर

(१) गत तीन वर्षों में राजस्थान स्मॉल इन्डस्ट्रीज़ कोरपोरेशन को अब तक १५ कोटा सर्टिफिकेट्स दिये गये जिसकी सूची संलग्न है; इसके अतिरिक्त १०६ टन जी० सी ६.४६१० टन जी० पी० व २१.६०२५ बी० पी राधावल्लभ एन्ड सन्स के स्टॉक के वितरण हेतु दी गई ।

(२) उपरोक्त कोटा सर्टिफिकेट्स में कोरपोरेशन को निम्न माल प्राप्त हो चुका है—

जी० सी० २१० टन ।

बी० पी० ४०१ टन ।

जी० आई० वायर २२ टन

माल १९६१ से आना बाकी है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी जारी है ।

(३) २२ टन जी० आई० वायर चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट्स को रिलीफ कार्य हेतु दिया गया तथा उसके अतिरिक्त उपरोक्त आये हुये माल की वितरण सूचियां संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर, छत्रपुरा की इमारत की खुदाई

५३. **श्री माधोलाल खानपुरिया** (अटरू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर छत्रपुरा के अन्तर्गत इमारतें किस अधिकारी के चार्ज में है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक ट्रेनिग सेन्टर, कोटा के प्रिंसिपल श्री शरण बिहारीलाल माथुर ने इन शाही पुरानी इमारतों को दफीना ढूंढने के अभिप्राय से खुदवाया है ?

(३) यदि हां, तो खुदवाई से कितना दफीना प्राप्त हुआ था ? वह किस ट्रेजरी में जमा करवाया गया है ?

(४) अगर दफीना नहीं निकाला तो इमारतों के पक्के फर्श तक किस अभिप्राय में खुदवाये गये ?

(५) क्या इस प्रकार खुदाई कराने का अधिकार प्रिंसिपल को है ?

(६) यदि नहीं, तो सरकार इमारतों को अनिधिकृत रूप से हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति श्री शरणबिहारीलाल माथुर के विरुद्ध सरकार ने क्या एक्शन लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग के चार्ज में है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(४) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(५) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

(६) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

पुलिया का ठेका-मानस गांव, तहसील लाडपुरा

५४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि मानस गांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की नदी की पुलिया का ठेका कई बार दिया जा चुका है ? अगर हां, तो कब कब व किस किस ठेकेदार को तथा कितना पेमेन्ट ठेकेदार को किया गया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त पुलिया अभी तक अधूरी है ?

(३) क्या सरकार इस पुलिया को पूरा करवाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां । विवरण परिशिष्ट (अ) में प्रस्तुत है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां, प्रस्ताव विचाराधीन है ।

परिशिष्ट (अ)

	वर्ष	नाम ठेकेदार	ठेकेदार को पेमेन्ट किया गया
१. स्पेश्यल रिपेयर्स मानस गांव कॉजवे	६१-६२	श्री नरेशचन्द्र	५,२८८) रु०
२. स्पेशल रिपेयर्स मानस गांव कॉजवे	१६६१-६२	श्री मदनलाल पाटनी	११,३८२) रु०
३. मानस गांव कॉजवे के पीयर्स (Piers) को स्पेशनल रिपेयर्स	१६६३-६४	श्री मदनलाल पाटनी	११,०२१) रु०

४- मानवगांव कॉज़वे के विंगस तथा पीयर्स (Wings & Piers) की मरम्मत	१६६३–६४	श्री मदनलाल पाटनी	४,८७०) रु०
७. स्पेशल रिपेयर्स मानस गांव सबमर्सब्रिज ब्रिज (Bridge)	१६६३–६४	श्री मदनलाल पाटनी	१,३६२) रु०

पंचायत समिति नीम का थाना—टिन, चद्दर का कोटा

५५. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या कोई कोटा टिन लोहे की चद्दर का पंचायत समिति नीम का थाना से सन् १६६२-६३ में दिया गया ? अगर हां, तो वह कितने टिनों का था व किस उपयोग में लाने हेतु ?

(२) क्या यह बात सही है कि इस कोटे के समस्त वितरण का कार्य पंचायत समिति नीम-के-थाने के प्रधान श्री कुल्डाराम ने अपने हाथ में ले लिया ?

(३) क्या यह बात सही है कि यह कुल टीनें श्री कुल्डाराम के गांव छाजा की नांगल में लगी हुई हैं ?

उत्तर

(१) जी हां । ३२४ टिन का कोटा दिया गया था ।

(२) पंचायत समिति ने इस कोटे के वितरण का अधिकार प्रधान को दे दिया ।

(३) जी नहीं ।

विकास कार्यों की मजूरशुदा रकम तथा विकास कार्यों में विलम्ब-पंचायत समिति सांचोर

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति, सांचोर में कई ऐसे विकास कार्यों के लिए

पंचायत समिति द्वारा रकमें मंजूर की गई थी जिनको जन सहयोग के हिस्से की रकमें अकाल सहायता विभाग द्वारा दी गई थीं ? अगर हां, तो ऐसे कितने कार्य थे और उनके लिए कितनी कितनी रकमें मंजूर कब कब की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अकाल सहायता विभाग से उन कार्यों के लिए कितनी रकम कब मंजूर करके पंचायत समिति के डिस्पोज़ल पर रखी गई ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त कार्यों के लिए रकमें पंचायत समिति द्वारा जनवरी, ६४ की बैठक में मंजूर की जा चुकी थी, परन्तु विकास कार्य बहुत अर्से तक शुरू नहीं किये गये ? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या २ कारण थे और इसके लिए जिम्मेवार कौन हैं ?

(३) क्या यह सच है कि उपरोक्त विकास कार्य अकालग्रस्त गांवों में होने वाले थे परन्तु समय पर कार्य शुरू न होने से लोगों को समय पर राहत नहीं मिल सकी और कार्य वर्षा शुरू होने से पूर्व खत्म नहीं हो सकेंगे ? अगर हां, तो ऐसे कितने कार्य हैं जो अपूर्ण रहेंगे और कितने कार्य पूरे हो सकेंगे ? विकास कार्यों की रकमों का समय पर भुगतान करके कार्य शुरू कराने की जिम्मेवारी किसकी थी, उक्त जिम्मेवारी को न निभाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(४) पंचायत समिति के प्रस्ताव समय पर कार्यान्वित न होने की हालत में सरकार किसके जरिए क्या कार्यवाही अमल में लाती है ? क्या ऐसी कार्यवाही इस समिति के प्रस्तावों को कार्यान्वित कराने के लिए सरकार अमल में लाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। १८ कार्यों के लिये अकाल सहायता विभाग से दि० ३१-३-६४ को १४,६६३) रु० की धनराशि पंचायत समिति ने प्राप्त की।

(२) जी हां। पंचायत समिति द्वारा रकम की स्वीकृति देने के बाद रकम उठाने की जिम्मेदारी संबन्धित सरपंचों की थी व उन्हें बार बार अनुरोध करने पर भी संबन्धित सरपंचों द्वारा अब तक केवल १२ कार्यों की रकम उठाई गई है।

(३) ये विकास कार्य अकाल ग्रस्त गांवों में होने वाले थे। कार्य शुरू न होने से लोगों को राहत मिलने में कोई बुरा असर नहीं पड़ा। १२ चालू किये गये कार्यों में से ६ कार्य पूरे हो चुके हैं व शेष कार्य चालू हैं। विकास कार्यों की रकम का समय पर भुगतान करने की जिम्मेदारी विकास अधिकारी की है किन्तु कार्य पंचायतों द्वारा कराये जाते हैं इसलिए

रकम समय पर प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबन्धित सरपंचों की होती है। अगर अनुचित रूप से सरपंच रकम नहीं उठाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(४) पंचायत समिति के प्रस्ताव यदि विकास अधिकारी अथवा सरपंच कार्यान्वित नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही जिलाधीश द्वारा आरम्भ की जाती है। इस मामले में जांच के लिये जिलाधीश को लिखा गया है।

पंचायत समिति, सांचोर द्वारा विकास कार्य हेतु मंजूर की गई रकम की सूची

सं०	कार्य का विवरण	कुल रकम	ग्राम पंचायत
१—	टांका बरणवा	५००० रु०	सूथडी
२—	बरणवा में पुराने टांके की मरम्मत	५०० रु०	सूथडी
३—	केसूरी में नया टांका	५००० रु०	सूथडी
४—	माटकी में ,, ,,	५००० रु०	सरवाना
५—	गलीफा टांके की मरम्मत	१००० रु०	जानवी
६—	काछेला बगसडी का अधूरा टांका पूरा करवाना	२००० रु०	बिछावाडी
७—	आकोड़िया रिड़का नया टांका	१००० रु०	खेजडियाली
८—	पालडी सो० में कुआ	१००० रु०	घमाणा
९—	सूथडी में एक कुआ	१००० रु०	सूथडी
१०—	धीगपुरा में ,,	१००० रु०	खेजडियाली
११—	खेजडियाली में ,,	१००० रु०	,, ,,
१२—	बीरोल में ,,	३००० रु०	बीराल
१३—	जानवी में ,,	१००० रु०	जानवी

१४—साकरिया में ,,	१००० रु०	सूथडी
१५—जारोदर मंडाली में टांका	५००० रु०	खेजडियाली
१६—दाता में टांका	३००० रु०	नैनोल
१७—नलदरा में टांका	५००० रु०	सरबाना
१८—डूंगरी में टांके की मरम्मत	१००० रु०	डूंगरी
१९—पहाड़पुरा में कुए की मरम्मत	१५०७ रु०	गोलासण
२०—रामपुरा में कुआ	१००० रु०	इटादा

न्याय पंचायत के रिक्त स्थानों के चुनाव—माथासूला, जमवा-रामगढ़

५७. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) न्याय पंचायत माथासूला पंचायत समिति जमवा-रामगढ़ जिला जयपुर में नियमानुसार दो सदस्यों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी रिक्त स्थानों का चुनाव न कराये जाने का क्या कारण है ?

(२) उपरोक्त दो सदस्यों के रिक्त स्थान किस तारीख से खाली पड़े हुए हैं ?

(३) चुनाव कराने में कानून की अवहेलना क्यों की ?

उत्तर

(१) कानूनी शंकाऐं उत्पन्न हो जाने तथा कुछ प्रशासनिक कारणों से यह चुनाव नहीं कराये जा सके ।

(२) दिनांक २०-२-१९६३ को स्थान रिक्त हुए थे ।

(३) चुनाव कराने में कानून की अवहेलना नहीं की गयी है ।

अवाप्त भूमि का मुआवजा-पंचायत समिति, उमरेण

५८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि उमरेण पंचायत समिति, जिला अलवर के कार्यालय आदि के लिए ग्राम उमरेण, तहसील अलवर में दूलामाली, बालाराम माली और रेवड़ा माली की लगभग ६ बीघा चाही जमीन ले ली गई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस जमीन को लेने के लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त किसानों को आज तक न बदले की कोई भूमि दी गई और ना कोई मुआवजा दिया गया ?

(४) इस गैर कानूनी कार्यवाही के लिए कौन जिम्मेदार है ? सरकार इस गैर-कानूनी कार्यवाही के लिए किसानों को क्या कोई राहत देने का और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) कुल ३ बीघा २ बिस्वा जमीन ली गई थी।

(२) काश्तकारन ने अपने स्वेच्छा से जमीन दी थी।

(३) संबंधित काश्तकारों को बदले में जमीन दे दी गई है।

(४) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

पंचों द्वारा धन का दुरुपयोग-पंचायत समिति, गीजगढ़

५९. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) पंचायत गीजगढ़ को पंचायत समिति, सिकराय की तरफ से सन् १९५८ से १९-६३ तक कितने रुपये दिये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि गीजगढ़ पंचायत के पंचों ने सरपंच द्वारा पंचायत के धन के दुरुपयोग की सूचना पंचायत समिति को दी थी ? क्या यह भी सही है कि धन के मनमाने ढंग से खर्च किये जाने के सम्बन्ध में ऑडिट ने भी एतराज किये हैं ?

(३). क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) कुल १७,३३५)४६ पै. की धन-राशि दी गई ।

(२) जी हां ।

(३) आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

* शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ५ अगस्त, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	अन्तिम से ४	(कोटा) :	(कोटा):
,,	,, ,, ३	गया]	गया]:
३	१४	श्री भबानीशंकर	श्री भवानीशंकर
२६	१३	श्री जौधसिंह	श्री जोधसिंह
३०	४	श्री योजना मंत्री	योजना मंत्री
३४	११	(मथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
३६	१०	(जोहरी	(जौहरी
३७	अन्तिम से ७	श्री भैवरलाल	श्री भैरवलाल
५३	शीर्ष	श्री प्रभुललाल	श्री प्रभुलाल
५७	१६	लक्ष्मण प्रसाद	श्री लक्ष्मणप्रसाद
५८	१३	(वैर)	(वैर)
६६	१९	अतरांकित	अतारांकित
७०	१३	गोविन्दसिंह	श्री गोविन्दसिंह
७२	२	वैद्य श्री वैद्य गोविन्द सहाय	वैद्य श्री गोविन्दसहाय
७३	३	(कोलायक)	(कोलायत)
७५	अन्तिम से ४	संग्रह	संग्रह
८०, ८२, ८४, ८६, ८८	शीर्षक	विषमक	विषयक
८१	३	श्री मुकुटबिहारी लाल (गोयल) :	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
,,	९	श्री वालकृष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
८४	२२	महारावल लक्ष्मणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
८५	१४	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया

१	२	३	४
८६	६	श्री मोहनलाल खड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
८६	४	श्री बालष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
६०	शीर्षक	(सं० वै)	(सं० वै)
६१	१६	श्री मुकुट विहारीलाल गोयल बयाना :	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना)
६३	३	श्री दुर्गलाल बाढदार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
१०५	शीर्ष	——	(श्री विजयसिंह झाला)
१०६	१५	श्री विजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला
११२	१६	श्री चौसरसिंह बालेल	श्री चौसरसिंह बाघेल
११४	शीर्षक	(दि० सं)	(द्वि. सं०)
१२४	,,	प्रदर्शकारियों	प्रदर्शनकारियों
१२६-१२८	,,	प्रदनर्शकारियों	,,
१३३	१८	(नोहर)	(नौहर)
१३६	१८	श्री अध्यत्त	श्री अध्यक्ष
१४१	शीर्षक	--५ अस्त	-५ अगस्त
१४४	५	श्री अव्यत्त	श्री अध्यत्त
१४५	शीर्षक	प्रदर्शनकारियों से मिलने विषयक-५ अगस्त ६४- पं० तथा जिना प. विधेयक	राज. पं. तथा जिला परिषद--५ अगस्त, ६४-राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक
१५२	,,	विधेवक	विधेयक
१६३	,,	संचालन	पंचायत
१८०	१४	श्री ज्वलाप्रसाद	श्री ज्वालाप्रसाद
,,	१६, २३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
१८८	शीर्षक	(संशोढन)	(संशोधन)
२०१	१	श्री सम्पत्ति लाल बहोरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	८	श्री जोधसिह	श्री जोधसिंह
२०२	३,११,१४	,, ,, ,,	,, ,, ,,
२०४	१	[अस्पाव	[प्रस्ताव

१	२	३	४
२१०	शीर्षक	(संशोदन)	(संशोधन)
२१३	४	ज्वालाप्रसाद् शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
२१४	१०	व्रजे	व्रज
२२०	२३	मजूरशुदा	मंजूरशुदा
,,	२५	श्री रघुनाथ विश्नोई	५६. श्री रघुनाथ बिश्नोई

* नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।

१	२	३	४
११०	कीर्तिक	(प्रमाणित)	(प्रमाणित)
११६	४	[illegible]	श्री [illegible]
११४	१०	बड़	बड़
११०	१६	ऋषिकेश	म. ऋषिकेश।
	१५	श्री कैलाश द्विवेदी	५.३. श्री कैलाश द्विवेदी

* नोट:—[illegible]